खण्ड-223, अंक-5
बुधवार, 6 वैशाख, शक संवत् 1883
(26 अप्रैल, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 223 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक, सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३१९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री

गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती , श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह , श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
सत्याराम रावत, श्री
सत्यूसिंह, श्री (बरेली)
सन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
सन्दराम, श्री
सरदेवसिंह दतियालवी, श्री
सरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
सवलकिशोर, श्री
सागेश्वरप्रसाद, श्री
सारायणदत्त तिवारी, श्री
सारायणदास पासी, श्री
सिरंजनसिंह, श्री
सेकराम शर्मा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री

बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम , श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफजाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री

रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेर्तासिह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायर्कासिह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर्रासिह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनार्थासिह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर्रासिह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद भागव, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिह, कुंवर
संग्रामसिह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सूरयबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिह, श्री
हरदयालसिह पिपल, श्री
हरदेवसिह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिह, श्री
हिम्मतसिह, श्री
हुकुमसिह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

हरिजन कल्याण निदेशालय में कर्मचारियों की पदोन्नति रुक जाना

१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल), श्री रामसुन्दरपांडेय (जिला आजमगढ़), श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) तथा श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री २९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन कल्याण निदेशालय में कितने कर्मचारियों की पदोन्नति की गई थी और उसका आधार क्या था ?

हरिजन सहायक उप मंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—२१ कर्मचारियों की पदोन्नति एडहाक बेसिस पर की गई थी।

२—श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री गौरीशंकर राय, तथा श्री मुक्तिनाथराय—क्या मुख्य मंत्री २९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन से विशेष कारण थे जिनकी वजह से १९५८ से अब तक उपर्युक्त कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जा सकी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—निदेशालय हरिजन कल्याण का निर्माण तीन कार्यालयों को मिलाकर हुआ। इन तीन कार्यालयों के लिपिकों तथा अधीनस्थ कार्यालयों से लाये गये लिपिकों की ज्येष्ठता (Seniority) अब तक निर्धारित न होने के कारण उपर्युक्त कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जा सकी।

३—श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री गौरीशंकर राय तथा श्री मुक्तिनाथ राय—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त पदोन्नति के समय कई कर्मचारी अधीनस्थ (जिला) कार्यालयों से भी लिये गये थे ? यदि हां, तो क्या वे उनकी पूर्व जगहों पर (जिलों में) वापस भेज दिये गये ? और यदि नहीं, तो वे इस समय किस ग्रेड में काम कर रहे हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी हां। केवल २ कर्मचारियों को उनकी इच्छानुसार उनकी पूर्व जगहों पर भेज दिया गया है। शेष निदेशालय (मुख्यालय) में अपने पूर्व वेतन-क्रम पर कार्य कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एडहाक बेसिस का तात्पर्य यहां पर क्या है, कितने समय के लिये पदोन्नति हुई थी और २१ स्थान क्या अभी तक रिक्त हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—मैं शार्ट में पोजीशन क्लियर कर दूं। सन् १९५१ में हरिजन सहायक, रिक्लेमेशन और डिप्रेस्ड क्लास एजूकेशन सेक्शन, इन तीनों को मिलाकर यह डिपार्टमेंट बनाया गया था। तीनों विभागों के लोगों के आने के बाद १६ आदमियों की पदोन्नति की गई थी और ५८ में २१ आदमियों की की गई। उसके बाद जब सब-आर्डिनेट आफिसेस से लोग आये और पदोन्नति की बात पैदा हुई तो यह हुआ कि हेड आफिस में जो हैं उनको सीनियारिटी दी जाय लेकिन सबार्डिनेट आफिस वालों ने आब्जेक्शन किया और कहा कि जहां से लोग आये हैं वहीं के हिसाब से सीनियारिटी बननी चाहिये। इसके लिये कहा गया कि रूल्स बनाये जायं लेकिन वह रूल्स नहीं बन पाये तो यह सिद्धान्त तय कर दिया गया कि

हेड आफिस में जब से लोग काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से सीनियारिटी मानी जाय। इस पर फिर आब्जेक्शन्स हुये। चूंकि इस डिपार्टमेन्ट का रिआर्गेनाइजेशन कई सालों से चल रहा है इसलिये अभी कोई डेफिनिट रूल्स नहीं बन पाये हैं, रूल्स अन्डर कन्सीडरेशन हैं। जब रूल्स तय हो जायंगे तो उसी के हिसाब से सीनियारिटी तय हो जायगी और पदोन्नति हो जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रमोशन लिस्ट अब तक न बनने के क्या कारण हैं, और वह कब तक बन जायगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---रिआर्गेनाइजेशन हो रहा है। आशा है वह जल्दी हो जायगा और उसके मुताबिक काम शुरू हो जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तीन विभागों को मिलाकर जब से यह विभाग बनाया गया तब से आजतक कितने पद अपग्रेड किये गये ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जैसा मैंने पहले कहा था १६ को पदोन्नति पहले की गयी और २१ को बाद को, और अब आगे और कार्यवाही चल रही है।

श्री गौरीशंकर राय---कृपया मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे कि जो २१ कर्मचारियों को एडहाक प्रमोशन दिया गया था, उसका आधार क्या था, क्योंकि उस समय तक सीनियारिटी और जूनियारिटी की लिस्ट ही नहीं बन पायी थी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---आधार यह था कि ये लोग हेड आफिस में काम कर रहे थे, उनको सीनियारिटी के मुताबिक दिया गया।

विभिन्न वर्ग के राज्य कर्मचारियों से संबंधित निःशुल्क चिकित्सा आदेश

४---श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अभी हाल ही में उनके द्वारा प्रादेशिक सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों, मंत्रि परिषद् के सदस्यों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों, विधान मंडल के अधिकारियों एवं सदस्यों की निःशुल्क चिकित्सा हेतु कोई आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या वह उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)---जी हां।

आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२६-४२८ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सरकारी अस्पतालों में निर्धारित सूची के अनुसार ही औषधियां रहती हैं ? जब वे औषधियां नहीं रहतीं तो छोटे कर्मचारियों को दवाइयां ही नहीं मिल पातीं ?

श्री धर्मसिंह---दवाइयां तो वहां रहती हैं और जैसे-जैसे अस्पतालों की मांग आती है, उनको दी जाती हैं। यदि ज्यादा खर्चा हो जाता है और वहां से मांग आती है तो दोबारा अलाटमेंट भी हो जाता है। जहां तक सरकार का संबंध है जो मांग आती है उसको पूरा किया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार को मालूम है कि जो आदेश जारी किये गये हैं, उन आदेशों के बाद क्या सरकार के पास यह शिकायत बलरामपुर अस्पताल से आयी है कि वहां पर उपर्युक्त स्टैंडर्ड की दवायें न रहने के कारण रोगियों का ठीक इलाज नहीं हो पा रहा है ?

श्री धर्मसिंह---यदि माननीय सदस्य किसी विशेष शिकायत के बारे में बतायेंगे तो उसकी जांच करा ली जायगी। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसका प्रबंध किया जाता है।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---जो सुविधा लोगों को एलोपैथिक अस्पतालों में दी गयी है क्या वही सुविधा आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथिक अस्पतालों में भी सरकार देने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---जहां-जहां भी सरकार के इस तरह के अस्पताल हैं उनमें इस तरह का प्रावीजन है।

हायर जुडिशियल सर्विस के संबंध में पेंशन सम्बन्धी आदेश

****५---श्री गौरीशंकर राय**---राज्य की हायर जुडीशियल सर्विस के पेन्शन रूल्स के बारे में नियम ३०(४) के अन्तर्गत निर्धारित २० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार उक्त सर्विस के सम्बन्ध में जो आदेश जारी किये गये हैं उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---आदेश की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२९-४३० पर)

श्री गौरीशंकर राय---मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि १७ अगस्त, १९५० के पहले पेन्शन रूल्स क्या थे और १७ अगस्त, १९५० को जो प्रावीजनल पेन्शन रूल्स बने, वे क्या थे ? पहले रूल्स को सुपरसीड क्यों किया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---जो पहले से चले आ रहे थे उन्हीं को हमने मान लिया, कोई बदला नहीं।

श्री गौरीशंकर राय---मान्यवर, मुख्य सचिव का एक जी० ओ० है, उसमें यह लिखा हुआ है कि जो प्रावीजनल आर्डर है जो १७ अगस्त, १९५० को दिया गया था, उससे यह रूल्स गाइड होते रहे हैं, उनको सुपरसीड करके नये रूल्स बनाये गये। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले रूल्स क्या थे और बीच में जो प्रावीजनल आर्डर दिया गया, वह क्या था ?

श्री अध्यक्ष---इसके लिये तो आपको अलाहिदा से लिखित प्रश्न पूछना पड़ेगा, क्योंकि अपने प्रश्न में आपने इस चीज को मांगा नहीं था। इतने बड़े आर्डर को पढ़ कर सुनाने की मैं इजाजत नहीं दूंगा, वह लंबी चीज होगी।

श्री गौरीशंकर राय---मोटे तौर पर बता दिया जाय कि पहले प्रावीजनल आर्डर और उसमें क्या फर्क है, ?

श्री अध्यक्ष---पहले आप प्रावीजनल आर्डर को मांग लेते।

श्री गौरीशंकर राय---पहले तो मालूम नहीं था, आज इस उत्तर से मालूम हुआ।

श्री अध्यक्ष---आप बाद में उसे पूछ लीजिये।

राज्य कर्मचारियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जारी रखने का प्रयास

****६---श्री प्रतापसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने कोई धनराशि केन्द्रीय सरकार से मांगी थी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी हां, राज्य सरकार ने राज्य तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता जारी रखने के लिये अनुरोध किया था परन्तु उन्होंने नहीं माना और यही कहा कि इस प्रयोजन के निमित्त केन्द्रीय सहायता देने की उनकी योजना द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की अवधि तक के लिये ही सीमित थी।

श्री प्रतापसिंह---इस बात को देखते हुए कि प्रादेशिक सरकार अपने यहां के राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना बराबर जारी रखना जरूरी समझती है, जिसके लिये उसने केन्द्रीय सरकार को लिखा भी लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसको देने से मना कर दिया, तो जब सरकार इस सिद्धान्त को मानती है कि महंगाई भत्ता दिया जाना जारी रहना चाहिये तो क्या प्रादेशिक सरकार कोई ऐसा कदम लेने जा रही है जिससे उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सके ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---सरकार ने तो अपने यहां रखा ही है, उसको काटा नहीं है और केन्द्रीय सरकार से बराबर बातचीत कर रही है और अब जो थर्ड फाइनेंस कमीशन बैठा है उसके सामने यह मामला रेफर किया जा रहा है कि वह इन तमाम चीजों को फिर से देखे और कोशिश करे कि यह जारी रहे। दोनों आर्डर टेम्पोरेरी थे लेकिन फिर भी सरकार यह समझती है कि जो दिया गया है वह रहना चाहिये और कोशिश कर रही है कि इसको रखा जाय।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक कितना धन इस महंगाई भत्ते को लिये प्रादेशिक सरकार को मिलता रहा है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---केन्द्रीय सरकार से सन् ५७-५८ में १ करोड़ ४० लाख, सन् ५८-५९ में २ करोड़ ६४ लाख, सन् ५९-६० में ४ करोड़ ३६ लाख और सन् ६०-६१ में ६ करोड़ १८ लाख ८० हजार मिला। अभी हिसाब वेरीफाई नहीं हुआ है लेकिन इतना एमाउंट है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि ६ करोड़ की धनराशि एक बहुत अच्छी रकम है, फिर केन्द्रीय सरकार को लिखेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन कर्मचारियों का सहयोग अनिवार्य है और यह तभी मिल सकता है जब कि महंगाई भत्ता को बढ़ाया जाय, इसलिये ६ करोड़ की रकम का देना जारी रखा जाय ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---वह तो मैंने अर्ज किया कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन चूंकि इतनी बड़ी रकम है तो उसके लिये थर्ड फाइनेंस कमीशन को यह मामला रेफर किया जा रहा है कि वह इस तमाम मामले को देखे और इसको समझे कि वह बहुत जरूरी है और हमारी इसमें मदद करे।

विधान मण्डल की स्वीकृति के बिना अपग्रेडेड पोस्ट्स

****७---श्री प्रतापसिंह**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी सचिवालय में गत तीन वित्तीय वर्षों में ऐसे कितने पद विधान मण्डल की स्वीकृति के बिना अपग्रेड किये गये हैं, जिन पर आई० ए० एस०, पी० सी० एस० तथा आई० सी० एस० अधिकारियों ने कार्य किया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---गत तीन वर्षों में ४ पद अपग्रेड किये गए। विधान मंडल की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं था।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये बतलायेंगे कि जो चार पद अपग्रेड किये गये हैं वे कौन-कौन हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—एक अन्डर सेक्रेटरी चीफ सक्रेटरी के यहां थे जिन्हें डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया, एक एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे जिन्हें स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया, एक सेक्रेटरी टु दि गवर्नमेंट इर्रीगेशन ऐंड पावर डिपार्टमेंट में थे जिन्हें कमिश्नर-कम-सेक्रेटरी बनाया गया और एक सेक्रेटरी टु दि गवर्नमेंट इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट थे जिन्हें कमिश्नर-कम-सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बनाया गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि इसके लिये विधान मंडल की स्वीकृति लेना क्यों उचित नहीं समझा गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जितनी पोस्ट्स हैं सभी एक ही केडर की हैं, कोई नई पोस्ट तो बनाई नहीं गई जो नयी मदों में आती हो। इसलिये विधान मंडल की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं संविधान की धारा २०५ पढ़ देता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है कि जो नयी सर्विसेज हैं उन्हीं के लिये विधान मंडल की स्वीकृति लेना जरूरी है, जो नयी सर्विसेज नहीं हैं उनके लिये सदन की स्वीकृति लेना जरूरी नहीं है । ये पुरानी सर्विसेज ही हैं, इसलिये इन पदों को अपग्रेड करने के लिये विधान मंडल की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अपग्रेडिंग पोस्टों की हुई वह उसी विभाग में हुई या एक विभाग से दूसरे विभाग में हुई ? जैसे आपने कहा कि इर्रीगेशन और पावर के अन्डर सेक्रेटरी को कमिश्नर बना दिया गया और कमिश्नर और स्पेशल सेक्रेटरी प्लानिंग डिपार्टमेंट बना दिया गया जो दूसरे डिपार्टमेंट की पोस्ट है ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने कहा कि कमिश्नर-कम-सेक्रेटरी उसी डिपार्टमेंट में कर दिया और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को भी दुबारा उसी डिपार्टमेंट में बनाया गया । दूसरे डिपार्टमेंट में किसी को नहीं बनाया गया ।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, बजट मैनुअल में नये आइटम्स में इसको पोस्ट का कन्बर्जन सरकार मानती है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—उसका तो उन्होंने जवाब दे दिया कि कांस्टीट्यूशन के हिसाब से ऐसी आवश्यकता नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय—बजट मैनुअल के हिसाब से वह बतायें....

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बता दिया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि बजट मैनुअल में नई सर्विसेज की डेफिनिशन नहीं है और इस सरकार ने भी उसकी कोई डेफिनेशन नहीं की है ? यदि हां, तो उन्होंने कैसे कह दिया कि उसमें नई सर्विस की परिभाषा आती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने जैसा कि अभी कहा—हम मानते हैं कि एक सर्विस यहां है उसमें अपग्रेड किया गया है, तो आई० ए० एस० के प्रोमोशन को हम न्यू सर्विस नहीं मानते ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने न्यू सर्विस की डेफिनिशन धारा २०५ के अनुसार की है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने तो कहा कि वह न्यू सर्विस में नहीं आते ।

श्री अध्यक्ष—यह तो अंग्रेजी वर्ड है और उस का उन्होंने अर्थ किया कि जो सर्विसेज पहले से कायम हैं उनमें अपग्रेड करना न्यू सर्विसेज नहीं हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--बजट मैनुअल में ही न्यू एक्सपेंडिचर डिफाइन्ड है और वह न्यू एक्सपेंडिचर में शामिल है। अभी नया बजट मैनुअल नहीं बना है और न्यू सर्विसेज बजट मैनुअल में डिफाइन्ड नहीं हैं, तो मंत्री जी ने जो कहा कि यह नई सर्विसेज में नहीं आती हैं, तो क्या कोई नई सर्विसेज डिफाइन की गई हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--मैं तो यह मानता हूं कि एक आई० ए० एस० का केडर है, उसी में ऊपर पहुंचने वालों को हम न्यू सर्विसेज नहीं मानते, वह वही सर्विस है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि यह अपग्रेड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? क्या बिना इसके काम नहीं चल सकता था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--हुआ यह कि कुछ लोग जो जूनियर थे और काम कर रहे थे और सिनसिनेचार प्रोमोशन पोस्ट में जैसे होता है वैसे ही चूंकि नम्बर आ गया इसलिये ऐसा करना पड़ा।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि बजट को पास करने का अधिकार हाउस को है, भविष्य में हाउस को भी ऐसे मामलों में कान्फिडेंस मे लेने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--हम तो नियम के अनुसार ठीक ही समझते हैं। इसमें कोई प्राविजन का सवाल नहीं है, रुपया हाउस से ही सैंक्शन होता है और बाद में भी जरूरत होती है तो सप्लीमेंटरी के द्वारा सदन से ही रुपये मांग लेते हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जाखलौन स्टेशन के निकट श्मशान भूमि पर वन विभाग की चौकी बनाने का विरोध

*१--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील ललितपुर, जिला झांसी में जाखलौन स्टेशन पर सड़क के पास वन अधिकारियों द्वारा श्री शिवप्रसाद जैन की पारिवारिक श्मशान भूमि पर उनके परिवार और पिता के स्मारक चबूतरों के बीच में बने माता के चबूतरे को मिटा कर वन विभाग की चौकी बनवाई जा रही है ? यदि हां, तो उक्त श्मशान भूमि पर ही चौकी बनवाने का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--जी नहीं, किसी श्मशान भूमि पर या स्मारक चबूतरे को खोदकर कोई चौकी नहीं बनवाई जा रही है। इस प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन अधिकारियों के उक्त कार्य से उस क्षेत्र के निवासियों और जैन समाज में और असन्तोष फैल रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--जी नहीं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन को इस बात की जानकारी है कि उक्त प्रार्थी ने इस संबंध में हाईकोर्ट में पेटीशन दायर की थी और उसकी सुनवाई के लिये स्वीकार करते हुये जस्टिस धवन ने कहा है कि यदि यह शिकायतें सही हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि डी० एफ० ओ० मादिरशाही फरमान जारी कर रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—पेटीशन के बारे में हमारे पास तो यहां कोई सूचना है नहीं लेकिन मैंने सुना है कि अखबार में कोई ऐसी चीज निकली है। तब भी मैं समझता हूं कि विचाराधीन है, मुझे मालूम नहीं कि क्या है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या उक्त प्रार्थी २८ मार्च को स्वयं मंत्री जी के पास आया था और इस संबंध में उन्हें प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मुझे तो इसकी सूचना नहीं है, मंत्री जी इस वक्त हैं नहीं, मैं नहीं बता सकूंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारी फाइल में तो यह है कि न तो यह भूमि श्मशान की है और न....

श्री अध्यक्ष—वह तो यह कह रहे हैं कि कोई हाईकोर्ट में फैसला किया गया इस तरह का और उसके बारे में आपको उन्होंने सूचना दी। अगर मंत्री जी यहां नहीं है तो मैं इसको पोस्पोन कर देता हूं। आप मंत्री जी से पूछ लें, वह जानकारी तो सामने आ जानी चाहिये।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—कि सुदामा प्रसाद जी कह रहे हैं कि अभी कोई फैसला हुआ है। उसकी सूचना हमारे पास तो है नहीं। अगर व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी को दे दिया हो तो वह मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जब मंत्री जी नहीं हैं और उनकी तरफ से आप बोल रहे हैं और वह कहते हैं कि उन्होंने वन मंत्री को दिया था, तो उसकी जानकारी तो आपको किसी दिन देनी ही होगी। मैं समझता हूं कि आप दो, एक रोज में उनसे पूछकर जानकारी दे दें। तो मैं उसको अगले रोज के लिये रख दूंगा।

[तारांकित प्रश्न १–२ श्री अध्यक्ष की आज्ञा से स्थगित किये गये।]

रिहन्द योजना में कथित परिवर्तन

*३—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित), **श्री प्रतापसिंह तथा श्री गौरीशंकर राय**—क्या यह सत्य है कि रिहन्द बोर्ड ने हाल ही में अपनी योजनाओं में कुछ परिवर्तन करने का निश्चय किया है जिसके फलस्वरूप कुछ उक्त परियोजना के प्राक्कलनों में वृद्धि होगी तथा विद्युत् उत्पादन के वर्तमान कार्यक्रम में परिवर्तन होगा (देरी से उत्पादन होगा) ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर उसका संक्षिप्त विवरण सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं। रिहन्द योजना में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप उसके एस्टीमेट में वृद्धि हो जाय या विद्युत् उत्पादन के वर्तमान कार्यक्रम में परिवर्तन हो।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये बतायेंगे कि पिछले सप्ताह में रिहन्द बांध कंट्रोल बोर्ड ने सरकार को कोई सूचना दी है जिसकी वजह से योजना में परिवर्तन किया गया है और जो जुलाई सन् ६१ में तैयार हो जाना चाहिये, अब ६ महीने देर से बन पायेगा ? यदि हां, तो वह क्या सूचना है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने इस हाउस में पहले भी कहा था कि हमारी जो योजना थी, हमारा जो फेजिंग था उसके हिसाब से सन् १९६२ के शुरू में वहां से बिजली देने की बात है, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा परिवर्तन योजना में अभी आया हो।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्राक्कलन में कोई तब्दीली नहीं हुई। तो क्या यह सही है कि प्राक्कलन में तब्दीली हुये बिना भी खर्चे बढ़ गये हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---खर्चे कुछ थोड़े बढ़े जरूर हैं लेकिन जो हमारी पूरी योजना थी उसमें इसलिये नहीं बढ़े कि कहीं कम हुये हैं और कहीं ज्यादा हुये हैं। जो टोटल एस्टीमेट था---अगर चाहें तो मैं बतला दूंगा---वह उतना का उतना ही है। कुछ ट्रांसमिशन लाइंस में खर्चा कम हुआ, सिविल वर्क्स में कुछ बढ़ा। इस तरह से टोटल खर्च वही रहा है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि ट्रांसमिशन लाइंस जितनी प्रपोज्ड थीं पहले बनाने के लिये, उनमें से बहुत सी कम हो गईं और कोई खास ऐसा आइटम नहीं है जो प्राक्कलन से अधिक बनाया जा रहा हो, तो क्या कारण है कि व्यय बढ़ गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---बहुत-सी चीजों के दाम बढ़ गये। सिविल वर्क्स में महंगाई बढ़ गई, सीमेन्ट के दाम, लोहे के दाम ज्यादा हो गये। सेल्स टैक्स वगैरह बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नई लग गईं। तो इससे सिविल वर्क्स में ज्यादा हो गया। कुछ खम्भे ज्यादा बनने लगे, उसमें भी ज्यादा देना पड़ा।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि योजना को जुलाई, १९६१ में तैयार हो जाना चाहिये था ? यदि जुलाई, १९६१ में तैयार नहीं हो रही है तो क्या कारण है ? और रिहन्द कंट्रोल बोर्ड ने एक हफ्ते पहले सरकार को जो सूचना दी है उसे बताने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---शुरू में तो यह थी। लेकिन अब जो योजना ५, ७ साल से चल रही है उसमें तो कोई इसकी योजना जुलाई, १९६१ में बनने की नहीं थी। श्री बिड़ला जी से बिजली देने की जो बातें तय की थीं वह १९६२ के अप्रैल की थीं।

रिहन्द योजना में कथित परिवर्तन

*४---**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा) तथा **श्री गौरीशंकर राय**---क्या यह सही है कि रिहन्द योजना में बिजली की Transmission Lines कम किये जाने के कारण सरकार को ३ करोड़ रुपये के करीब घाटा हो गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---जी नहीं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जितना सिविल वर्क होना था वह हो चुका है और टरबाइन्स बन चुके हैं ? केवल ट्रांसमिशन लाइन के न बनने से बिजली का देना रुक गया जिससे बहुत नुकसान हो रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---मेरे खयाल में माननीय गोविन्द सिंह जी की सूचना सही नहीं है। अभी तो हमारे बड़े गेट भी लगने बाकी हैं, वह आ रहे हैं। जो क्रेन है वह अभी आयी है। गेट लगने के बाद मशीन टेस्टिंग होगी, एक मशीन टेस्ट होगी, उसके बाद दूसरी मशीनें टेस्ट होंगी तो इसमें देर लगेगी। अभी तो पावर हाउस तैयार भी नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, यह प्रश्न हमारे नाम से भी है।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई महत्व नहीं है, क्वेश्चन हो चुके हैं, बारबार रिपीटीशन हो रहा है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

बस्ती जिले में सड़कों की निर्माण योजना

*१---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस सड़क को प्राथमिकता दी गई थी ? क्या वह सड़क पूरी बन चुकी है ? अगर हां, तो वह सड़क कितने मील लम्बी है ?

श्री धर्मसिंह--जिला नियोजन समिति द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों को जो प्राथमिकतायें निर्धारित की गई थीं उसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी है। इनमें से द्वितीय योजना काल में निम्नलिखित सड़कों पर कार्य आरम्भ किया गया :—

१—टांडा-कलवारी	..	.. ४ मील
२—डुमरियागंज-रुधौली	..	.. १६ मील
३—उस्का-बजमनगंज	..	.. ५ मील १ फर्लांग
४—बस्ती-मेंहदावल	..	.. १४ मील
५—तलपुरवा-इटवा-तुलसीपुर		.. १९ मील
६—बांसी-तलपुरवा	..	.. ९ मील १ १/२ फर्लांग
योग	..	६७ मील २ १/२ फर्लांग

इन सब सड़कों पर कार्य प्रगति में है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४३१-४३२ पर)

*२—**श्री राजाराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में बस्ती जिले में किस सड़क को प्राथमिकता दी गई है ?

श्री धर्मसिंह—अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा निर्धारित सड़कों की प्राथमिकता की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी है। इन में से पहली सड़क के २२ मील तथा दूसरी सड़क के १० मील तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४३१-४३२ पर)

*३—**श्री राजाराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में बस्ती-मेंहदावल-करमैनी रोड जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीसरे नम्बर पर थी, उसका निर्माण पूरा क्यों नहीं किया गया ?

श्री धर्मसिंह—सीमित धनराशि के कारण कथित सड़क का मेंहदावल-करमैनीघाट भाग योजना में सम्मिलित न किया जा सका।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती-मेंहदावल सड़क जो दूसरी योजना में तीसरे नम्बर पर थी और वह १४ मील बन गई केवल ६ मील सड़क बाकी है, तो वह क्यों नहीं ली गई ? जिसका नाम ही दूसरी योजना में नहीं है वह अब को पहले नम्बर पर क्यों ली गई और क्यों २२ मील बनाई जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—जो सूची माननीय सदस्य को दी गई है और जो तृतीय योजना की सूची है उसमें राम-जानकी रोड है और उसका २२ मील भाग लिया गया है। लेकिन जहां तक बस्ती-मेंहदावल-करमैनी सड़क का प्रश्न है वह द्वितीय योजना के अन्दर तीसरी प्राथमिकता पर थी और दूसरी योजना में इसको, बस्ती-मेंहदावल को, सम्मिलित कर लिया गया लेकिन मेंहदावल से करमैनी घाट वाली पूरी सड़क को नहीं शामिल किया गया, उसका कुछ हिस्सा शामिल किया गया।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—मंत्री जी बतायेंगे कि डुमरियागंज से रुधौली की जो सड़क ली गई है वह दूसरी योजना में जिला नियोजन समिति द्वारा स्वीकृत नहीं थी, उसको किस कारण से लिया गया ?

श्री धर्मसिंह—दूसरी योजना की जो सड़कें हैं उसकी लम्बी फेहरिस्त है और उन्हीं में से ली गई।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह प्रायरिटीज जो बदली गईं, तृतीय योजना में जो रद्दोबदल किया गया, यह ७ दिसम्बर, १९६० के बाद हुआ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक दूसरी योजना का संबंध है, जो जिलों से सूची प्राप्त थी उसमें कुछ सड़कें थीं, सदस्य महोदय की मेज पर सूची रख दी गई है।

उसमें से प्रायरिटी की वजह से नम्बर १, २ और ३ के हिसाब से नहीं ली गयीं। कारण यह है कि ऐसा कर लिया जाता तो एक जिले के एक ही कोने में, एक ही स्थान पर, एक ही इलाके में सड़कें बढ़ जातीं। इसलिये प्रायरिटी के लिहाज से न लेते हुये जिले के महत्व को देखते हुये सड़कों का बिछाव चारों ओर हो जाय इसके लिये यह किया गया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—यह मैं मालूम करना चाहता था कि क्या ७ दिसम्बर के बाद ये चेंजेज हुये?

श्री अध्यक्ष—नई गवर्नमेंट आने के बाद फर्क हुआ क्या, यह वह जानना चाहते हैं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—ये तो सब पुरानी सड़कें हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में ही प्रश्न है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बाबत सवाल होता तो जवाब दिया जाता।

नैनीताल डिवीजन में वर्कचार्ज कर्मचारियों का वेतन व भत्ता

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नैनीताल एक्जीक्यूटिव डिवीजन के कितने उप-डिवीजन हैं और उनमें से प्रत्येक उप-डिवीजन में अलग-अलग विभिन्न कार्यों में कितने वर्क-चार्ज श्रेणी के कर्मचारी कितने समय से कार्य कर रहे हैं?

*५—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त कर्मचारियों को इस समय कितना-कितना वेतन व भत्ता मिल रहा है?

*६—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्क-चार्ज श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-भत्ता बढ़ाने आदि के क्या नियम हैं और उनके अनुसार पिछले पांच वर्षों में नैनीताल एक्जीक्यूटिव डिवीजन के विभिन्न उप-डिवीजनों के ऐसे कर्मचारियों का कितना वेतन बढ़ाया गया है?

श्री धर्मसिंह—वांछित†सूचना क्रमशः अनुसूची 'क' 'ख' और 'ग' में दी गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अनुसूची 'ख' में जो लिखा है कि मार्केट रेट पर वर्क चार्ज के कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, तो नैनीताल डिवीजन में मार्केट रेट क्या है और मार्केट रेट के हिसाब से कितना वेतन दिया जाता है?

श्री धर्मसिंह—मार्केट रेट समय-समय पर बदलता रहता है। मिस्त्रियों का ६० से १६२ रुपया है और इलेक्ट्रिक मिस्त्री का ८० से १०५ रुपया है। इसमें और केटेगरीज भी हैं जो उसी आधार से निर्धारित हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—नैनीताल क्षेत्र का मार्केट रेट पर्वतीय क्षेत्रों में महंगाई की स्थिति और अभाव की स्थिति होने के कारण बहुत ऊंचा है, इसको देखते हुए क्या माननीय मंत्रीजी इस बात के आदेश देंगे कि मार्केट रेट पर वर्क-चार्ज स्टाफ के वेतन पुनः रिवाइज किये जायें?

श्री गिरधारीलाल—मार्केट रेट मजदूरों की अवेलेबिलिटी या मुहइया होने पर निर्भर करता है। जिस रेट पर मजदूर मिल जाते हैं वह वहां का मार्केट रेट हो जाता है।

---

†सूचना छापी नहीं गई।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मार्केट रेट का अर्थ आदमियों के मार्केट से है या चीजों के मार्केट से है ?

श्री गिरधारीलाल--मैंने बतलाया कि मजदूरी का निर्धारण सप्लाई ऐन्ड डिमांड के प्रिंसिपल पर किया गया है यहां पर।

श्री प्रतापसिंह---माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि प्रदेश के उत्तरी आंचल में सबसे ज्यादा गरीबी है और वहां बेरोजगारी हो रही है, लिहाजा सप्लाई ऐंड डिमांड के फार्मूले को न लगा कर वहां की वस्तुस्थिति को देख कर वेतन बढ़ायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---वहां पर यह तो नहीं है कि एक लिविंग वेज न मिलता हो। एक स्टैंडर्ड है उस हिसाब से वेजेज मिलती हैं और यह कहना कि वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है यह भी कम से कम एक शंका की चीज जरूर है। पूर्वी जिलों के बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां वहां से भी ज्यादा गरीबी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---इस विभाग के मजदूरों के लिये कोई लिविंग वेज निर्धारित है ? अगर है, तो क्या है ?

श्री धर्मसिंह---जो सूची दी गयी है 'क' और 'ख' पर उसमें जो वेजेज निर्धारित हैं वे अलग-अलग हैं, जैसे यूनिट मैनेजर है उसका वेतन ८५-५-१०० है और यूनिट मैकेनिक है उसका वेतन ७०-४-९० है। वर्क चार्ज के अन्दर और कर्मचारी हैं, और जैसा मैंने निवेदन किया, मिस्त्री का मार्केट के अनुसार दिया जाने वाला वेतन ६०-१६२ है और इलेक्ट्रिक मिस्त्री का ८०-१०५ है।

श्री गौरीशंकर राय---मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो लिविंगवेज और मिनिमम वेज का सवाल है उसके लिये मार्केट रेट का सिद्धांत क्यों नहीं माना जाता और सरकार मजदूर के मिलने का पैमाना क्यों बनाये हुये है ?

श्री धर्मसिंह---ये तमाम बातें ध्यान में रखी जाती हैं और जब रेट्स निर्धारित किये जाते हैं तो बहुत सी चीजें कंसिडरेशन में होती हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस संबंध में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को ताकत दी हुई है कि वह ५० या ५५ रुपये तक जिसको चाहें मजदूरी दे सकते हैं। तो क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि ये वर्क-चार्ज के मजदूर १४-१४ साल से सर्विस में हैं और तीन-तीन बार उनका डेपुटेशन मिल चुका है और उनको आश्वासन भी दिया गया है लेकिन एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया, वह कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---जो भी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को आदेश दिये जाते हैं उनका पालन होता है और जहां तक सरकार का संबंध है इस तरह के काम करने वाले, जैसे ट्रक ड्राइवर, सी०सी० मिक्श्चर ड्राइवर, फोरमैन इत्यादि इनको पूरे तरीके से परमानेंट कैटेगरी में लाने की कोशिश की गयी।

[२६ अप्रैल, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१---**श्री मदन पांडेय**---[१३ अप्रैल, १९६१ को प्रश्न १ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*२---**श्री मदन पांडेय**---[१३ अप्रैल, १९६१ को प्रश्न २ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*३---**श्री मदन पांडेय**---[१३ अप्रैल, १९६१ को प्रश्न ३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*४-५---**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)---[२७ मार्च, १९६१ को प्रश्न ६-७ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*६---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---[१७ अप्रैल, १९६१ को प्रश्न २४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*७---श्री राजा राम शर्मा---[८ मई, १९६१ के लिए प्रश्न ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रिहन्द डैम से मध्य प्रदेश को बिजली देने के लिये पत्र-व्यवहार

*८---श्री ऊदल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिहन्द डैम के पावर हाउस से पैदा होने वाली बिजली के बंटवारे के संबंध में मध्य प्रदेश की सरकार व प्रदेश की सरकार में कोई बातचीत चल रही है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---जी हां।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार से जो बिजली के बटवारे की बातचीत चल रही है तो मध्य प्रदेश की सरकार कितने किलोवाट बिजली चाहती है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---चाहने की जहां तक बात है वह तो जो चाहे मांग सकते हैं लेकिन पहले रीवां स्टेट से हमारी बातचीत चल रही थी, चूंकि यह एरिया रीवां स्टेट में था। उसके बाद विन्ध्य प्रदेश में गया, अब मध्य प्रदेश से बातचीत चल रही है। वह ७५ फीसदी लेना चाहते हैं, हम दस देना चाहते हैं। तो अभी यह मामला बातचीत की स्टेज में है।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने रिहन्द बांध में जो खर्चा लगाया है उसका भी कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार से मांगा है और इसको लेकर दोनों सरकारों में मतभेद पैदा हो गया है और मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार को पंच बनाने का फैसला किया है? यदि हां, तो कितना रुपया इस सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से मांगा है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---जैसा मैंने कहा अभी बातचीत चल रही है कि कितनी बिजली उनको दी जाय। पहले रीवां स्टेट से जब बातचीत हुई थी तो उनसे यह तय हुआ था कि हम उनको ढाई हजार किलोवाट बिजली देंगे। उसके बाद वह बात आगे चलती रही। अभी तो यह बात निगोशियेशन स्टेज पर है। यह बात जोनल कौंसिल में भी उठी थी। उसमें यह तय हुआ था कि अगर आप बिजली लें तो उसका क्या खर्चा देंगे। भारत सरकार भी बीच में पड़ी। अन्त में निश्चय यह हुआ कि दोनों चीफ मिनिस्टर मिल कर आपस में बातचीत करें। तो हमारे चीफ मिनिस्टर जाने वाले हैं और कुछ न कुछ समझौता होगा ही।

बेगम हजरत महल के स्मारक की रूपरेखा

*९---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या १८५७ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना, बेगम हजरतमहल का स्मारक बनवाने की कोई योजना उसके विचाराधीन है?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---जी हां।

*१०---श्री झारखंडेराय---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उस राष्ट्रीय स्मारक की रूप रेखा से सदन को अवगत करायेगी?

श्री रऊफ जाफरी---स्मारक की रूप रेखा संलग्न विवरण में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४३३ पर)

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस पूरी योजना में सरकार का क्या व्यय होने का अनुमान है ?

श्री रऊफ जाफरी---अब की बजट में इस काम के लिये ५,५०० रुपया प्रोवाइड किया गया है।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसके अलावा भी लखनऊ में किसी पुराने शहीद अथवा आजादी के प्रमुख सैनिक या सेनापति का स्मारक बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री रऊफ जाफरी---यह सवाल तो सिर्फ बेगम हजरतमहल के मुताल्लिक था।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बेगम हजरत महल का स्मारक उस स्थान पर बनाया जा रहा है जहां से विदेशी मूर्तियों को हटा कर स्थान रिक्त हुआ था और जिसके लिये सोशलिस्ट पार्टी ने सत्याग्रह भी किया था ?

श्री रऊफ जाफरी---जहां पर क्वीन विक्टोरिया की छतरी बनी हुई है वहां पर एक पैडस्टल बनाया जायगा, उसी जगह पर बनेगा ।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां पर क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति थी उसी स्थान पर बेगम हजरत महल की मूर्ति स्थापित करने का कोई विचार है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं ।

लीसा वितरण पर विचार

*११---श्री गोविंदसिंह बिष्ट---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह सिविल और पंचायत वनों का पूरा लीसा कुमायूं के लोगों को वहीं उद्योग खोलने के लिये देने पर विचार करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---लीसा वितरण का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कुमायूं के सिविल वनों में वहां के लोगों को वही हक हैं जो उनके नाप में हैं ? इसमें वह एक्सटेंशन कर सकते हैं और मेजर्ड लैन्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां पर खड़े हुये पेड़ों का लीसा वहां के लोगों को देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---मैंने यह कब कहा कि सरकार को आपत्ति है। मैंने तो यह कहा कि यह सरकार के विचाराधीन है और इस बात को सोच लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस संबंध में गवर्नमेंट की लीसा कमेटी की क्या राय है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---इसके लिये मुझे सूचना चाहिये । लेकिन मैंने यह कहा कि यह प्रश्न बन्द नहीं हो गया है। जहां तक मैं समझता हूं इस पर गौर किया जा रहा है। एक इंडियन रोजिन टरपेंटाइन कम्पनी के साथ ठेका था। वह खत्म होने जा रहा है। इसके बाद हर पहलू पर विचार करके ठीक बात की जायगी।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जो पंचायत के फारेस्ट्स हैं उनके लिये जनता को अधिकार है और सरकारी जंगलों के लिये सरकार निर्णय करती है, तो क्या यह फैसला विचाराधीन है कि पंचायत के फारेस्ट् का लीसा जनता को दिया जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---यह तमाम सवाल विचाराधीन हैं कि जनता को दिया जाय या किस को कितना दिया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि यह फैसला ११ वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी शताब्दी और यह विचाराधीन रहेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—बहुत जल्दी फैसला होगा। दस वर्ष तो पुराने हो गये।

बिरनों-आजमगढ़ सड़क पर तारकोल लगवाने की योजना

*१२—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर) तथा श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गाजीपुर जिले में बिरनों-दुलहपुर होती हुई जो सड़क आजमगढ़ जाती है, उस पर पीच (तारकोल) लगवाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ होने की संभावना है ?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग—जी हां।
द्वितीय भाग—जून, १९६१ तक।

श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बतायेगी कि गाजीपुर-बिरनों-दुलहपुर-आजमगढ़ रोड के बनाने की योजना कब बनी थी ?

श्री धर्मसिंह—यह १९५८-५९ में स्वीकृत हुई थी।

श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बतायेगी कि इतनी देर करने का क्या कारण हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—अब तो दो ही महीने रह गये हैं। अब क्यों देर की बात पूछते हैं ?

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में जो सड़क बिरनों-दुलहपुर होती हुई आजमगढ़ को जाती है उसके बनाने की योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

श्री धर्मसिंह—गाजीपुर-आजमगढ़ सड़क जो बिरनों-दुलहपुर होती हुई आजमगढ़ जाती है, उस पर ४ लाख ८० हजार रुपया खर्च होगा।

*१३—श्री गौरीशंकर राय—[३ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

फतेहपुर-सीकरी को बिजली देने की प्रार्थना

*१४—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री प्रदेश के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर फतेहपुर-सीकरी, जिला आगरा में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बिजली पहुंचाने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगभग १,५०० गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है। अभी इस बात का फैसला नहीं किया गया कि यह गांव कौन-कौन से होंगे।

रिहन्द से बिजली देने की योजना

*१५—श्री मुक्तिनाथराय तथा श्री गौरीशंकर राय—तारांकित प्रश्न संख्या ४७, दिनांक २९ मार्च १९६१ के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द की ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण इस वर्ष के अन्त तक हो जाने पर किन-किन जिलों को बिजली मिलने लगेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—ट्रांसमिशन लाइनों के अलावा सब-स्टेशन भी बिजली देने के लिये जरूरी होते हैं। इन सब-स्टेशनों के मार्च, १९६२ तक बन जाने की आशा है, तब बिजली मिर्जापुर, वाराणसी व इलाहाबाद के जिलों को मिल सकेगी।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शेष जिलों को, जैसे आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया आदि जिलों को, कब से रिहन्द पावर स्टेशन से बिजली मिलने लगेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—अभी तो यह योजना है कि रिहन्द को गोरखपुर से जोड़ दिया जाय। अलग-अलग स्थानों को बिजली पहुंचाने की दूसरी स्कीम है। गोरखपुर और आजमगढ़ में इस वक्त भी काफी मात्रा में बिजली है।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, प्रश्न में बड़ा स्पष्ट ट्रांसमिशन लाइन्स के पूरी होने के सम्बन्ध में पूछा गया है और उन्होंने जो जवाब दिया है उस में सब-स्टेशन की बात कही है, तो मैं स्पष्ट कराना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि ट्रांसमिशन लाइन्स कम होने की वजह से ग्रिड नहीं बन रहा है, ग्रिड न बनने की वजह से बिजली का रेट कम नहीं हो रहा है और बनारस और गोरखपुर डिवीजन में बिजली नहीं जा रही है ? यदि हां, तो क्य सरकार कृपया बतायेगी अन्तिम रूप से यह ट्रांसमिशन लाइन्स कब तैयार होंगी और ग्रिड कब बनेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जहां तक गोरखपुर का सवाल है वहां तो बिजली है। अब हमारी सरकार का विचार है कि रिहन्द को गोरखपुर में जोड़ दिया जाय क्योंकि आप को मालूम है कि हाइडिल और थर्मल पावर जोड़े देने से ज्यादा मात्रा में बिजली मिलती है। लेकिन अभी तक जो स्कीम थी वह यह थी कि मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज के आस-पास ट्रांसमिशन लाइन्स बनायी गयी थीं। आगे जब सब-स्टेशन तैयार हो जायंगे, साथ में लाइन लगाई जा रही है, जब वह तैयार हो जायेगी, तो बिजली मिलने लगेगी।

बिक्री-कर संशोधनों पर टैक्सेशन बार एसोसियेशन, मिर्जापुर के एतराज

*१६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार के पास मिर्जापुर के टैक्सेशन बार एसोसियेशन से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (अस्थायी) रूल्स, १९४८ में जो प्रस्तावित संशोधन ११ मार्च, १९६१ के गजट में छपे हैं उनके सम्बन्ध में कोई एतराज आये हैं ?

डाक्टर जवाहरलालरोहतगी—जी हां।

*१७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अगर हां, तो सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—आवेदन-पत्र पर सरकार विचार कर रही है।

*१८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार उपर्युक्त एतराजों की एक प्रति-लिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—टैक्सेशन बार एसोसियेशन, मिर्जापुर द्वारा इस सम्बन्ध में भेजे गये आवेदन-पत्र दिनांक २२ मार्च, १९६१ की †प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—सरकार मिर्जापुर के टैक्सेशन बार एसोसियेशन के जिन प्रस्तावित संशोधनों पर विचार कर रही है, उनका फैसला कब तक हो जाने की संभावना है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—ऐसे बहुत से एतराज आ रहे हैं, सभी देखे जा रहे हैं। उनका कायदा यह है कि उसका नोटिस दिया जायगा और देखा जा रहा है। उसमें टाइम लगेगा। जो तय होगा वह टेबिल पर भी रखा जायगा। कोशिश होगी कि जल्द से जल्द तय हो। उसमें बहुत से एतराजात हैं, यही एतराज नहीं हैं, जो किये हैं।

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई।

इलाहाबाद तथा नैनी में विद्युत् अभाव दूर करने का प्रयास

*१९---श्री कैलाशनारायण गुप्त (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह इलाहाबाद नगर के उद्योगों विशेषकर नैनी के उद्योगों के लिये बिजली के अभाव को दूर करने का क्या प्रयत्न कर रही है और यह अभाव कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इलाहाबाद और विशेषकर नैनी में बिजली के अभाव को दूर करने के लिये सरकार ने ६ डीजल सेट, प्रत्येक २५० के० डब्ल्यू० के, यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि० इलाहाबाद को पट्टे (Lease) पर दिये हैं। यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी इन सेटों को नैनी में लगाकर चला रही है। यह कम्पनी, इलाहाबाद के निकटवर्ती सरकारी ट्यूबवैलों को लगभग २,००० किलोवाट बिजली दे रही है। राजकीय विद्युत् परिषद् ऐसा प्रबन्ध कर रहा है कि इन ट्यूबवेल को उसके मऊ तथा भदोही के पावर स्टेशनों से बिजली दे दी जाय, ताकि इलाहाबाद के पावर स्टेशन पर भार हल्का हो जाय। मिर्जापुर से ३३,००० वोल्ट की एक टेम्पोरेरी लाइन लगा कर रिहन्द से भी लगभग ३,००० किलोवाट बिजली अब से लगभग एक साल के अन्दर इलाहाबाद में देने की चेष्टा की जा रही है। इसके बाद जब दो या ढाई साल में २२० किलोवोल्ट की लाइन मिर्जापुर से इलाहाबाद तक बन जायगी तब और अधिक मात्रा में रिहन्द की बिजली इलाहाबाद में मिल सकेगी।

*२०--२१---श्री प्रतापसिंह---[३ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२--२३---श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---[३ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*२४--२६---श्री रामस्वरूप वर्मा---[३ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

बरोर ग्राम में हरिजनों की झोपड़ियां जलाने के सम्बन्ध में जांच

*२७---श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार दिनांक २९ जुलाई, १९६० के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३--४ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर किसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और आइन्दा क्या-क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---यह मामला अभी विचाराधीन है। शेष प्रश्न नहीं उठते।

*२८---श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन हरिजनों की झोपड़ी जलाई गई थीं उनके ऊपर फॉरेस्ट सेटिलमेंट आफीसर, झांसी के न्यायालय में जो मुकदमा चलाया गया था वह ३१ अगस्त, १९६० को सभी मुलजिमों को निर्दोष पाकर खारिज कर दिया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---सरकार को ज्ञात है कि जिन व्यक्तियों पर कुछ वन अपराध करने के कारण मुकदमा चलाया गया था वे वन बन्दोबस्त अधिकारी, झांसी द्वारा मुक्त कर दिये गये हैं।

*२९---श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वन मन्त्री के पास फरवरी, १९६१ में क्षेत्रीय विधायक द्वारा तथा मार्च, १९६१ में उक्त हरिजनों द्वारा इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---ग्राम बरोर के कुछ व्यक्तियों का दिनांक फरवरी १२, १९६१ ई० का संयुक्त प्रार्थना-पत्र तथा दिनांक फरवरी १५, १९६१ ई० का प्रश्नकर्त्ता का पत्र मार्च, १९६१ तथा फरवरी, १९६१ में क्रमशः प्राप्त हुये हैं। ये शासन के विचाराधीन हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जून के प्रश्न संख्या ४ के उत्तर में यह बतलाया था कि जो उचित कार्यवाही थी वह की गई है और बाकी आइन्दा की जायगी तो मैंने इस प्रश्न के द्वारा यह जानना चाहा है कि वह बाकी आइन्दा कार्यवाही आज तक नहीं की जा सकी है, उसका क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—विचार यह हो रहा है कि कार्यवाही क्या की जाय। उसके साथ बहुत से प्रश्न हैं उनको सोचकर शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि प्रश्न संख्या २६ में जो उल्लिखित प्रार्थना-पत्र हैं उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—यह एक बड़ा लम्बा-सा पत्र है लेकिन उसमें मेन यह है कि वहां पर कुछ काश्तकारों ने जंगल में अपने कुछ मकान बना लिये थे और उन मकानों को जब उन्होंने हटाया नहीं तो उनको उस समय जला दिया गया था।

श्री अध्यक्ष—उस प्रार्थना-पत्र में मांग क्या थी यह वह जानना चाहते हैं।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जो उनके साथ अत्याचार हुआ उन लोगों को सजा दी जाय, यह उनकी मांग थी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि उस प्रार्थना-पत्र के साथ अदालत द्वारा जो फैसला हुआ था उसकी प्रतिलिपि भी सरकार को दी गई थी और उसमें यह कहा गया था कि फारेस्ट गार्ड और लेखपाल ने यह कहा है कि अगस्त, १९५९ में वह जब वहां गये थे तो वहां पर झोपड़ी बनी हुई थी और माननीय वनमन्त्री ने २८ सितम्बर, ५९ में नियम ५२ के अन्तर्गत बयान दिया था कि वहां झोपड़ी नहीं थी? यदि हां, तो मन्त्री महोदय ने जो यह भ्रामक सूचना दी उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अभी जैसा मैंने कहा कि ये तमाम चीजें विचाराधीन हैं कि इस पर क्या कार्यवाही की जाय। यह बात मैं मानता हूं कि जो काम हुआ है वह बहुत अच्छा नहीं हुआ। इन झोपड़ियों का जलाना सरकार ने बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। इस वक्त इसमें क्या कार्यवाही की जाय इस बात पर विचार हो रहा है। मैं समझता हूं, शीघ्र ही इस पर निर्णय हो जायगा। जो घटना घटी है उसका हम लोगों को दुख है इसमें कोई सन्देह नहीं है।

पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

*३०—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाई स्कूल से ऊपर के क्लासों में वित्तीय वर्ष १९५९-६० में कुल कितने पिछड़ी हुई जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—२,७७७।

*३१—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाई स्कूल से ऊपर के क्लासों में वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कुल कितने पिछड़ी हुई जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—२,९९३।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पिछड़ी हुई जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति सरकार किस आधार पर दिया करती है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—ऐसा है कि जो शिड्यूल कास्ट के हैं उनको तो सब को दी जाती है लेकिन जो पिछड़ी जाति के लड़के होते हैं उनमें जिसके नम्बर अच्छे आते हैं उनको मैरिट के हिसाब से दी जाती है। जो अच्छे लड़के होते हैं और तेज होते हैं उनको दी जाती है और इसी आधार पर उनको दी गई है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार को विदित है कि पिछड़ी जाति में बड़े आदमी भी होते हैं और उनके यहां लड़कों को पढ़ाने-लिखाने के साधन होते हैं, वे प्राइवेट मास्टर भी रख सकते हैं, और इसलिये उनके लड़कों के लिये अच्छे नम्बर लाना आसान होता है, इसके विपरीत जो गरीब होते हैं उनको खाने का ठिकाना भी नहीं होता, तो क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि छात्रवृत्ति देते समय गरीबों को प्राथमिकता दी जाय ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—पिछड़ी जाति के बच्चों को मेरिट पर छात्रवृत्ति दी जाती है, अगर गरीब हैं तो उसका भी खयाल रखा जाता है ?

कई सदस्य—कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने यह कहा कि गरीबी का भी ध्यान रखा जाता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो छात्रवृत्ति देते समय गरीबी का ध्यान रखा जाता है उसका आधार क्या है ? किस तरह से आप जान पाते हैं कि वह गरीब है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इस बारे में उनके टीचर्स की रिपोर्ट मिलती है और अगर कभी कोई कुछ नम्बरों से रह जाता है, पिछला कैरियर अच्छा होता है तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स भी सिफारिश करते हैं कि यह केस दरअस्ल गरीब मालूम होता है और लड़का मेरिटोरियस है और अपनी बीमारी आदि की वजह से रह गया है। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जातियों में मोमिन और अंसार भी आते हैं और क्या मुसलमान धोबियों को भी छात्रवृत्ति दी जाती है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—यह मैं देख कर बतला सकता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के आदेश से पिछड़ी जातियों तथा शेड्यूल कास्ट का स्कालरशिप का पूल एक कर दिया गया है जिससे बैकवर्ड लोगों को स्कालरशिप में कम रकम मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रकम को बढ़ाने की बात सोच रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—पहले पिछड़ी जाति को दिया जाता था . . .

श्री अध्यक्ष—सुनायी नहीं दे रहा है।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—पहले तो शेड्यूल कास्ट को दिया जाता है और उस के बाद जो रुपया बचता है वह उनको दिया जाता है। कोई खास रकम नहीं है और १९५९-६० में हमने ११ लाख १९ हजार रुपया दिया था और १९६०-६१ में १२ लाख ४१ हजार रुपया दिया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो क्लासीफिकेशन होता है वह जातियों के आधार पर होता है या पिछड़ेपन और गरीबी के आधार पर होता है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—पहले मेरिट पर होता है, उसके बाद किसी खास-खास केस में गरीबी पर होता है ।

हरिजन कल्याण निदेशालय में लिपिकों के स्थायी पद

*३२—**श्री गौरीशंकरराय तथा श्री मुक्तिनाथराय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय हरिजन कल्याण निदेशालय में कितने पद लिपिकों के स्थायी हैं और उन पर कितने व्यक्ति स्थायी किये जा चुके हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त —१५ पद स्थायी हैं जिन पर ६ लिपिकों को स्थायी किया जा चुका है ।

*३३—**श्री गौरीशंकरराय** तथा **श्री मुक्तिनाथराय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त स्थायी पदों में कोई पद अभी तक रिक्त भी है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

श्री चन्दभानु गुप्त—जी हां । ९ पद निम्न प्रकार रिक्त हैं:

१ पद २५-३-५७ से,
१ पद १७-३-५९ से,
१ पद १९-१-६० से,
६ पद १-४-६० से रिक्त हैं ।

१९५१ में तीन कार्यालयों (हरिजन सहायक, रिक्लेमेशन तथा डिप्रेस्ड क्लास सेक्शन) को मिला कर निदेशालय, हरिजन कल्याण निर्माण हुआ । उन कार्यालयों के लिपिकों की ज्येष्ठता तथा कनिष्ठता का विवरण निर्धारित न हो सकने के कारण कोई व्यक्ति रिक्त पदों पर स्थायी नहीं किया जा सका ।

हरिजन कल्याण निदेशालय के अस्थायी लिपिक

*३४—**श्री मुक्तिनाथराय तथा श्री गौरीशंकरराय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय हरिजन कल्याण निदेशालय में कितने लिपिक कार्य कर रहे हैं और उनकी सेवाओं की अधिक से अधिक अवधि कितनी है तथा उनमें से कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—इस समय निदेशालय में ५९ लिपिक हैं जिनमें से एक की सेवाओं की अवधि ३० वर्ष से ऊपर है । ६ लिपिक स्थायी और शेष ५३ अस्थायी हैं । परन्तु इन ५३ में ४ लिपिक अन्य कार्यालयों में विभिन्न पदों पर स्थायी हैं ।

*३५—**श्री मुक्तिनाथराय** तथा **श्री गौरीशंकरराय**—उपर्युक्त कर्मचारियों में जो अभी तक अस्थायी हैं उनकी अधिक से अधिक सेवा की अवधि क्या है और उनको स्थायी न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विशुद्ध रूप से ४९ लिपिक अस्थायी हैं जिनमें से एक की अधिक से अधिक सेवा की अवधि ११ वर्ष से ऊपर है । इनको स्थायी न किये जाने का मुख्य कारण अधिकांश पदों का अस्थायी होना तथा लिपिकों की ज्येष्ठता (seniority) तथा कनिष्ठता (juiority) का विवरण निर्धारित न होना है ।

*३६-३७—**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)—[३ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

नोट—तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

हाइडिल इम्प्लाइज यूनियन, आजमगढ़ के अध्यक्ष का कथित प्रार्थना-पत्र

*३८—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ६ सितम्बर, १९६० को हाईडिल इम्प्लाईज यूनियन, आजमगढ़ के अध्यक्ष की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र, मन्त्री विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश और मुख्य अभियन्ता, विद्युत् विभाग उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या थीं और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

*३९—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अध्यक्ष, हाइडिल इम्प्लाइज यूनियन, आजमगढ़ ने ५ नवम्बर, १९६० को कोई प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियंता, आजमगढ़ को भी दिया था । यदि हां, तो किस विषय में और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता, आजमगढ़ को प्राप्त नहीं हुआ ।

बटलर रोड, लखनऊ, की मरम्मत का ठेका

*४०—श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ५,४२,००० रुपये से अधिक जो धन बटलर रोड, लखनऊ की मरम्मत के लिये दिया गया है उसमें से कितनी रकम मिट्टी के काम (earth-work) के लिये है ?

श्री गिरधारीलाल—इस कार्य की लागत ५,४३,२४० रुपये है जिस में से मिट्टी के काम के लिये १,७६,३८० रुपये हैं ।

*४१—श्री सुरथबहादुरशाह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त कार्य को करने के लिये किसको ठेका दिया गया है और किस प्रकार दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—सर्वश्री रामदयाल, रामजश तथा श्री बालखंडी प्रसाद ठेकेदारों को ।

द्वितीय भाग—वस्तुत रूप से विज्ञापन करके, आमंत्रित किये गये टेन्डर के आधार पर ।

आजमगढ़ के निकट टोंस बांध से कथित खतरा

*४२—श्री विश्रामराय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले में टोंस नदी के किनारे आजमगढ़ शहर के पास जो नया बांध बन रहा है उससे ग्राम कोल, नरोली और सिधारी को प्रतिवर्ष अतिवर्षा और बाढ़ के कारण खतरा पहुंचने की आशंका पैदा हो गई है ?

श्री गिरधारीलाल—इस बांध के निर्माण से कथित ग्रामों के आंशिक खतरे में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

*४३—श्री विश्रामराय—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त खतरे से बचाव के लिये क्या योजना बनायी गयी है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता ।

चकलौसी–संडीला सड़क पर सई नदी का पुल बनने में विलम्ब

*४४--श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)--चकलौसी–संडीला रोड (उन्नाव) पर सई नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में क्या सरकार तारांकित प्रश्न संख्या ११५, दिनांक २८ जुलाई, १९५९ के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि पुल निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारीलाल---पुल के डिजाइन में कई बार संशोधन के कारण तथा अनुमानित लागत के अन्दर कोई ठेकेदार नहीं मिलने के कारण।

*४५--श्री भोखालाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इस पुल के निर्माण का लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया था ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां ।

बांदा डिवीजन में तेंदू की पत्ती तथा इमारती लकड़ी का ठेका

*४६--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, बांदा के क्षेत्र में पृथक्-पृथक् जिलों में बीड़ी बनाने की तेंदू की पत्ती का ठेका १९५७, १९५८ और १९५९ में अलग-अलग कितने-कितने रुपयों का हुआ था ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)---बांदा डिवीजन में तेंदू की पत्तियों की बिक्री जो सन् १९५७, १९५८ व १९५९ में हुई, उसका ब्योरा निम्न प्रकार है :---

वर्ष	बांदा जिले में रुपया	हमीरपुर जिले में रुपया
१९५७	६,००,७३०	२६,४५०
१९५८	४,१६,५९७	९,७२५
१९५९	१,४४,९७५	६,४३५

*४७--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त डी०एफ०ओ० क्षेत्र में पृथक्-पृथक् जिले में अगस्त, १९५९ में जलाने और इमारती लकड़ी का ठेका कितने रुपयों का हुआ था और ठेका किन-किन तारीखों में दिया गया था ?

श्री अलगूराय शास्त्री---बांदा डिवीजन के १९५९ के नीलाम में इमारती लकड़ी के लाट नहीं थे। केवल ईंधन के लाट बेचे गये थे उनमें कुछ छोटी-छोटी २ बल्लियां इत्यादि थीं जो कि छप्परों के छाने के काम आती हैं। इनकी जो कीमत विभाग को प्राप्त हुई वह निम्न प्रकार हैं:---

जिले का नाम	लाटों की संख्या	बेचने की तिथि	मूल्य जो प्राप्त हुआ
बांदा	२०	२९ व ३० जुलाई, १९५९	१,३२,०८५
बांदा	१०	१७–९–५९	८२,९७५
हमीरपुर	८	२९ व ३० जुलाई, १९५९	३१,९२५

*४८---श्री रामसुन्दर पांडेय---[११ मई, १९६१ के लिये प्रश्न ९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया] ।

कानपुर जिले में हरिजनों को छात्रवृत्तियां तथा लखनऊ जिले में हरिजन कल्याण विभाग को अनुदान

*४९---श्री जोखई (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर में १९५९–६० में कक्षा ६ से कक्षा१० तक के हरिजन छात्रों तथा छात्राओं को कितने माह की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी और प्रत्येक कक्षा में छात्रवृत्ति की प्रतिमाह दर क्या थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला कानपुर में कक्षा ६ से १० तक की कक्षा में पढ़ने वाले नये छात्र व छात्राओं को ८ माह तथा पुराने छात्र व छात्राओं को ४ माह की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी थी। कक्षा ६ में छात्रवृत्ति की दर ६ रु० प्रति माह तथा कक्षा ७ व ८ में ८ रु० प्रति माह तथा कक्षा ९ व व१० में १२ रु० प्रति माह है।

*५०—श्री जोखई—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर में १९५९-६० में कक्षा ६ से कक्षा १० तक के हरिजन छात्रों तथा छात्राओं को कितने माह की छात्रवृत्ति दे दी गई और कितने माह की देना शेष है ? जो छात्रवृत्ति देना शेष है उसके अब तक न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सब छात्र व छात्राओं को फरवरी, १९६० तक की सब छात्रवृत्ति दे दी गयी है। केवल ७ छात्रों तथा १ छात्रा का भुगतान नहीं हुआ क्योंकि इनमें से १ छात्र का लम्बी अनुपस्थिति के कारण नाम काट दिया गया, १ छात्र व १ छात्रा ने स्कूल छोड़ दिया तथा ५ छात्रों के बिल स्कूलों से प्राप्त नहीं हुये।

*५१—श्री जोखई—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला लखनऊ में हरिजन कल्याण विभाग को विभिन्न मदों के अनुदान के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा १९५८-५९, १९५९-६० तथा १९६०-६१ में कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और अब तक प्रत्येक वर्ष में विभिन्न मदों पर कितनी धनराशि उपयोग की गई है, कितनी शेष है और कितनी लैप्स हो गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना †संलग्न है।

गोरखपुर वन विभाग का ठेकेदारों पर बकाया

*५२—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर वन विभाग का १९५२-५३ से १९५९-६० तक का बकाया किन-किन ठेकेदारों के जिम्मे चला आ रहा है और उनमें से कितने इस समय उत्तर प्रदेश में हैं और कितने पाकिस्तान चले गये हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जिन-जिन ठेकेदारों पर गोरखपुर डिवीजन, वन विभाग का बकाया रुपया १९५२-५३ से १९५९-६० तक का है उनकी सूची †संलग्न है। जितने भी ठेकेदारों पर बकाया रुपया है वे उत्तर प्रदेश में ही हैं। जहां तक पता लगाया जा सका है, वे कोई पाकिस्तान नहीं गये हैं।

*५३—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन-जिन ठेकेदारों के जिम्मे गोरखपुर वन विभाग का उपर्युक्त वर्षों का बकाया अब तक चला आ रहा है उनसे वसूली का कौन-सा तरीका अपनाया गया है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—संबंधित जिलाधीशों को बकाया वसूली के लिये लिखा जा चुका है। जो ठेकेदार अब भी वन विभाग में ठेके का काम कर रहे हैं उनकी वसूली के लिये जिलाधीशों को नहीं लिखा गया है वरन् वन विभाग उन से वसूली कर रहा है।

राप्ती पर बर्डघाट तथा तमसा पर मऊ के पुल का निर्माण

*५४—श्री हरखंडेराय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बर्डघाट (गोरखपुर) में राप्ती पर और मऊ (आजमगढ़) में तमसा पर जो पुल निर्मित हो रहे हैं उनमें अब तक कितना काम हो चुका है और इन पुलों के निर्माण-कार्य के पूर्ण होने में अभी कितनी देर है ?

---

†सूचना छापी नहीं गई।

श्री गिरधारीलाल—बर्डघाट में राप्ती नदी के पुल पर ६५ प्रतिशत और मऊ में तमसा नदी के पुल पर ३५ प्रतिशत कार्य हो चुका है। बर्डघाट के पुल का निर्माण कार्य जनवरी, १९६२ तक और मऊ के पुल का कार्य दिसम्बर, १९६२ तक पूर्ण होने की आशा है।

खीरी जिले में वन विभाग में काश्तकारों की कथित अधिगृहीत भूमि

*५५—**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में १९५९ और १९६० में वन विभाग के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों की कितनी-कितनी भूमि सरकारी वनों में एक्वायर की गई और कितनों की जमीन अभी और एक्वायर करने का सरकार का इरादा है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—खीरी जिले में १९५९ और १९६० में वन विभाग द्वारा कोई जमीन एक्वायर नहीं की गई अथवा इस समय बन विभाग का इरादा कोई भूमि एक्वायर करने का नहीं है।

*५६—**श्री बंशीधर शुक्ल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन-जिन काश्तकारों की जमीनें वन विभाग में ली गई हैं उनकी लिखा-पढ़ी पटवारी के खाते में किस-किस प्रकार की थी और उसमें जंगल था या फसल खड़ी थी ?

श्री अलगूराय शास्त्री—प्रश्न नहीं उठता।

*५७—**श्री बंशीधर शुक्ल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन काश्तकारों की जमीन ली गई है या ली जा रही है उसमें कितने वृक्ष प्रति एकड़ किस-किस चीज के लगे थे या लगे हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—यह प्रश्न भी नहीं उठता।

भीरा—पलिया सड़क में अधिगृहीत भूमि का प्रतिकर

*५८—**श्री छेदीलाल** (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के अन्तर्गत गोला से मैलानी तथा भीरा से पलिया रोड में जो जमीन किसानों से ली गई थी उसका मुआवजा किसानों को दिया गया या नहीं और वह जमीन कब किसानों से ली गई थी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जिला खीरी के अन्तर्गत गोला से मैलानी रोड नहीं बनी है। भीरा से पलिया रोड में जो जमीन किसानों से ली गई थी उसका मुआवजा किसानों को नियमानुसार दिया गया।

द्वितीय भाग:—भूमि का नियमानुकूल दखल किसानों से दिनांक १४-८-६० व २०-९-६० को लिया गया।

*५९—**श्री छेदीलाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उपर्युक्त किसानों को रोड के लिये जमीन लिये जाने के बाद अब तक उपर्युक्त जमीन का लगान देना पड़ता है ? यदि हां, तो अब तक उन किसानों द्वारा कितना रुपया इस प्रकार दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता।

*६०—**श्री छेदीलाल**—क्या सरकार उपर्युक्त किसानों को उनके इस तरह से दिये गये लगान को वापस करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न ही नहीं उठता।

रिहन्द बांध की डूब में आई जमीन का मुआवजा

*६१—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलग-अलग मध्य प्रदेश तथा इस प्रदेश के कितने गांवों की जमीन, मकान तथा सम्पत्ति रिहन्द बांध की डूब में पड़ी है और दोनों प्रदेशों की उक्त जमीन का अलग-अलग क्षेत्रफल क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

	गांवों की संख्या	जमीन
मध्यप्रदेश	५५	३०,४२१ एकड़
उत्तर प्रदेश	१०६	४२,६३५ एकड़

*६२—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने मध्य प्रदेश सरकार को कितना रुपया उन गांवों की जमीन और सम्पत्तियों के मुआवजे के रूप में दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को अभी कोई रुपया नहीं दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च, १९६१ तक ४१,२६,११६ रु० मुआवजे के रूप में बांटा है जो उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश सरकार को देगी।

*६३—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिहन्द डैम में पड़ने वाली जमीन का जो उत्तर प्रदेश के निवासियों की है उनको कितना मुआवजा दिया गया है और कितना बाकी है और उक्त विस्थापित व्यक्तियों में से कितनों को पुनर्वासित किया जा चुका है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१५ अप्रैल, १९६१ तक ७८.८ लाख रुपया मुआवजे के रूप में दिया जा चुका है और लगभग २.५ लाख रुपये देना बाकी है। कुल ६,१३९ परिवार विस्थापित हुये हैं उनमें से ४,९३६ को अब तक पुनर्वासित किया जा चुका है।

झांसी जिले में वन विभाग की भूमि

*६४—**श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में १९५२ में जिले की कितनी प्रतिशत भूमि में और कुल कितने एकड़ भूमि में प्रत्येक तहसील में अलग-अलग सरकारी वन था और १९६० में कितने एकड़ में था ?

*६५—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में १९५२ से १९६० तक कितने एकड़ जंगल व परती जमीन किन-किन गांवसभाओं से वन विभाग ने कितनी कितनी भूमि अपने अधिकार में ली और किस काम के लिये ?

श्री अलगू राय शास्त्री—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

पशु विहारों में पर्यटन विकास के अन्तर्गत व्यय

*६६—**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा)—क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन पशु विहारों में पर्यटन विकास के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहां-कहां कितना-कितना धन खर्च किया गया ?

श्री अलगू राय शास्त्री—पशु बिहारों में पर्यटन विकास के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहां-जहां जितना-जितना धन व्यय हुआ उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४३४ पर)

हरदोई–शाहाबाद सड़क की मरम्मत

*६७––श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में शाहाबाद, हरदोई की पी० डब्लू० डी० रोड की मरम्मत गत कितने वर्षों से नहीं हुई है ?

श्री गिरधारीलाल––इस सड़क की मरम्मत प्रति वर्ष होती रहती है।

अयोध्या के निकट सरजू के पुल निर्माण पर व्यय

*६८––श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा), श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ) तथा श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अयोध्या के निकट सरजू नदी पर जो पुल बन रहा है उसमें अब तक कितना कार्य हो पाया है और कार्य के पूर्ण होने में अभी और कितना समय लगने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल––प्रथम भाग––नदी के दोनों तरफ बन्ध बन चुके हैं।

द्वितीय भाग––कार्य के मार्च, १९६५ ई० के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है।

*६९––श्री बलदेवसिंह, श्री रामशरण यादव तथा श्री गंगाप्रसाद––इस पुल पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है तथा कुल कितना धन और लगने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल––प्रथम भाग––लगभग ७३ लाख रुपये।

द्वितीय भाग––१३९.५२७ लाख रुपये।

*७०––श्री बलदेव सिंह, श्री रामशरण यादव तथा श्री गंगाप्रसाद––इस पुल का क्या नाम होगा ?

श्री गिरधारीलाल––कोई नाम निश्चित नहीं है।

गोंडा जिले में किसानों को वन क्षेत्र से लकड़ी की सुविधा

*७१––श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में वन क्षेत्र के निकट रहने वाले किसानों को रियायती मूल्य पर लकड़ी देना बन्द कर दिया गया है जो सदा से मिल रही थी ?

*७२––क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वन क्षेत्र के किसान तथा अग्नि पीड़ितों के लिये मकान बनाने हेतु लकड़ी की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री अलगूराय शास्त्री––आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

खागा तहसील के महन्ना ऊसर को बसाने की योजना

*७३––श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर के अन्तर्गत तहसील खागा में महन्ना ऊसर में विमुक्तों को बसाने की योजना में क्या प्रगति हुई है ?

श्री चन्द्रभानुगुप्त––ऐसी कोई योजना नहीं है। अतः प्रगति का प्रश्न नहीं उठता।

*७४––श्री वासुदेव दीक्षित––क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उक्त ऊसर में कृषि करने के लिये लगभग ४०० परिवारों को बसाने की स्वीकृति दी गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

हरिजन कल्याण के केन्द्रीय अनुदान का शेष धन

१—श्री मोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती) तथा श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा हरिजन कल्याण की मद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित धनराशि में से अभी कितना रुपया शेष है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी सूचना एकत्र की जा रही है।

राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) के अल्मूनियम के कारखाने के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार जो विषय मेरे सामने उपस्थित किये गये हैं ध्यान आकृष्ट करने के लिये उसमें से मैंने श्री झारखंडे राय जी का स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है—"राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) निकट स्थित निर्माण हेतु अल्मूनियम कारखाने के १०,००० मजदूरों ने गत २४ अप्रैल से हड़ताल प्रारम्भ कर दी है और कारखाने का कार्य ठप हो गया है। २३ अप्रैल को कारखाने के निर्माण कार्य में रत मजदूरों की १०० झोपड़ियां जल कर भस्म हो गयीं और उसमें उनकी सारी कमायी स्वाहा हो गयी। मजदूरों का कहना है कि उनको रहने के लिये मकान तथा पीने के लिये पानी की समुचित व्यवस्था की जाय। पी० वाई० एस० पी० के नेतृत्व में पुलिस फोर्स क्षेत्र में पहुंच गयी है। गश्त जारी है। मजदूरों में आतंक व्याप्त है। स्थिति गम्भीर है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कब वक्तव्य देना चाहेंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—तीन दिन का समय इसके लिये चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप सोमवार को वक्तव्य दे दें।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, एक मैंने भी नियम ५२ का प्रश्न दिया था . . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये। एक दिन में एक ही प्रस्ताव लिया जा सकता है। मैंने आज एक प्रस्ताव ले लिया है।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १७—कारागार (जेल)

भाव्कारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—कारागार (जेल) के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर १,६९,६०,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—कारागार (जेल) के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर १,६९,६०,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं इस पर विभाजन चाहता हूं, यह जेल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदान है।

श्री अध्यक्ष--ठीक है इस पर तो विभाजन होना चाहिये क्योंकि कुछ लोग जेल जाने वाले हैं, कुछ न जाने वाले हैं। (हंसी)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ --

पक्ष में --- १४५,
विपक्ष में --- ११।)

अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)--अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ८१,७१,३०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

आय-व्ययक की मांगों में लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को कम करने पर वैधानिक आपत्ति

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जो पद्धति माननीय मंत्री जी ने अपनाई है उन्होंने वोट आन अकाउन्ट के द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ दिया है। अगर हम उसको भी मिला लें तो यह डिमांड जो पूरी हाउस के सामने होनी चाहिए वह ८९,१४,३०० रुपये की है। मेरा विचार है कि यह बिल्कुल गलत प्रोसीजर माननीय मंत्री जी ने अपनाया है। मैंने काफी अध्ययन भी किया और मेरा विचार यह भी है कि पूरी डिमांड विधान के अनुसार आनी चाहिए, नहीं तो हम खर्चे का अन्दाजा ठीक तौर से नहीं कर सकेंगे और जो माननीय मंत्री जी का मंशा है वह भी नहीं पूरा हो सकेगा।

इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि पहले भी पिछले वर्षों में जब वोट आन अकाउन्ट आया था तो पूरी डिमांड पेश की गयी थी, इसकी सूचना मुझे बाद को प्राप्त हुई। आज वह परम्परा सरकार और विभाग की ओर से अक्समात् बदल दी गयी है और उस धनराशि को घटा दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान संविधान की धारा २०६ की ओर दिलाना चाहूंगा। इसमें लिखा हुआ है--

"Notwithstanding anything in the foregoing provisions of the Chapter, the Legislative Assembly of a State shall have power—

(a) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 203 for the voting of Such grant and the passing of th law in accordance with the provisions of article 204 in relation to that expenditure ;"

इससे स्पष्ट है कि वोट आन अकाउंट की ग्रांट ऐडवांस के रूप में है और तब तक के लिए यह पेंडिंग है जब तक कि अनुच्छेद २०३ के अनुसार प्रोसीज्योर पूरा न हो जाय।

धारा २०३ में प्रोसीज्योर यह है कि मंत्री जी डिमांड फ़ार ग्रांट्स को अलग-अलग सदन में पेश करेंगे। इसका मतलब यह है, जैसा कि पहले इस सदन में दो बार हुआ है कि डिमांड हमारे सामने वोट आन अकाउंट के रूप में पेश नहीं हुई, बल्कि ऐडवांस के रूप में विशेष रूप से मंजूर की गयी। हाउस आफ़ कामंस में भी यही करीब-करीब प्रणाली है। वहां अप्रोप्रिएशन ऐक्ट पारित नहीं होता, बल्कि जो बिद्ड्रील्स हैं कंसालिडेटेड फंड के मुताबिक, वही पारित किये जाते हैं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दूसरी बात यह है कि आर्टिकिल २०६ में "डिमांड" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि जब हम ने वोट आन अकाउंट के मामले में धनराशि मंजूर की तो उस समय जो हमने अधिकार दिया सरकार को वह डिमांड के रूप में, वोट के रूप में नहीं दिया, बल्कि ऐडवांस के रूप में दिया, इसलिये आज वह धनराशि भी हमारे सामने जानी चाहिए।

तीसरे यह है कि अनुच्छेद २०६ के अन्त में ये शब्द लिखे हैं—

".....the Legislature of the State shall have power to authorise by law the withdrawal of moneys from the Consolidated Fund of the State for the purposes for which the said grants are made".

यहां पर "विदड्राल" शब्द का इस्तेमाल किया गया है, "अप्रोप्रिएशन" का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप धारा २०४ देखें जिसमें कि एप्रोप्रिएटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं है, विदड्राल शब्द का इस्तेमाल है इससे भी स्पष्ट होता है कि वोट आन एकाउन्ट का रुपया केवल विदड्रा किया जा सकता है, एप्रोप्रिएट नहीं किया जा सकता है। और एप्रोप्रिएशन की ताकत केवल एप्रोप्रिएशन ऐक्ट से दी जा सकती है।

चौथी बात यह है कि २०६ आर्टिकिल को आप देखेंगे तो वोट आन एकाउन्ट के लिये राज्यपाल महोदय की सिफारिश की जरूरत नहीं है क्योंकि आर्टिकिल २०६ (२) केवल दो मानों में प्रभावी है। पहली बात तो यह कि अगर कोई रुपया विदड्रा कर लिया जाय तो उसका अर्थ यह होगा कि वह खर्च किया जा सकता है और दूसरे यह कि कंसालिडेटेड फंड से जो ग्रान्ट दी जायगी वह ग्रान्ट इन एडवान्स मानी जायगी। यह आर्टिकिल २०६ (२) से स्पष्ट हो जाता है लेकिन उसका भी उल्लेखनीय आर्टिकिल २०३ में नहीं है। उसमें लिखा है :

"No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Governor".

वोट आन एकाउन्ट के लिये राज्यपाल महोदय की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्यपाल महोदय को एडवांस में खर्च करने के लिये देंगे इसलिये उसकी सिफारिश लेने का प्रश्न नहीं उठता। वोट आन एकाउन्ट में राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है इसलिए पूरी धनराशि को शामिल कर के डिमान्ड में रखना चाहिए।

इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि आप माननीय मंत्री जी को आदेश दें कि वह संविधान की धारा २०६ की मान्यता के अनुसार कटी हुई धनराशि हमारे सामने पेश न करें बल्कि पूरी डिमांड हमारे सामने पेश करें। वैसे भी आप देखेंगे कि माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है उसमें लिखा है "लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर" और उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि लेखानुदान किस सन् का है और कितनी धनराशि का है। इससे कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह पूरी डिमान्ड हाउस के सामने पेश करें अन्यथा हाउस अपने अधिकारों से वंचित हो जायगा।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ने अभी जो बात रखी उनमें उन्होंने काफी अध्ययन किया है और उन्होंने कहा भी था कि वह प्वाइन्ट रेज करेंगे। इस वक्त जो बात मेरी समझ में आती है वह मैं अर्ज करना चाहता हूं। अगर हमारे मित्र की बहस मान ली जाय और पूरी डिमान्ड पेश की जाय तो डबुल वोटिंग हो जायगी। मान-लीजिये साल भर के लिये १२ करोड़ का बजट है जिसमें से एक करोड़ यानी उसका १/१२ वोट आन एकाउन्ट हो गया और १२ करोड़ फिर पेश करते हैं तो वह १३ करोड़ हो जायगा। लिहाजा यह बात अकल के खिलाफ मालूम होती है क्योंकि उसमें डबुल वोटिंग हो जायगी। यह राय सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि अगर बसु की कमेन्टरी को देखा जाय तो उसमें भी उन्होंने लिखा है :—

"When the annual grant for any service is finally voted by Parliament, the amount already included in the Vote on Account is deducted from the total amount of the estimate and only the balance is put for the Vote of the House".

इस राय की उन्होंने भी ताईद की है और वैसे भी मालूम होता है कि डबुल वोटिंग हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि जिस शक्ल में अनुदान पेश किया गया है वह ठीक और जायज़ है।

दूसरी बात यह है कि यह एतराज़ बहुत बिलेटेड है। आज से पहले बहुत सी ग्रान्ट्स इसी तरीके से पास हुई हैं। इसलिये बिलेटेड स्टेज पर यह जो प्वाइंट रेज़ किया गया है वह काबिलेगौर नहीं है।

श्री अध्यक्ष--इस पर मैं कल फैसला दूंगा। वैसे तो यह बतला दूं कि इसी तरह से कई अनुदान पहले पास हो चुके हैं और अभी जो यह प्रथा चल रही है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे कि अब तक जो आपने अनुदान स्वीकार किये वह अवैधानिक या बेकार हो जायं ऐसी बात नहीं है। प्रथा यह गलत भी हो तो भी उसका परिणाम यह नहीं निकल सकता इसलिये उसको जारी रखने में कोई ऐतराज नहीं है लेकिन क्या तरीका होना चाहिये इस विषय में मैं अध्ययन करना चाहूंगा और कल माननीय मंत्री जी भी अध्ययन करके आयें क्योंकि अभी तो उन्होंने एक ही प्रश्न अपने सामने रखा और जो "उन्हें सूझता है" वह बता दिया। लेकिन इसके अलावा और भी स्टडी करके वे आयें कि कहां-कहां क्या क्या प्रथा है। उनको सुनने के बाद मैं फैसला दूंगा। अभी आबकारी मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी--(क्रमागत)

डाक्टर सीताराम--अध्यक्ष महोदय एक्साइज डिपार्टमेन्ट में ४ सब-सेक्शन हैं रेवेन्यू साइड, प्राहीविशन, स्क्वैड और डिस्टीलरी। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में या कहीं और अगर डिस्कशन होता है तो वह प्राहीविशन पर होता है। इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि इस बजट के संबंध में जो भी आंकड़ें सरकार के पास उपलब्ध हैं मैं उन्हें उपस्थित करने का प्रयास करूं जहां तक राजस्व की बात है वह इस प्रकार है--

सन्	रुपये में अनुमानित आय	रुपयों में वास्तविक आय
१९५९-६०	५,४६,४८,८००	६,५९,५०,४३२
१९६०-६१	६,०५,८०,०००	७,१३,००,०००
१९६१-६२	६,२२,१६,२००	(आशा की जाती है)

और वास्तविक आय जैसा कि इस साल हुआ है उसको देखते हुए आशा की जाती है कि १९६२ के मार्च में करीब ८ करोड़ के रेवेन्यू पहुंच जायगा।

जैसा कि आप इस बजट में देखेंगे कुछ एडीशनल स्टाफ की मांग की गयी है। अगर माननीय सदस्यों ने इस बजट को देखा होगा तो उन्हें यह मालूम पड़ेगा कि चमोली में एक नया विभाग खोला जा रहा है, उसके कारण स्टाफ में कुछ बढोत्तरी हो रही है। साथ ही साथ मेरठ डिवीजन एक बड़ा डिवीजन हो गया है जिसको बाईफरकेट करने की आवश्यकता पड़ी। वहां डिस्टिलरियों की संख्या बहुत ज्यादा है मोलेसेज प्रोडक्शन फैक्ट्रीज भी बहुत ज्यादा हैं इसलिये वहां के लिये एक असिस्टेन्ट एक्साइज कमिश्नर की पोस्ट की आवश्यकता पड़ी। साथ ही मोलेसेज जिससे पावर अलकोहल निकाला जाता है उसको कंट्रोल करने के लिये वहां पर काफी पोस्ट्स क्रियेट की गयी हैं जैसे ५ इंस्पेक्टरों की और २० सब इंस्पेक्टरों की पोस्ट्स क्रियेट की गयीं हैं। इसके साथ ही साथ कुछ स्टाफ और रखा गया है। इसके अलावा टेक्नीकल चीजों को देखने के लिये एक टेक्नीकल एडवाइज़र क्लास (१) की पोस्ट क्रियेट की गयी है।

मैं इस संबंध में यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विभाग १७९० से चला आ रहा है, फिर भी इसके स्टाफ पर केवल ४ प्रतिशत खर्चा हो रहा है जो कि कम खर्चा करने वाले विभागों

[डाक्टर सीताराम]

में ये फिगर्स सबसे कम होंगी। टेक्निकल ऐडवाइजर की पोस्ट को आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जितनी डिस्टलरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं उनमें जो भी टेक्निकल बातें हों उनको एडवाइस करें। इसके साथ ही मैं यह कह देना भी उचित समझता हूं कि यहां एक आफिसर थे जो बड़ी योग्यतम से कार्य कर रहे थे वे क्लास २ के थे और उनको ४०० रुपया तनख्वाह मिलती थी लेकिन केन्द्रीय सरकार में वे इसलिये चले गये कि वहां उनको १,६०० रुपया प्रतिमास तनख्वाह मिली। तो इस टेक्निकल पोस्ट के लिये मैं यह कह देना भी उचित समझता हूं कि शायद कोई उपयुक्त कैंडिडेट भी इस प्रदेश में न मिले, इसलिये इस पोस्ट को क्रियेट करने की आवश्यकता पड़ी और इस पूरे स्टाफ पर करीब ५२,५०० रुपये खर्च होगा।

वेट एरिया, जहां शराबबन्दी नहीं है, वहां राजस्व की प्राप्ति सन् ५४–५५ में ५ करोड़ ६९ लाख, सन् ५५–५६ में ५ करोड़ ८९ लाख, सन् ५६–५७ में ५ करोड़ ८३ लाख, सन् ५७–५८ में ५ करोड़ ८३ लाख, सन् ५८–५९ में ५ करोड़ ९० लाख, सन् ५९–६० में ६ करोड़ ७० लाख रही और सन् ६०–६१ में ७ करोड़ १३ लाख तक पहुंच गई होगी। सन् ६१–६२ में हम आशा करते हैं कि इससे ज्यादा ही राजस्व की प्राप्ति होगी।

अब रहा प्रोहिबिशन सेक्शन–आज प्रोहिबिशन हमारे प्रदेश के ११ जिलों में तथा ३ धार्मिक स्थानों में लागू है; जैसे बदायूं, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर और रायबरेली के जिले में तथा हरिद्वार, ऋषिकेश, वृन्दावन, इन तीन तीर्थ स्थानों में मद्यनिषेध की योजना कई साल से चालू है। साथ ही साथ सरकार ने १९४६ में ही चरस को भी अवैध घोषित कर दिया जिससे सरकार को २१ लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ा। सन् १९५६–५७ में गांजे के ऊपर भी प्रतिबन्ध लगा जिसके फलस्वरूप ३३ लाख रुपये का सरकार को नुकसान हुआ। साथ ही साथ पहली जुलाई ५९ से अफीम पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया और इस तरह से सरकार को अफीम से ४६ लाख ५० हजार रुपये का नुकसान हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि चरस, गांजा और अफीम आदि से जो धन सरकार को प्राप्त हुआ, उसमें १ करोड़ ४० लाख ५० हजार रुपये का सरकार को घाटा हुआ। साथ ही साथ जिलों में मद्यनिषेध हुआ है। अगर कुल टोटल को लिया जाय तो इस तरह से करीब २ करोड़ ७८ लाख के नुकसान पड़ता है लेकिन फिर भी भारत के संविधान के अनुच्छेद ४७ में जो प्राविधान है उसके अन्तर्गत रेवेन्यु को दृष्टि में न रखते हुये भी सरकार ने इस कार्य को किया और वह आगे भी करती जा रही है।

इसके प्रचार कार्य के लिये स्टेट लेविल पर एक मद्यनिषेध अधिकारी है जिनके अन्तर्गत ६ गजटेड अधिकारी हैं जिनका रीजन है—वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, मुरादाबाद लखनऊ और गोरखपुर। वे मद्यनिषेध संबंधी प्रचार कार्य करते हैं और उनके अन्दर उनके साथ काम करने वाले २३ और मद्यनिषेध आर्गेनाइजर्स हैं और साथ ही साथ प्रत्येक जिले में एक-एक प्रचारक नियुक्त है।

प्रत्येक जिले में जहां कि मद्यनिशेध लागू नहीं है, एक प्रोहिबिशन बोर्ड है जिसके चेयरमैन नान आफिशियल होते हैं। पहले तो जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन ही उसके प्रेसीडेंट हुआ करते थे लेकिन अब अन्तरिम जिला परिषद् के वाइस चेयरमैन उसके प्रेसीडेन्ट हैं और एक्साइज आफिसर जो एस० डी० यम० या हाकिम परगना या सिटी मैजिस्ट्रेट होते हैं, वे उसके सेक्रेटरी होते हैं तथा सदन के माननीय सदस्य भी उसके मेम्बर हैं। और मुझे पूरी आशा है कि जितना सहयोग माननीय सदस्य देते रहेंगे उतनी ही मद्यनिषेध की योजना कार्य रूप में परिणत होती रहेगी। वह जिले जहां कि मद्यनिषेध नहीं है वहां पर टेम्परेन्स बोर्ड कायम हैं और उसी तरह से जैसे प्राहिबिशन बोर्ड में सदस्य हैं वैसे ही उस में भी हैं। मुझे आशा है कि जिला सलाहकार समिति मे माननीय सदस्य अच्छी तरह से अपने सुझाव कमेटी के सामने रखेंगे और उत्साह के साथ जनता को इस भावना से प्रेरित करेंगे जिस से हमारा समाज इस अभिशाप से जिस से कि वह

हजारों वर्षों से अभिशप्त है, अपने को मुक्त कर सकें । इसलिये मद्यनिषेध की जो भी नीति है, वह जब तक जनता में चेतना पैदा न की जाय तब तक यह कहना कि केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही यह बात हो जायगी, यह ठीक प्रतीत नहीं होता । माननीय सदस्यगण अपने अपने जिले की इस कमेटी में हैं और आशा है कि वह वहां पूरी तरह से कार्य सम्पादन करते होंगे और जनता में जनतन्त्र की भावना के साथ-साथ इस मद्यनिषेध की भावना को भी प्रेरित करते होंगे, ऐसी मेरी आशा और धारणा है ।

इसके साथ ही साथ जो प्राहिबिशन का प्रोपेगैन्डा होता है जो और सरकारी कर्मचारी प्रचार कार्य करते हैं उनकी ५८-५९ में १०,९५७ मीटिंग्ज हुई और ५९-६० में १०,४८२ मीटिंग्ज हुईं । इस के अलावा जहां पर हमारे सरकारी अधिकारी मीटिंग करते हैं वहां पर लोगों से शपथ लेते हैं कि आगे हम शराब नहीं पियेंगे और उनके, सार्टिफिकेट, पर दस्तखत कराते हैं । इस तरह के जो हस्ताक्षर कराये गये वह ५८-५९ में करीब ११,७६७ के थे और ५९-६० में उन की तादाद ११,२९२ थी ।

एक सदस्य—प्रचार के ऊपर कितना खर्च होता है ?

डाक्टर सीताराम—इस के लिये इस बजट में २ लाख रुपये का प्राविधान है । यह रुपया इन कर्मचारियों पर व्यय होता है । इसके अलावा इस सरकार को यह पता चला कि जो मद्यनिषेध वाले जिले हैं उन में काफी तस्कर व्यापार हो रहा है और लोग अवैध रूप से हानिकारक नशीली चीजों को प्रयोग करते हैं । इन ११ जिलों और ३ धार्मिक स्थानों से इस प्रकार की शिकायतें आईं । इस पर सरकार ने श्री रामस्वरूप यादव, उपमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उस पर उक्त कमेटी ने एक बड़ी ही अच्छी रिपोर्ट शासन के समक्ष प्रस्तुत की है जिस के लिये वह कमेटी बधाई की पात्र है । वह रिपोर्ट और उस की संस्तुति अभी शासन और कैबिनेट के सामने विचाराधीन है । अगर उस कमेटी की सिफारिशों को अच्छी तरह से कार्यरूप में परिणत करें तो मुझे पूरी आशा है कि इस प्रकार की समस्यायें हमेशा के लिये खत्म हो जायेंगी । उस में समय जरूर लगेगा लेकिन मायूसी की कोई बात नहीं है ।

जब सरकार ने गांजा, चरस और अफीम का निषेध किया तो उस के साथ-साथ इन चीजों का काफी तस्कर व्यापार भी बढ़ा । सरकार का एक स्टेट मद्यनिषेध बोर्ड है जिस के माननीय सदस्य भी मेम्बर हैं । वहां पर हर विषय पर काफी चर्चा होती है और अच्छे सुझाव भी आते हैं । अब ५ स्क्वैड बनाये गये हैं, गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी और इलाहाबाद में । इस क्राइम को रोकने के लिये ५ स्क्वैड्स जो हैं उनमें से गोरखपुर का जो स्क्वैड है वह नेपाल के बार्डर से या नेपाल से जो गांजे की स्मगलिंग होती है उसको चेक करता है । मुरादाबाद में जो स्क्वैड है वह भी नेपाल और तिब्बत से जो स्मगलिंग होती है उसको चेक करता है । अलीगढ़ में जो स्क्वैड है वह दिल्ली और राजस्थान के एरिया से जो इस तरह का तस्कर व्यापार होता है उसको चेक करता है । झांसी का जो स्क्वैड है वह मध्य प्रदेश को कन्ट्रोल करता है और इलाहाबाद का जो स्क्वैड है वह बिहार और विंध्य प्रदेश को कन्ट्रोल करता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमने तो प्रोहिबिशन की नीति के अनुसार प्रोहिबिशन कर दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ? परिणाम यह हुआ कि नेपाल से गांजे का तस्कर व्यापार हमारे यू० पी० में तथा अन्य सूबों में बढ़ने लगा और यहां की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा कि और अन्य सरकारों ने भी लिखा कि इसको रोकने के लिये नेपाल सरकार केंद्रीय सरकार वेस्ट बंगाल सरकार, बिहार सरकार और यू० पी० सरकार—इन सब सरकारों की एक मीटिंग दिल्ली में बुलाई जाय । प्रसन्नता की बात है कि केंद्रीय सरकार ने सूचित किया है कि मीटिंग जल्दी ही दिल्ली में होगी और इस बात का पूर्ण रूप से विचार किया जा सकेगा कि इस तरह के तस्कर व्यापार, को जोकि गांजे के सम्बन्ध में होता है, किस तरह से चेक किया जाय ।

[डाक्टर सीताराम]

किसी मद्यनिषेध की नीति के अनुसार हम किसी चीज को बन्द कर सकते हैं लेकिन उसको चेक करने के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान में तो हम देखते ही हैं लेकिन दुनिया के और बड़े-बड़े देशों में भी वहां का यह इतिहास है कि नहीं चेक कर पाये हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है इस तरह से स्क्वैड्स जो काम कर रहे हैं और जो परेशानी एक्साइज डिपार्टमेंट को है उस को देखते हुये जिस तरह से उन्होंने कार्य किया वह अति वांछनीय है।

मद्य निषेधयोजना जहां चालू है जैसे ११ जिले और ३ धार्मिक स्थान हैं, वहां प्राहीबीशन का जो काम है एक्साइज़ डिपार्टमेन्ट तो उसके प्रचार का काम करता ही है लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है कि किस तरह से रोकथाम की जाय वह पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकार में है। जो एक्साइज़ डिपार्टमेंट के आदमी कानपुर में हैं वह पुलिस डिपार्टमेंट के अन्दर रहकर अपने प्रयास को करते हैं।

डिस्टीलरीज, आश्वानिगृह, इस सूबे में १२ सन् ५८–५९ तक थीं और उन १२ का जो अनुमानित उत्पादन था वह १२०.२ लाख गैलन प्रति साल था। लेकिन उक्त उत्पादन शक्ति को देखते हुये इन आश्वानिगृहों में ८० से ९० लाख गैलन पावर अलकोहल सिर्फ उत्पादित किया गया। १९५९--६० में ३ आश्वानिगृह और इस सूबे में लगाये गये जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़कर २०४ लाख गैलन हो गई और मंसूरपुर में एक और नया आश्वानिगृह लग जाने से उत्पादन क्षमता २१४ लाख गैलन हो गई। इस तरह से हम देखते हैं कि जहां ७० गन्ने को मिलें हैं, जहां पर शीरे का उत्पादन अधिक होता है, पूरे हिन्दुस्तान का करीब ५४ से ५६ फीसदी शीरा हमारे प्रान्त में पैदा होता है जिसके प्रोपोर्शन में ५२ फीसदी पावर एलकोहल पैदा किया जाता है। पावर एलकोहल के बिना बेस्ट इंडस्ट्रीज चल नहीं सकतीं। इसलिये सरकार ने इन डिस्टीलरीज की कैपेसिटी को बढ़ाने का आर्डर दिया है। दो और डिस्टीलरीज, एक शाहगंज, जौनपुर में और दूसरी खेतान फैक्टरी, देवरिया में दी गई है। इनके अलावा तीसरी योजना में ३ और डिस्टलरीज को लाइसेंस केन्द्रीय सरकार से दिलाने का प्रदेशीय सरकार का विचार है। जब पावर एलकोहल अधिक पैदा होगा तब हमारी जरूरतें पूरी होंगी।

पावर एल्कोहल बहुत ही आवश्यक पदार्थ है जिसके बारे में माननीय सदस्यों को कई दिनों तक बताया जा सकता है। जो सिन्थेटिक रबर फैक्टरी बरेली में बन रही है और जो १९६२–६३ के अन्त तक तैयार हो जायगी प्रथम साल उसमें १ करोड़ ४० लाख गैलन पावर ऐल्कोहल की खपत होगी और १९६५ में उसको २ करोड़ गैलन की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से आई० सी० आई० को २० लाख गैलन प्रत्येक साल पावर ऐल्कोहाल की जरूरत है जहां पोलीथीन बनता है। बाराबंकी में एक फैक्टरी सेटअप हो रही है उसके लिये भी काफी पावर एल्कोहल की जरूरत पड़ेगी। मोटर स्प्रिट में भी पावर एल्कोहल के मिलाने की अब जरूरत पड़ती है। अतः इस का उत्पादन बढ़ाना हमारे लिये आवश्यक हो गया है। डी० डी० टी०, रेयान और पोलीथीन फैक्टरीज भी पावर एल्कोहाल से बढ़ सकती हैं। हमारे सूबे में ११३ किस्म की फैक्ट्रीज पावर अलकोहल से कायम हो सकती हैं।

मोलासेज की उपयोगिता का क्या वर्णन करूं, माननीय सदस्यों को सुनकर आश्चर्य होगा कि आज दुनिया में स्ट्रेप्टोमाइसीन और पैनसिलीन बिना मोलासेज के बन नहीं सकती। इसलिये हम डिस्टीलरीज के बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।

श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)—हिन्दी में मंत्री जी बतायें, आंकड़ें दें, तो समझ में भी आये।

डाक्टर सीताराम—स्ट्रेप्टोमाइसीन और पैनसिलीन की हिन्दी कहीं नहीं मिलेगी, न बनी है। पावर अलकोहल के लिये डाक्टर रघुवीर की १९५४ ऐडीशन की डिक्शनरी में

'शुशक' लिखा हुआ है। वह तो इतनी संस्कृताइज्ड हिन्दी है कि समझना ही मुश्किल हो जाय। तो मैं यह कह रहा था कि यह सब पोस्ट इसलिये क्रियेट की गई हैं कि डिस्टलरीज में जो पावर अल्कोहल तैयार होता रहता है और फैक्टरीज में जो मोलेसेज होता है उसको हम कन्ट्रोल करें क्योंकि बगैर कन्ट्रोल किये हुये मोलेसेज को यह डर है कि जो बड़ी-बड़ी फैक्टरीज लगने जा रहीं है या लग रही हैं उनको हम यह सप्लाई नहीं कर सकेंगे ठीक मात्रा में तो इन्डस्ट्रीज तरक्की नहीं कर सकेंगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं सदन से आशा करता हूं कि वह इस अनुदान को पारित करेगा।

*श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिसपर चर्चा करने का अभिप्राय है।

विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं हैं, यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति बिन्दुओं का उल्लेख करना।

अध्यक्ष महोदय, इस समय जिस अनुदान पर हम विचार कर रहे हैं उस पर विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि हम इस बात को देखें कि हमारे प्रदेश में इस अनुदान के सम्बन्ध में किस नीति का प्रतिपादन किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में मद्य निषेध योजना को या मद्य निषेध नीति को अपना कर इस अनुदान के अनुसार सारा कार्य कार्यान्वित किया जा रहा है। यह मद्यपान की समस्या और उसे दूर करने के उपाय काफी जटिल रहे हैं। समय-समय पर इसके सम्बन्ध में अनेक मत और वादविवाद होते रहे हैं। वेदों में और खास तौर से ऋगवेद में तथा पुराणों में भी मद्यपान का जिक्र है और कुछ लोग तो आज भी सोम रस का समर्थन करके अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। लेकिन महाराज मनु ने उस समय भी यह व्यवस्था दी थी कि ब्राह्मणों का मद्यपान करना निषेध है और उसके साथ ही साथ यह भी व्यवस्था दी कि यदि अन्य जाति वाले मद्यपान न करेंगे तो उनका विशेष गुण माना जायगा। इस प्रकार २२०० वर्ष पहले कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी इस बात की व्यवस्था है कि मद्यपान न किया जाय और उस समय यह भी व्यवस्था की गई थी कि एक मद्य अधीक्षक था जो इस बात की जांच करता था कि अच्छे चरित्र वालों को छोटी मात्रा में शराब दी जाय लेकिन वे दूकानों से बाहर न ले जा सकें और केवल वही ले जा सकें, जो प्योर करेक्टर के हों।

हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के शुरू होने पर हमने भी और हमारे देश और प्रदेश ने भी इसी बात को स्वीकार किया कि मद्य निषेध होना चाहिये। महात्मा गांधी ने इस सम्बन्ध में सबसे पहले अपनी आवाज उठाई थी। आज हम उसी मद्यनिषेध योजना को अपने प्रदेश में कार्यान्वित कर रहे हैं। इस मद्य-निषेध योजना पर विचार करते समय हमें आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। लेकिन मुझे दुख है कि सरकार का ध्यान कभी नैतिक दृष्टिकोण की तरफ नहीं गया और सदैव आर्थिक दृष्टिकोण की ओर गया। अभी माननीय मन्त्री ने अपना अनुदान प्रस्तुत करते समय जो भाषण दिया उसमें भी उस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है और उन्होंने स्वयं कहा है कि हमारे प्रदेश में इस योजना से दिन प्रति दिन रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है और उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि सन् ६२ में लगभग यह रेवेन्यू ८ करोड़ हो जायगी। योजना तो हमारे प्रदेश में मद्य-निषेध की है लेकिन उम्मीद यह की जा रही है कि उसका उत्पादन भी बढ़ेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सदैव इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि हमारा मद्य का उत्पादन बढ़ता जाय। सन् ५७ में शराब का ११ लाख गैलन उत्पादन था, ५९ में २२ लाख गैलन हो गया है, केवल १००

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

प्रतिशत की वृद्धि हुई है और मान्यवर, जो वृद्धि हुई है उसके लिये मार्केट भी ढूंढ़ा गया होगा, यह इम्पलाइड फैक्ट है। एक तरफ मद्य-निषेध योजना को लागू करना और दूसरी तरफ निरन्तर उत्पादन को बढ़ाये रखना, यह एक दूसरे के विरोधाभास की बातें हैं और इसमें से कौन सी नीति सरकार ज्यादा पसन्द करती है यह इस समय तक प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से नहीं आया है।

मान्यवर, इस समय प्रदेश के ११ जिलों में और ३ तीर्थ स्थानों में मद्यनिषेध की योजना चल रही है, लेकिन जो स्थिति इस समय है उसको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि प्रदेश के किसी स्थान पर भी मद्य-निषेध नहीं है। मान्यवर, सन् ४६ में हमारे प्रदेश में २,०७२ दूकानें थीं और प्रत्येक दूकान ५१,२३ स्क्वायर मील को और २६,५५५ आदमियों को सर्व करती थी, आज हमको इस बात का पता नहीं है कि कितनी दूकानें हैं लेकिन जिस तरह से उत्पादन बढ़ा है, उससे हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दुकानों की संख्या भी बढ़ाई गई होगी और उसके साथ ही साथ उन दुकानों में जो खपत है वह भी बढ़ी होगी। तो योजना हम मद्य-निषेध की कर रहे हैं लेकिन प्रचार हम मद्यपान का कर रहे हैं, यह इस बात का द्योतक है। क्या माननीय मन्त्रीजी यह बात बताने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश में इस समय कुल कितनी ऐसी दुकानें हैं जहां शराब बिकती है और जहां पर लोग जाकर आसानी से शराब पी लेते हैं?

मान्यवर, जो यह लचर योजना चल रही है इससे कोई लाभ नहीं हो सकता है। इस योजना में और जो आज सरकार की नीति है उसमें परिवर्तन करने की नितान्त आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति को कुछ दवाओं के मिलने से माल असबाब के मिलने में, उसकी जिन्दगी की आवश्यक वस्तुओं के मिलने में कठिनाई हो सकती है लेकिन यदि कोई व्यक्ति यह चाहे कि उसको शराब या गांजा या और कोई मादक द्रव्य मिल जाय तो उसके मिलने में उसको कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। अगर मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में कोई शक-शुबहा हो तो उनके पास भी इस तरह के व्यक्ति पहुंच सकते हैं जो उनको घर बैठे उनकी कोठी पर भी पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से जो आज हमारे यहां मद्य-निषेध की चीजें उपलब्ध हो रही हैं, आज की जो हमारी योजना है उसके लचीलेपन का यह परिणाम है और यह योजना फेल हो रही है। इसके फेल होने के कई मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि हमारे प्रदेश में बेकारी की समस्या है। कुछ लोग जान बूझकर इसके व्यवसाय को इसलिये करते हैं कि वह अपनी बेकारी को दूर करना चाहते हैं और इस कार्य में उनको प्राप्ति भी सबसे ज्यादा होती है। अगर कोई दूसरा काम करें तो उसमें १०, १५, २० प्रतिशत ही लाभ है लेकिन, इस व्यवसाय में अत्यधिक मुनाफा है। तो इन सब कारणों से यहां की मधनिषेध योजना दिन पर दिन फेल होती जा रही है।

मान्यवर, इस के साथ ही साथ इस योजना में एक सब से बड़ी कमी और है। वैसे तो जो लोग इसके कानून को तोड़ते हैं उनको दंड देने की व्यवस्था है लेकिन किसी उचित ढंग से उनको दंडित किया जा सके इसका कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, अगर दूध में कोई पानी मिलाता है या और किसी तरह की मिलावट का कोई जुर्म करता है तो उस पर ५०० रुपये तक जुरमाना होता है, लेकिन शराब बेचने वाले को, शराब बनाने वाले को १०, २०, ५० रुपये जुरमाना करके छोड़ दिया जाता है। उनसे निगोशियेशन करके, उनसे कबुलवा के और यह कह के कि अगर जुर्म कबूल कर लो तो तुम्हारे ऊपर जुरमाना कम होगा, थोड़ा जुरमाना करके अदालतें छोड़ देती हैं। तो मान्यवर, वह हैबीचुअल हो जाते हैं, बार बार जुर्म किया करते हैं और समझते हैं कि जेलखाने जाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा दंड भी भुगतने की जरूरत नहीं है और लाभ में से बहुत कम हिस्सा जुरमाने के रूप में भुगतना पड़ता है।

मान्यवर, जो योजना चल रही है उससे समाज के ऊपर खराब असर पड़ रहा है, हमारे समाज का नैतिक पतन हो रहा है और आने वाली पीढ़ी पर भी उसका असर पड़ता

है। ऐसे लोग जो इस तरह का व्यवसाय करते हैं उनके परिवार वालों पर और छोटे-छोटे बच्चों पर भी असर पड़ रहा है क्योंकि उनके जरिये काम कराने से उनका नैतिक पतन हो रहा है। उनके अन्दर इस प्रकार की भावना बढ़ रही है कि ऐसे कार्य करने में कोई बुरी बात नहीं है और इस तरह के कार्य करते रहना चाहिये।

(इस समय १२ बजकर ५२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां, पीठासीन हुये।)

इसके साथ ही साथ इस विभाग की ओर से जो नियम बनाये गये हैं उनका भी सही ढंग से पालन नहीं होता है। इस विभाग की पुस्तिका में जिक्र किया गया है कि शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक सस्थाओं के आस पास इस तरह की नशीली दुकानें नहीं होंगी। मैं आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि वह लखनऊ शहर में ही देखे तो इस नियम के अनुसार बहुत सी दुकानें हट जायंगी और ८० प्रतिशत दुकाने नहीं रह सकती हैं। बहुत सी दुकानें ऐसी जगहों पर खुल रहीं हैं और खुलती जा रही हैं और इस नियम की कोई पाबन्दी नहीं है और इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। कोशिश तो यह की जा रही है कि लोग मद्य पीने की आदत छोड़ें और सरकार की ओर से इसके लिये बराबर प्रचार जारी है। वह व्यर्थ जा रहा है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग मद्यपान करते हैं या नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं उनका एक रजिस्टर तैयार किया जाय और जो मद्यपान करते हैं उनको एक पास बुक दी जाय। उनका राशन तय होना चाहिये और दुकान भी उनके लिये एलाट होनी चाहिये। जिस दुकान से वह सामान लें उनका कैश मेमो कटे। इसकी सूचना इंसपेक्टर के पास जाय कि इस मुहल्ले में या इस क्षेत्र में फलां फलां आदमी मद्यपान या नशीली वस्तुओं का प्रयोग करने वाले हैं और उसको ऐसे व्यक्तियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिये और उनमें यह भावना पैदा करे कि इस तरह की मादक वस्तुओं का प्रयोग करना न तो उनके हित में है और न समाज के हित में है।

हमारे यहां एक टैम्परेंस एसोसियेशन की स्थापना होनी चाहिये और जो लोग मद्यपान या नशीली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वे उनके पास जायं और उनको बतायें कि इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। जो आजकल सभायें की जाती हैं वह पीने वालों की नहीं बल्कि दूसरे लोगों की की जाती हैं जिससे पीने वालों में कमी होने के बजाय बढ़ोत्तरी होती है। जनमत तैयार करने के लिये यह आवश्यक है कि जगह-जगह पर व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किये जायं और उनके माध्यम से लोगों को एजूकेट किया जाय। उनको समझाया जाय, उनको शिक्षित किया जाय क्योंकि यह चीज कानून के जरिये हल नहीं हो सकती है। यह तो केवल मास एजूकेशन से ही हल हो सकती है। इसके लिये एक अच्छा वातावरण तैयार करने की जरूरत है। मैं देखता हूं कि इसको विभाग तैयार नहीं कर पाया है जिसकी वजह से यह योजना सफल नहीं हो सकी।

मान्यवर, अब मैं आपके द्वारा, विभाग में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनकी ओर संकेत करना चाहता हूं। जिस प्रकार पुलिस विभाग में जिले के थाने बिका करते हैं उसी तरह से इस विभाग में जिले बिकते हैं। हर जिले में यह आम चर्चा है, लोग कहते हैं कि बड़े-बड़े थानों के लिये ज्यादा रकमें थानेदार देते हैं। उसी तरह से यहां इंस्पेक्टर साहबान बड़े बड़े जिलों के लिये ज्यादा रुपया देते हैं और यह कोशिश करते हैं कि एक-एक जिले में दो-दो, चार-चार, छः-छः और कभी-कभी दस-दस साल तक रहें। इसका क्या कारण है कि एक कर्मचारी निरन्तर एक स्थान पर दस-दस साल रखा जाय ? उसके रखे जाने का और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है कि जिस तरह से थाने नीलाम होते हैं, यहां पर प्रदेशीय स्तर पर जिले नीलाम होते हैं। क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात नहीं है और अगर नहीं है तो फिर इस तरह से न यह विभाग चल सकता है और न इस विभाग की गड़बड़ियां दूर की

[श्री भगवती सिंह विशारद]

जा सकती है । अगर उनको इस बात की जानकारी है और वह अभी तक इसको नहीं रोक पाये हैं, तो इस प्रदेश की जनता के लिये न मद्य-निषेध योजना सफल हुई, न इस विभाग की गड़बड़ियों को दूर कर सके तो उनको इस विभाग से पृथक हो जाना चाहिए ।

माननीय, इस विभाग में नियुक्तियों, ट्रांसफर्स और प्रोमोशंस में भी काफी पक्षपात होता है । सर्विस रूल्स की कोई व्यवस्था नहीं है । एक दूसरे को पास करते चले जाते हैं । जिसके ऊपर किसी बड़े अफसर की मेहरबानी हुई तो उसकी पदोन्नति हो गई, जहां चाहा उसका ट्रांसफर हो गया । इस गड़बड़ को भी दूर करने की आवश्यकता है । अभी हमारे प्रदेश में एक्साइज सुपरिंटेंडेन्ट की १४ नई जगहें पैदा की गई हैं । एक्साइज इंस्पेक्टर हर जिले में हैं लेकिन १४ नई जगहें पैदा की गई है । इसके लिये न पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई आज्ञा ली गई है, न उन १४ व्यक्तियों को, जिनको इन जगह पर नियुक्त किया गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने पेश किया गया है । २५०--५०० का इनका ग्रेड होगा । टेलीफोन की भी सुविधा होगी, जीप की भी सुविधा होगी । उसके साथ-साथ दो चपरासी भी रहें । हमारे मुख्य मंत्री जो इकोनामिक ड्राइव करते हैं । सदन और सदन के बाहर इसकी चर्चा करते हैं कि ३०० रुपये से कम पाने वाले अफसर को चपरासी नहीं मिलेगा । लेकिन इस विभाग में ढाई सौ रुपये से शुरू करने वाले को दो-दो चपरासी दिये जाते हैं । एक तरफ इकोनामिक ड्राइव चल रहा है, दूसरी तरफ मद्यनिषेध योजना को कार्यान्वित करने के लिए इस तरह की जगहें पैदा की जा रही हैं और नये-नये खर्चे बढ़ाये जा रहे हैं ।

माननीय, यह योजना जिस तरह से चल रही है उससे न तो प्रदेश की जनता का ही कोई हित हो सकता है और न सरकार का ही हो सकता है । १९४६ से यह योजना चलायी गयी थी । उस समय से अब तक केवल ११ जिलों में यह मद्यनिषेध योजना कार्यान्वित कर सके हैं । दो पंच वर्षीय योजनाएं खत्म हो गयीं लेकिन सारे प्रदेश में यह मद्यनिषेध योजना नहीं लागू कर सके । सरकार का दृष्टिकोण इस मामले में नैतिकता की ओर नहीं है । जिन उसूलों को ले कर यह सरकार कायम हुई थी अब उससे यह अलग हो रही है । अब इसका सिद्धांत मद्यनिषेध योजना नहीं रह गया है बल्कि इसका सिद्धांत यह हो गया है कि किसी तरह से सरकार की आमदनी बढ़े और यही वजह है कि आज चारों तरफ से इस बात की मांग की जा रही है कि सारे देश में मद्यनिषेध योजना लागू की जाय लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है ।

इस सदन में प्रश्न उठाये गये और चर्चा की गयी लेकिन सदैव सरकार ने कहा कि आर्थिक कारणों से सरकार ऐसा करने में असमर्थ है । तो मैं फिर माननीय मंत्रीजी से आपके द्वारा यह अनुरोध करूंगा कि अगर सरकार इस मामले में आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर चलती है तो इस निकम्मी मद्यनिषेध योजना को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह योजना हमारे समाज का नैतिक पतन कर रही है । हमारे समाज में जो छोटे-छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, समाज के जो निवासी हैं उनमें ऐसी भावना पैदा हो रही है जिसके वजह से यह मद्यनिषेध योजना के लिए यही कहा जा सकता है कि यह सही ढंग से न कार्यान्वित हुई है और न सही ढंग से कार्यान्वित हो सकती है । तो जो चीज सही ढंग से कार्यान्वित नहीं हो सकती, जिस योजना को कार्यान्वित करने में सरकार सदैव असफल रही है और भविष्य में रहेगी उस योजना को उसे समाप्त कर देना चाहिए । आज अगर इस प्रदेश में रेफरेंडम लिया जाय, अगर जनमत जाना जाय तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लोग यही कहेंगे कि इस निकम्मी योजना को जिसको सरकार सही ढंग से नहीं चला पायी उसको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इससे जो लाभ होना चाहिए था, वह लाभ नहीं हो रहा है बल्कि उससे जो नुकसान होना चाहिए था वह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है । तो मैं माननीय मंत्रीजी से, अपना यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए यह अनुरोध करूंगा कि जिन प्रश्नों को मैंने उनके सामने प्रस्तुत किया है उनका वह समाधान करने की कृपा करेंगे और या तो इस मद्य निषेध योजना को सही ढंग से सारे प्रदेश

में लागू करेंगे या अगर वह ऐसा करने में असमर्थ हैं, शक्तिहीन हैं तो फिर इस योजना को पूर्ण-रूप से स्वतंत्र कर देना चाहिए जिसमें जिस तरह से यहां के निवासी चाहेंगे, स्वयं अपने चरित्र को, अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकेंगे ?

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---मिस्टर चेयरमैन, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूं कि आपने मुझे आज के इस आबकारी के अनुदान पर बोलने का मौका दिया । मैं इस अनुदान की हिमायत में खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि आबकारी मंत्री जी ने कुछ ऐसे फिगर्स दिये जिनसे यह मालूम होता है कि २ लाख गैलन शराब हमारे इस प्रदेश में बनी, उत्पादन ज्यादा हुआ। शराब जैसा कि मंत्रीजी ने बताया कई ऐसी जगहों में इस्तेमाल होती है कि जो इन्सान के फायदे की चीजें हैं । शराब पीने से अगर मातदिल हो तो वह भी इन्सान की सेहत के लिये हो सकती है लेकिन अगर कसरत हो तो कसरत हर जगह खराब होती है । यह जो कुछ भी हुआ, मैं इसके बारे में इतना कहना चाहता हूं नशाबन्दी के बारे में कि नशाबन्दी मान्यवर, अच्छी चीज है। नशाबन्दी इसलिये हुई कि इन्सान की सेहत अच्छी रहे, उसकी सामाजिक हालत बेहतर हो जाय, आर्थिक हालत बेहतर हो जाय । इन वजूहात से नशाबन्दी की जाती है और हुक्म वहां लगाया जाता है जहाँ किसी चीज को अकसरियत हो जाती है । यानी जहां शराब अकसरियत से पी जाय तो उसकी मुमानियत के लिये एक हुक्म लगाया जाता है । अगर वह हुक्म सही ढंग से कामयाब हो तो फायदा है, वरना नुकसान है ।

नशाबन्दी इस प्रदेश में हुई । मैं यह बताना चाहता हूं कि कौन मजहब ऐसा है जो नशा-बन्दी नहीं चाहता । हर जगह शराब की मुमानियत है । जितने भी मुब्तदायेदीन हैं सबने नशाबन्दी के बारे में कहा है और वह इस वास्ते कहा है कि इन्सान की जिस्मानी सेहत और रूहानी हालत अच्छी हो, आर्थिक हालत अच्छी हो, सामाजिक हालत बेहतर हो । हमारे प्रदेश में यह नशाबन्दी जब हुई तो उस वक्त सारे मुल्क में बल्कि इस मुल्क के बाहर भी एक बड़ा प्रचार हुआ कि हिन्दुस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिससे सोसाइटी की अजमत और इज्जत हो, उसकी आबरू बढ़े दूसरे मुल्कों की नजर में । नशाबन्दी अमेरिका में भी हुई थी । लेकिन वह कामयाब नहीं हुई । अब हम देखते हैं कि हमारे यहां भी नशाबन्दी हुई और मैं अफसोस के साथ यह कहता हूं कि जिस नजरिये से यह नशाबन्दी की गई थी वह नजरिया कामयाब नहीं हुआ है। मैं सरकार को तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं और खासकर कानपुर के बारे में कि जो वहां पर नशाबन्दी हुई थी वह बिलकुल कामयाब नहीं हुई है । गरीब और मजदूरों की वजह से वहां पर नशाबन्दी हुई थी कि उसकी आर्थिक दशा, सामाजिक हालत अच्छी हो, वह मुल्क में उत्पादन को ज्यादा बढ़ाये लेकिन उसका असर बिलकुल उलटा हुआ।

मान्यवर, कानपुर में यह हालत है कि गरीब मजदूर जिसको पीने की आदत है, उसके लिये वैसे शराब बन्द हो गई लेकिन सरे बाजार शराब वहां पर बिकती है । क्रूड स्प्रिट और टिन्चर जिन्जर वह पीता है जिसकी वजह से उसका फेफड़ा छिल जाता है और वह टी० बी० का मरीज हो जाता है । आप समझ सकते हैं कि उसके बच्चों की हालत क्या होगी जो० टी० बी० का शिकार हो जाय । यह नशाबन्दी नहीं है बल्कि एक तरह से मजदूरों की बरबादी है । अगर इस नशाबन्दी को खोला न गया तो उनकी हालत और बरबाद हो जायगी। अगर शराब वहां पर खुल जायगी तो उस हालत में उनको अच्छी शराब मिलने लगेगी और उनकी सेहत बिग-ड़ेगी नहीं । यह जो नशाबन्दी हुई है इससे वहां पर पुलिस का फायदा हुआ है और आबकारी अफसरों का फायदा हुआ है । सिर्फ अगर नुकसान किसी का हुआ है और बरबादी हुई है तो वह मजदूरों की हुई है और सरकार को उसका टैक्स न मिलने की वजह से कई करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है । जिन्दगी तबाह हुई उन मजदूरों के बच्चों की । उनके खान्दान तक तबाह हो गये और बरबाद हो गये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री एस० जी० दत्त]

मैं इस हाउस के अन्दर अपनी आवाज बुलन्द करके पुकार कर सरकार से इल्तिजा करूंगा कि इस मद्यनिषेध को खोल दीजिये ताकि वहां से यह मवाद खत्म हो । मैं सरकार से भी कहता हूं और उन अफसरों से भी कहता हूं कि :—

'आ अब्दलीब मिलके करें आहो जारियां'
तु हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल ।'

यानी इसके अन्दर इतने इन्सानों का नुकसान हो रहा है । हमारा दिल दुखता है । हम चिल्लाते हैं और रोते हैं जब इन यतीम बच्चों और बेवाओं को देखते हैं जिनका कोई पूछनेवाला नहीं है । उनका कोई वाली वारिस नहीं है । क्या सरकार इन यतीम बच्चों और बेवाओं की वाली वारिस या कोई सोसाइटी है जो उनकी जरूरियते जिन्दगी को पूरा कर सके या उनकी तालीम का इन्तजाम कर सके ? वह हमारे बच्चे हैं । वह हमारे मजदूर हैं । पीते सब हैं और खुले बाजार पीते हैं । आप कानपुर में देखिये कि लोगों का क्या इन्तजाम है । मैं तो कहता हूं कि इस नशाबन्दी को छोड़ दीजिये लेकिन बकौल शायर के —

'जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर,
या वह जगह बता कि जहां पर खुदा न हो ।'

आप नशाबन्दी करते हैं और उनसे कहते हैं कि शराब न पियो । अगर वे न पियें तो इस मुल्क में उनको वह जगह बतलादें जिस जगह पर शराब न बिकती हो । तो फिर नशाबन्दी कहां से आप कर सकते हैं । पीते सभी हैं, कोई खुलेतौर पर पीता है तो कोई चोरी से पीता है । इसमें गरीब फंस जाते हैं । जहां पर मनो भांग, चरस बिकती है वहां पर अधिकारी नहीं जाते हैं । वह क्यों नहीं जाते हैं, वह मामला कुछ और है । मैं समझता हूं भांग को तो खोल देना चाहिये । हिन्दू समाज में भांग पीकर परमात्मा की इबादत होती है और इससे उसको फायदा मिलता है, इस वास्ते भांग को तो मजहबी तौर पर खोल देना चाहिये, लेकिन अगर मान्यवर, आप उसका इंतजाम नहीं कर सकते तो नशाबन्दी खत्म कीजिये । यही मैं आप से कहना चाहता हूं ।

श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह मद्यनिषेध योजना सराहनीय है लेकिन जिस तरह से यह कार्यान्वित की जा रही है, वह दुखद है । मैं रायबरेली जिले का रहने वाला हूं और वहां यह योजना बहुत दिनों से लागू है । रायबरेली में यह योजना कागज पर अवश्य है लेकिन कोई गांव ऐसा नहीं है जहां ठेके न हों । मैं ऐसी मिसालें माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं कि जो साधारण नहीं हैं । हमारे यहां एक डिप्टी मिनिस्टर रहते हैं उनके मकान से एक फर्लांग पश्चिम की तरफ कम से कम ३, ४ ठेके शराब के हैं जिनमें खुल्लमखुल्ला व्यापार होता है और अवैध शराब बिकती है । यह उनको मालूम है । कई बार इस के लिये पुलिस अधिकारियों से भी कहा लेकिन उन्होंने कहा कि यदि आप इसकी शहादत दे सकें तो हम उनको गिरफ्तार करें । नतीजा यह है कि वहां लोग आखिर शराब पीते हैं । शहादत देने के लिये कोई तैयार नहीं होता । गवाहों का कहना है कि शहादत देने पर हमारी सुरक्षा खतरे में रहेगी । आज हम शहादत देते हैं और उन्हें सजा हो जाती है, कल जब वे छूटकर आयेंगे तो मेरे ऊपर प्रहार कर सकते हैं और हमारी कोई सुरक्षा नहीं रह सकती ।

दूसरा दृष्टांत यह रखना चाहता हूं कि बछरावां रेलवे स्टेशन है, रायबरेली में । वहीं के एक एम० एल० ए० हैं । उन के निवास स्थान और थाने के बीच में एक जगह है जहां जो चाहे जाकर शराब ले ले । उनको भी मालूम है, लेकिन वे उस अवैध व्यापार को बंद कराने में मजबूर रहे हैं । एक मेरे मित्र सदस्य भी हैं, जो शायद इस अनुदान पर बोलें भी । उन्होंने एक मोटर ड्राइवर को दो बोतल शराब ले जाते समय बछरावां थाने में रिपोर्ट कर के पकड़वाया; मुकदमा चला और उन्होंने शहादत भी दी, लेकिन कुछ यात्रियों ने जो उस गाड़ी पर बैठे थे उसकी ओर से सफाई दी और नतीजा यह हुआ कि उन एम० एल० ए० महोदय का बयान नहीं माना गया और दूसरे व्यक्तियों के बयान को मान कर उसे सजा नहीं दी गई ।

तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वहां कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें एक नहीं दस ठेके न हों । वहां दुर्गागंज का एक बाजार है । उस बाजार से चार खेत दूर लोग अपनी-अपनी शराब लेकर बैठते हैं और एक नहीं १०, २० आदमी आते हैं और खुल कर शराब बिकती है और पी जाती है । लोग जानते हुये भी कुछ नहीं कर सकते । तो इस योजना से कोई लाभ नहीं है। रायबरेली में लाखों रुपये का गवर्नमेंट का लास हो रहा है। जो लोग शराब का प्रयोग नहीं करते उनको शक्कर, कपड़े आदि पर एक्साइज कर देना पड़ता है और उनको इस प्रकार ज्यादा कर देने पड़ते हैं। इस प्रकार की योजना बनाने से कागज पर, वह कामयाब नहीं हो जाती ।

आज एक पार्टी है, मैं जिसका नाम नहीं लूंगा लेकिन वह सत्य और अहिंसा का नाम बहुत लेते हैं, लेकिन उनमें हिंसा भी अधिक है और सत्य से तो वे कोसों दूर हैं । तो केवल सिद्धांत मान लेने से कुछ नहीं होता, उसे कार्य रूप में परिणत करने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं । अगर नियम बना दें कि सभी ब्रह्मचारी रहेंगे तो नियम तो बड़ा अच्छा है लेकिन उसे व्यावहारिक रूप देने में बड़ी दिक्कतें होंगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि रायबरेली में जो योजना चल रही है उसे वहां से हटा कर कहीं और कर दीजिये । वहां सरकार का रेवेन्यू का काफी लास हो रहा है । हां, यदि सरकार को इसे काटेज इंडस्ट्री की तरह से फैलाना है, और वह इस रूप में इसका प्रसार करना चाहती है तो ठीक है । वहां घर-घर में यह शराब बनायी जा रही है । लोग इसको जानते हैं, पुलिस जानती है, लेकिन वे मजबूर हैं, क्योंकि इसके लिये उन्हें कोई शहादत नहीं मिल रही है ।

मान्यवर, मेरी यह समझ में नहीं आता कि इसको आखिर रायबरेली या अन्य ११ जिलों में ही क्यों किया गया है । जहां आपके हाई कोर्ट के जज रहते हैं, जहां और बहुत से दल के लोग रहते है, बड़े-बड़े आदमी रहते हैं, वहां इस तरह के आदर्श को क्यों नहीं रखा गया । आप लखनऊ को ड्राइ एरिया क्यों नहीं घोषित करते ? यहां की दूकानों से आज लाखों रुपये का माल उन जगहों पर जाता है जहां ड्राई एरिया है । क्या सरकार यह समझती है कि उसका असर रायबरेली में ज्यादा होता है और लखनऊ में कम होता है ? मैं समझता हूं ऐसा नहीं होगा । तो यह जो थोड़े से जिलों में आपने इसको बन्द किया है, मैं नहीं समझता कि उसका क्या आधार है । मेरी प्रार्थना है कि आप रायबरेली से इस पाबन्दी को हटा लें और कहीं दूसरी जगह उसका एक्सपेरीमेंट करके देखें । जो व्यक्ति उस तरफ बैठे हैं उनकी भी यही राय है, माननीय मंत्रीजी अगर उनसे पूछेंगे तो वे अवश्य इसकी ताईद करेंगे । अगर वे कष्ट करें और मेरे साथ चलें तो मैं उनको दिखा सकता हूं और दूकानों का निरीक्षण करा सकता हूं ।

यह जो पुस्तिका हमें दी गयी है इसमें लिखा है कि रायबरेली में इसका बहुत प्रचार किया गया है । इसमें हवाई आंकड़े दिये गये हैं और मैं समझता हूं कि उससे इसका प्रचार होने वाला नहीं है । किस तरह साधु महात्मा इसका प्रचार करते हैं, मैं उसको भी जानता हूं क्योंकि मुझे भी उनके बीच उठने-बैठने का अवसर मिलता है । वे लोग भी जब बोलते हैं तब ठंडाई पीकर ही बोलते हैं । वहां इसका प्रचार नहीं होता है, प्रचार केवल कागज तक ही रह जाता है । यह जो पुस्तिका मिली है उसमें लिखा है--"रायबरेली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में समाज सुधार केन्द्रों पर मद्यसेवियों और शराब बनाने वालों ने मिलजुलकर स्वयं भजन मंडलियों का संगठन किया है । जनप्रिय खेलों को प्रोत्साहन दिया गया । जिलों में मद्यनिषेध बोर्ड व संयम समिति के कार्यकर्ताओं ने मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान सम्बन्धी डायलाग, प्रहसन, एवं नाटकों व विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया ।"

यह इसमें लिखा जरूर है मगर यह सब कागजी बात है, वास्तविकता से यह सब दूर है। मैं इन आंकड़ों को झूठा समझता हूं । अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यह स्कीम बड़ी अच्छी है, इसको जरूर कीजिये, मगर आप इसको पहले एक जिले में लागू कीजिये और वहां के लोगों की मनोवृत्ति को ऐसा बनाने का प्रयत्न करें जिससे वहां के लोगों में शराब आदि

[श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल]

के प्रति घृणा पैदा होने लगे। कागजी रिपोर्ट से कोई लाभ होने वाला नहीं है। पहले रायबरेली में दो-एक ठेके थे, अब वहां १०-१२ होंगे। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--श्रीमती कमलकुमारी गोईंदी।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)--मान्यवर, मैं मद्यनिषेध के पक्ष में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं...

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या किसी कुमारी सदस्या को श्रीमती कह कर पुकारा जा सकता है?

श्री अधिष्ठाता---माननीया सदस्या अगर कोई एतराज करेंगी तो उसका जवाब दें दूंगा, वह मेरी बात को समझती हैं।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी---मान्यवर, भारत में कभी भी मद्य-पान के हक में वायुमंडल नहीं रहा, परन्तु जिन देशों में मद्यपान बुरा नहीं भी माना जाता था, वहां की जनता भी इसके भयानक रूप को देख कर व्याकुल हो उठी है। वह भी आज मद्यनिषेध चाह रहे हैं। मैं केवल एक फ्रांस का उदाहरण देकर आपको इस तथ्य को बताऊंगी। वहां पर भारी जन बहुमत इसके विरोध में है। वहां ६० परसेंट ऐक्सीडेंट इसी के कारण होते हैं। ७८ परसेंट क्रिमिनल्स इसी के कारण हैं। ९५ परसेंट बच्चों के साथ क्रुअल्टी इसी के कारण है। एक वर्ष में ६,३२७ पागल इसके कारण वहां हो गये। लगभग सारी बीमारियां खून की कमजोरी आ जाने के कारण फ्रांस में इसी के कारण उत्पन्न हुई।

मान्यवर, जिसका इतना भयानक रूप हो और साथ ही मैं भारत के पुराने इतिहास की याद दिला दूं---वह बहुत पुराना नहीं है। ब्रिटेन में बापू ने १९३१ में ब्रिटिश गवर्नर को चैलेंज दिया। उसकी कोटेशन इस तरह से है---

"हमारे यहां मद्यनिषेध की समस्या बहुत सरल है, अगर सरकारी घृणित आमदनी का प्रश्न न हो। उन्होंने देखा कि आमदनी और खर्च हमारे हाथ में होना कितना आवश्यक है। फिर हम उनको दिखा देंगे कि हम ऐसा बजट बना सकते हैं जिसमें पूरी शराब-बन्दी होते हुए वह संतुलित हो सके।"

मान्यवर, मैं निहायत नम्रता के साथ कहूंगी कि १५ वर्ष हमारे पूरे बजट के हाथ में आये हो गये। भारत की सरकार ने इसकी तरफ और बहुत से सूबों ने इसकी तरफ कदम उठाया और पूरी शराबबन्दी करके अपने बजट को संतुलित करके दिखा दिया। लेकिन हमारे प्रदेश ने ७ वर्षों में इसकी ओर एक कदम नहीं उठाया, बल्कि ६ नयी दूकानें और खुलीं।

मान्यवर, मैं एक छोटी सी बात बता दूं। १९४३ में एक कांग्रेस कार्यकर्ता को लाहौर में दिसम्बर के दिनों में जाड़े के दिनों में बरफ के ऊपर बैठाया गया और पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि "बताओ जयप्रकाश नारायण कहां है?" उसने कहा कि "मैं जानता हूं या नहीं यह नहीं बताऊंगा, लेकिन याद रखो वह दिन आने वाला है जब हमारी बारी आयेगी और हम बदला लेंगे।" उसके पश्चात् सन् ४७ आया, स्वतन्त्रता आयी और १९४८ भी आया। १९४८ में उसी कार्यकर्ता को पुलिस गिरफ्तार करके लायी। जिस वक्त उसको गिरफ्तार करके लाया गया उस वक्त वही इंस्पेक्टर वहां पर कप्तान था। कप्तान ने कहा जिसने आजादी में तरक्की पायी थी, "जय राम जी की, तात्पर्य यह कि अपना वक्त भी देख लो, तुम मुल्जिम के मुल्जिम और मैं Inspector से Captain, यही हालत बापू के चैलेंज की इस प्रदेश में है।

बापू ने कहा था कि हम पूरी नशाबन्दी करके बजट को संतुलित बना सकते हैं, लेकिन मान्यवर, अगर आज हम यह कहते हैं कि जो घृणित आमदनी हमारी है उसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, इस प्रकार से हम जनता से कह रहे हैं कि हम आपके बड़े सेवक हैं। आप हमें शराब पीकर, नशाखोरी करके पैसा दीजिये, गरीब और बीमार होइये ताकि हम आपकी सेवा कर सकें।

माफ कीजिये, अगर हम थोड़ा सा भी एक प्रिंसिपुल की तरफ ध्यान दें तो हमारे सामने स्थिति स्पष्ट हो जायगी। वह सिद्धांत इस प्रकार है--

"Prohibition and taxation cannot go together".

अगर समय होता तो इसको मैं विस्तारपूर्वक बता देती कि जैसे-जैसे पैसे का लालच बढ़ता है, उसी तरह ही वह चीज रुक नहीं पाती है, उसका प्रयोग बढ़ता है, बल्कि वही फ्रांस, रूस, और जर्मनी का जो हाल है, उसी तरह का रूप धारण हो रहा है। इस तरह से आप इस चीज को नहीं रोक पायेंगे। आप टैक्सेशन करते जाइये और रोकने की कोशिश कीजिये, लेकिन यह चीज रुकने वाली नहीं है। मान्यवर, संविधान की धारा ४७ में लिखा है:--

"In particular the state *shall* endeavour to bring about prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health".

मैं केवल इतना निवेदन करना चाहती हूं कि जब मैं छोटी थी तो मुझे पढ़ाया गया था कि इंग्लिश में जब थर्ड पर्सन के साथ "शैल" लगता है तो उसका अर्थ जरूरी हो जाता है। एक चीज मान्यवर, और याद दिलादूं कि हम सदस्यगण जो कांग्रेस की ओर से चुनकर आते हैं वह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम यूनिटी, total प्रोहिबिशन, रिमूवल आफ अनटचेबिलिटी और खादी में पूर्ण विश्वास रखते हैं। परन्तु हमने पिछले वर्षों में मद्यनिषेध की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया है। यदि नहीं बढ़ाया गया तो क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी प्रतिज्ञा और बापू के चैलेंज को पूरा करने के लिये पूर्ण शराबबन्दी जल्दी से जल्दी कर दें चाहे किसी मद से रुपया निकाल कर या किसी मद को काट कर हमें ऐसा करना पड़े?

मान्यवर, एतराज यह होता है कि वास्तव में शराबबन्दी नहीं हो पाती है बल्कि चोरी से शराब निकाली जाती है, जैसा कि उधर के कुछ माननीय सदस्यों ने भी अभी बताया। यह चोरी की शराब अधिकतर सरकारी शराब की आड़ में बिकती है। अगर शराब के ठेकों का एकाउन्ट्स देखा जाय कि कितने का उनका ठेका था और कितने की सप्लाई हुई और कितनी उनको आमदनी हुई तो पूरे तथ्य हमारे सामने आ जायेंगे।

साथ में यह भी कहा गया कि जहां जहां पर शराबबन्दी लागू की गई, वहां पर सफलता नहीं मिली। इस सम्बन्ध में मैं आंध्र के लेबर कमिश्नर की रिपोर्ट से एक लाइन पढ़ देना चाहती हूं:

"The standard of living of the workers has improved. The prohibition has not altogether eliminated the drink evil but has considerably reduced it".

इसके अलावा, मान्यवर, यह चीज गौर से देखने वाली है कि आजकल जब महिला कार्यकर्त्री शहरों में जाती हैं तो उनका वास्ता तमाम ऐसी दुखी बहनों से पड़ता है जिनके घर वाले इस व्यसन में फंसे हुए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज गरीब, अमीर और मध्यम श्रेणी, सभी श्रेणियों की औरतों की दुर्दशा हो जाती है यदि उनके पति इस व्यसन में फसे हों। आदमी अपनी सारी कमाई को शराब में ही खत्म कर देता है, बल्कि घर की लोटा थाली और स्त्री के जेवर को भी बेच देने की घटनायें रोज होती रहती हैं। यही नहीं मान्यवर, मैं ऐसी स्त्रियों को भी जानती हूं जिनके पति पैसा खत्म हो जाने पर शाम को आकर उनसे कहते हैं कि तुम

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

फलाने आदमी के पास चली जावों और पैसा ले आवो, वह मुझे नहीं देगा, तुम खूबसूरत हो, तुम्हें पैसा मिल जायगा। इसलिये मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि परमात्मा केलिये ऐसी आमदनी को वह अपने दिमाग से निकाल दें चाहे कोई भी कार्य हमें इस कल्याणकारी राज्य में छोड़ना पड़े। महिलाओं का कल्याण सबसे अधिक तभी होगा जबकि उनके पति इस व्यसन को छोड़ देंगे।

मान्यवर, जरा आप इलाहाबाद की ओर ध्यान दें। ऐसे पवित्र तीर्थ स्थान पर, उन दुकानों पर जहां माता स्वरूप रानी ने लाठी खाई हो, जहाँ माता कमला नेहरू ने पिकेटिंग की हो, वहीं पर शराब की दुकानें काफी जोरों से चलती हैं। जो मेरी मां का निवास स्थान है जिसने उसको picketing करते हुए अपना बेटा खोया हो। वहां पर शराब की दुकान जारी है। मैं निवेदन करूंगी कि कम से कम इलाहाबाद को जल्द से जल्द ड्राई एरिया घोषित किया जाय।

दूसरी एक बात और भी है कि इलाहाबाद में मनफोर्डगंज एक मुहल्ला है वहां पर नई दूकान शराब की खुली है। माननीय मंत्री जी से मैं इस सम्बन्ध में मिली थी और उन्होंने मुझसे प्रामिस भी किया था कि उसको बन्द करा देंगे। मैं आशा करती हूं कि वे इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द आर्डर को भिजवाने की कृपा करेंगे।

अन्त में मैं एक चीज और निवेदन करना चाहती हूं कि श्रीमती पर्ल बक जो नावेल प्राइज विनर हैं उन्होंने बापू की अन्तिम यात्रा पर कहा--"१० वर्ष बाद मालूम होगा कि बापू अमर हुए या खत्म"। बापू को अमर उनके वचनों को पूरा करके ही किया जा सकता है। यह केवल कह कर नहीं। भावुकता से काम चलने वाला नहीं है। श्रीमन्, मैं इधर देखती हूं, उधर देखती हूं, मेरा दिल यह कहता है--

"बुझ रहे हैं चिरागे दैरोहरम,
दिल जलाओ कि रोशनी कम है।"

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि सारे सूबे में एक दम नशा खोरी बन्द कर दी जाय। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री जी इस दूषित आमदनी से हमें बचायेंगे।

श्री मुल्लाप्रसाद "हंस" (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, मैं भगवतीसिंह विशारद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, मद्यनिषेध कैसे लागू किया जाय इस पर सारे देश में गम्भीरता से विचार हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का यह खयाल है कि सरकार को मद्यनिषेध की नीति से छिपकर अपराध बढ़ रहे हैं। जनता का अधिक पैसा खर्च हो रहा है और सरकार को भी फायदा कम हो रहा है। मद्यनिषेध होना चाहिये लेकिन वह केवल कानून से नहीं हो सकता व अधिकारियों को हुक्म देने से। माननीय मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया और कहा कि इसमें लोगों को शिक्षा देने की जरूरत है। अब वह शिक्षा कैसे दी जाय जिससे किसान मजदूर इसके महत्व को समझ सकें, इस पर हमारी सरकार और मंत्री जी को सोचना पड़ेगा।

अभी माननीय मंत्री जी नेकहा कि जिले में कोई सलाहकारिणी समिति बैठती और उसमें हमारे सदस्य भी बैठते, यह बात सही है। लेकिन मैं कहूंगा कि ११ जिलों में जो नशाबन्दी का कानून लागू है, श्रीमन्, वहां पर क्या होता है, कैसी वहां शिक्षा दी जाती है? मैं समझता हूं कि उन लोगों को ही शिक्षा दी जातीहै जहां शिक्षा की जरूरत नहीं और जहां के लोग खुद इस बात को समझते हैं कि नशा पीना खराब है, उससे हेल्थ खराब होती है, उसके पीने से मुंह से गलत बात निकलती है और उसकी वजह से तमाम गलत काम किये जा सकते हैं। वहां पर तो चालू है लेकिन वहां पर बन्द है जहां पर कि किसानों और मजदूरों के सामने मनोरंजन के कोई साधन नहीं हैं। वे होली, दीवाली आदि पर्व के मौके पर या शादी व्याह के मौके पर नशा पीकर अपना मनोरंजन करते हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से कहूंगा कि इसके लिये वह कोई कदम उठावे, क्यों कि इसके भागी हमारे कर्मचारी हैं।

मेरा जिला उन्नाव है, उसके बगल में ही हरदोई में तो खुला है लेकिन उन्नाव में बन्द है। सफीपुर तहसील व संडीला के बार्डर के ही एक घर में तो खुला है और एक घर में बन्द है। इसका नतीजा यह होता है कि दलाल लोगों की बन आती है जो एक तरफ तो पुलिस से मिले होते हैं और दूसरी तरफ नशा पीने वालों से भी मिले होते हैं। वे पहले ही पुलिस वालों को खबर कर दिये होते हैं कि फलां जगह फलां आदमी गांजा या भांग लेकर आवेगा उसको पकड़ लेना और इस तरह से पकड़ जाने पर उस शख्स से जो कि पकड़ जाता है कहते हैं कि यहां १००,५० रुपये देकर छूट जाओ वरना मुकदमे में तो २०० रुपये से कम में काम नहीं होने वाला है। इस तरह दलाल लोगों का भी काम चलता है और सिपाही व थानेदार लोगों का काम भी चलता। तो हमको सोचना यह है कि इस चीज को कैसे रोका जाय। सरकार को चाहिये कि इसके लिये कई शिक्षा केन्द्र कायम करे। हम तो इसके पक्ष में हैं कि नशा पीना खराब है और इसको बन्द होना चाहिये। आज इसकी वजह से लाखों आदमी टी० बी० के शिकार हो रहे हैं और तरह-तरह की परेशानियां लोगों के ऊपर आ रही हैं लेकिन यह कैसे बन्द हो इसके ऊपर सरकार सोचे।

दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक स्थान और स्कूलों के नजदीक इसकी दूकानें नहीं होनी चाहिये, साथ ही मजदूरों के बीच में भी ये दूकानें नहीं होनी चाहिये, क्योंकि इसका गलत असर पड़ता है और हमारे मजदूर भाई उसके शिकार बन जाते हैं। इसलिये माननीय मंत्री महोदय को इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों के नजदीक इनकी दूकानें नहीं होनी चाहिये। लखनऊ में सरकार खुला रखे या कुछ करे, इसके लिये सरकार जाने क्या फायदा होगा ? मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन इतना मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रचार कार्य होता है उससे कहीं कोई प्रचार होता नहीं है। मैंने अपने जिले में तो कहीं भी इस तरह का कोई प्रचार कार्य होते हुए नहीं देखा है। प्रचार कार्य के लिये जो अफसर रखे गये हैं उनको बड़े पैमाने पर प्रचार कार्य करना चाहिये, सरकार इसको देखे।

श्री बेचनरामगुप्त (जिला वाराणसी)—चेयरमैन महोदय, जहां तक मद्यनिषेध की बात है इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं कि यह अच्छी चीज है। हमारे इस प्रान्त में सन् ४६ से मद्यनिषेध का कानून लागू है। आज काफी साल हो चुके हैं, अब हमें इस प्रश्न पर मौलिक तरीके से विचार करना चाहिये कि आया हमारे यहां मद्यनिषेध कामयाब हुआ या नहीं। मंत्री जी ने एक कमेटी का जिक्र किया, उस कमेटी की रिपोर्ट तो मुझे मालूम नहीं है मगर जिन जिलों में यह मद्यनिषेध है, खास तौर से मैं कानपुर का जिक्र करता हूं, जहां के बारे में कमेटी के सामने शहादत आई कि कानपुर के मुहल्ले-मुहल्ले में शराब की कच्ची भट्टियां हैं, नावों पर कच्ची शराब बनाई जाती है, गंगा जी के किनारे बालू में बोतलें गाड़ कर रख दी जाती हैं, ग्वाले जो दूध की बाल्टियां लेकर कानपुर के शहर में जाते हैं उनकी बाल्टियों में भी शराब की बोतल रहती है।

मैं निवेदन करूंगा कि कुछ जिलों में यह कानून लागू किया जाय और अधिकांश जिलों में वह लागू न हो तो यह स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। इससे तरह-तरह की खराबियां पैदा होती हैं। अधिकारी वर्ग मद्यनिषेध के कानून को अच्छी तरह से कार्यान्वित नहीं कर सकते। आप को ख्याल होगा कि कुछ साल हुए हमने एक प्योर फूड बिल पास किया था, उसका मकसद था कि खाने पीने की चीजों में कोई मिलावट न हो इसी खयाल से हम ने वह कानून बनाया था लेकिन वह कानून कार्यान्वित नहीं हो सका। उसका कारण यह था कि हमारे पास इतना फोर्स, इतनी पुलिस और इतने एक्साइज के आदमी नहीं हैं कि हम उन चीजों को लागू कर सकें। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था कि कुछ जिलों में तो मद्यनिषेध किया जाय और बाकी जिलों में वह जारी रहे, यह नीति उचित नहीं है। हमारे मंत्री जी विदेशों में रहे हैं, मैं थोड़ी सी विदेशों की भी बात यहां करना चाहता हूं। कनाडा में इसकी कोशिश की गई, वहां

[श्री बेचनराम गुप्त]

एक स्टेट में मद्यनिषेध लागू किया गया और अधिकांश स्टेटों में वह लागू नहीं किया गया, इसका नतीजा यह हुआ कि वहां मद्यनिषेध विफल रहा ।

इसके अलावा अमेरिका में जहां पर कि हमारे मंत्री जी रह चुके हैं, उनको मालूम होगा कि वहां दो एक स्टेट को छोड़कर सारी स्टेट्स में मद्यनिषेध का कानून लागू किया गया था परन्तु वहां पर यह विफल रहा । इस प्रकार से मद्यनिषेध के लागू होने से वहां की जनता का स्तर धीरे-धीरे गिरता गया । इससे नेशन में खराबी आती है । अपराधों की संख्या बढ़ी है, अधिकारी करप्ट हुये हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में जो अधिकारी हैं उनमें करप्शन आ गया है । मैं निवेदन करूंगा कि हमें अब इस प्रश्न पर मौलिक तरीके से विचार करना होगा कि आया हम सारे सूबे में मद्यनिषेध का कानून लागू करें या हम इस चीज को बिलकुल खत्म कर दें ।

आप जानते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है । रुपयों की बड़ी आवश्यकता है । और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जो परेशान हैं । वह नये टैक्स लगाने की बात करते हैं, इन तमाम परिस्थितियों को सामने रखते हुये हमें विचार करना चाहिये, कि मद्यनिषेध के बारे में हम आगे क्या कदम उठायें । पाश्चात्य देशों में, खास कर फिलिपाइन्स, अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया आदि में सब जगह इस बारे में कोशिश की गई, परन्तु सब जगह मद्यनिषेध नाकामयाब रहा । इन तमाम बातों को देखते हुये मैं निवेदन करूंगा कि इस दिशा में कोई ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिये । हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारी आय हर साल बढ़ती चली जा रही है । सन् ४८ में जब हमने मद्यनिषेध कानून लागू किया था तबसे आज तक मेरा ख्याल है २ करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ गई है । हम चाहते हैं कि शराब की बिक्री कम हो, नशीली चीजों का इस्तेमाल कम किया जाय, लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने रखे गये हैं उनसे यह मालूम होता है कि वह चीजें दुगुनी बढ़ गई हैं । इसलिये ऐसे कानून या ऐसी पालिसी से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है ।

मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी का इशारा रहता है या नहीं कि आमदनी बढ़ाई जाय लेकिन एक्साइज इंसपेक्टर ठेकेदारों से कहते हैं कि ठेका की रकम और बढ़ा दो, तुमको हम सारी सुविधा देंगे और जो उनको सुविधा दी जाती है वह यह है कि दिन रात शराब की दुकानें खुली रहती हैं, एडल्टेरेशन होता है और दुकानें ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर रखी जाती हैं जहां बच्चे, स्त्रियां सब देखते हैं कि शराब बिक रही है । उदाहरण के लिये मैं बताऊं कि बनारस शहर में गुदौलिया से एक पक्की सड़क दशाश्वमेध घाट को जाती है । वहां ठीक बीच सड़क शराब की दुकान है । सारी जनता शिकायत करती है कि इसको हटा दिया जाय लेकिन बावजूद कोशिश करने के और कहने के वह नहीं हटाई जाती है । इसका क्या मतलब है ?

एक नियम यह बनाया गया था कि जो जिले ड्राई हैं, उनकी सरहद से जो दूसरा जिला मिला है, उससे ५ मील की दूरी पर शराब या भांग की दुकान रखी जाय । बदकिस्मती से मेरा भदोही टाउन जौनपुर से बिलकुल मिला हुआ है । पहले ५ मील की दूरी पर शराब की दुकान थी और अब अफसरों की मेहरबानी से भदोही में शराब की दुकान कर दी गई है जिसकी वजह से जौनपुर के लोग भी आकर शराब खरीदते हैं । अभी कल एक चिट्ठी मुझे मिली है कि बनारस जिले के शानपुर तहसील में मतौथू एक गांव है जहां भांग का ठेका हुआ है । अब उसे उठाकर सुरियावां में लाया गया है जो बिलकुल जौनपुर के सरहद से मिला हुआ है । इस प्रकार से, नियमों का उल्लंघन होता है । उससे आफिसर भी डिमारेलाइज होते हैं, करप्शन भी बढ़ता है और जनता में भी अपराध की भावना बढ़ती है ।

अभी मैंने कहा कि सरकार की इच्छा है कि शराब न इस्तेमाल की जाय । परन्तु हजरतगंज में शराब की दुकानों की हालत यह है कि एक फर्लांग में करीब करीब ७-८ दुकानें होंगी और कुछ जगहों में तो खुली हुई शराब बिकती है । दिल्ली जैसे शहर में खुली हुई शराब किसी रेस्टो-

रेंट में नहीं बिकती । मैंने मंत्री जी से कहा कि जिस प्रकार दिल्ली में है उसी प्रकार लखनऊ में भी बन्द कर दी जाय जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है वही पी सकेंगे, कम पैसे वाले नहीं पी सकेंगे । लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । एक फर्म डायर एन्ड मैकिन है जिसके मालिक बहुत बड़े आदमी हैं । उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं । सारे लखनऊ शहर में और खास-कर हजरतगंज में तरह-तरह की शराबों का प्रचार कर रखा है । मैंने एक्साइज कमिश्नर से कहा, मंत्री जी से कहा कि इसको बंद कर दें, कोई आदमी बाहर से आवे तो वह कभी नहीं समझेगा कि मद्यनिषेध की सरकार की नीति है, वह तो यह कहेगा कि यहां शराबखोरी में विश्वास किया जाता है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई नियम और कानून ऐसा नहीं है कि हम बन्द कर सकें । मगर कानून तो एसेम्बली में बनाया जा सकता है, नियम बनाया जा सकता है । लेकिन बात क्य है कि वह बड़े आदमी हैं इसलिये मंत्री जी कि हिम्मत नहीं पड़ती है कि उनके खिलाफ कोई कानून या नियम बनावें ।

आजकल इकोनामी का जमाना है । हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत परेशान रहते हैं रुपये के लिये । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस डिपार्टमेंट में १२ या १५ पोस्ट्स सुपरिन्टेंडेंट की कायम कर दी गई हैं और उनकी तनख्वाह २५० या ३०० रुपये से शुरू होती है । मैं नहीं कह सकता कि इकोनामी के जमाने में इन पोस्टों का निर्माण करना कहां तक उचित है । एक बात हमारे माननीय भगवतीसिंह विशारद जी ने कहा है कि कुछ अफसर न १० साल से एक ही स्थान पर हैं । मुझे भी ऐसा मालूम हुआ कि कोई अफसर १० साल से लखनऊ में है । पहले वह इंस्पेक्टर थे फिर सुपरिन्टेन्डेंट बनाये गये और आजकल शायद असिस्टेंट कमिश्नर हो गये हैं । उनका तबादला कभी नहीं होता । मंत्री जी इन बातों पर ध्यान दें क्योंकि इससे विभाग की बदनामी होती है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय भगवतीसिंह विशारद जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने को खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमन्, मुझे सरकार की इस नीति पर बड़ा आश्चर्य है जिसका दावा सरकार ने जब ११ जिलों में और ३ तीर्थ स्थानों में मद्यनिषेध लागू किया था कि इससे चारित्रिक उत्थान होगा, लोगों में आत्मबल आयेगा और देश की स्थिति सुधरेगी, लेकिन यदि वस्तु-स्थिति को देखा ज य तो हुआ बिल्कुल उल्टा । चारित्रिक पतन हुआ, चोर बाजारी बढ़ी, सैकड़ों लोगों का नैतिक पतन हुआ और होता चला जा रहा है । तो मद्यनिषेध योजना जिसको सरकार ने ११ जिलों और ३ तीर्थ स्थानों में लागू किया है उसकी असफलता की कहानी माननीय मंत्री जी की जबानी हमारे सामने आ रही है । १०, १२ साल होने को आ रहे हैं लेकिन आज तक सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि इसके दूसरे जिलों में लागू करें । आश्चर्य इस बात का है कि जब सदन में प्रश्नोत्तर होते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि यह योजना सफल है और असफल के बीच की है, मैं उनके उत्तर का सार कह रहा हूं । तो सफल और असफल के बीच की स्थिति क्या है, मेरी समझ में नहीं आता । या तो मंत्री जी स्पष्ट रूप से स्वीकार करें कि मद्यनिषेध योजना असफल हुई है या फिर स्पष्ट रूप से स्वीकार करें कि सफल हुई है और पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जाय ।

श्रीमन्, एक ही इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, जरा ध्यान से इस पर सदन विचार करे, कि प्रदेश में मद्यनिषेध योजना लागू भी है, मद्यपान बढ़ता जाता है । और खास तौर से कानपुर को देखा जाय जहां विदेशी शराब बहुत बिकती है, उसकी तादाद ४, ५ गुनी हो गई । क्या वजह है कि एक तरफ मद्यनिषेध चले और दूसरी तरफ विदेशी शराब की बिक्री बेतहाशा बढ़ती चली जाय ।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

अब मंत्रीजी का प्रश्न यह हो सकता है कि आखिर मेरा सुझाव क्या है ? मद्यनिषेध के संबंध में श्रीमन् मैंने बार बार कहा कि कोई काम आंशिक स्वरूप में सफल नहीं होता । अगर कोई यह चाहे कि प्रदेश में या देश में पूंजीवादी व्यवस्था भी कायम रहे और समाजवाद का प्रयोग किसी एक स्थान पर किया जाय, असंभव है । ठीक यही स्थिति मद्यनिषेध की है । कानपुर, उन्नाव में मद्यनिषेध है तो अफसर लोग लखनऊ आकर पी जाते हैं, अनावश्यक पैसा खर्च करते हैं, आने पर समय बरबाद करते हैं और उस बीच में पब्लिक को कष्ट होता है । तो या तो मंत्री जी सब जगह बंद कर दें और नहीं तो कानपुर के जो उनके अफसर हैं उनको फिर पीने ही दिया जाय । दोनों में से एक रास्ते को अपनाना पड़ेगा । मेरी राय है मंत्री जी गंभीरतापूर्वक विचार करें कि मद्यनिषेध हो क्यों नहीं रहा है ? मैं कुछ कारण आपके सामने रखना चाहता हूं और सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे गंभीरतापूर्वक सोचें और इस थोथा योजना को एक सही स्वरूप दें ताकि हमारे प्रदेश में नैतिक स्तर भी बढ़े और जो हमारा इरादा है कि इस दुरव्यसन को प्रदेश से दूर किया जाय उसमें भी सफलता प्राप्त हो ।

मैं पहले माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज अफीम की जो स्थिति है वह यह कि अफीम की चोरबाजारी प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है । कारण यह है कि अफीम का दाम सरकार किसानों को ३०, ३५ रुपये सेर के हिसाब से देती है जो कि उसको पैदा करते हैं और सरकार उसे बेचती है ९२० रुपये सेर के हिसाब से खाने वालों को । इसमें चोरी को बड़ी रोकी नहीं जा सकती चाहे कितने ही अफसर नियुक्त किये जायं । मैं इस वक्त इसके संबंध में एक उदाहरण दे दूं । बरेली शहर में कोतवाली की पुलिस ने १०, २० सेर चरस पकड़ी । आबकारी के इंसपेक्टर का उसमें हिस्सा था । वह व्यापार बराबर चलता था लेकिन आबकारी के इंसपेक्टर ने उसे नहीं पकड़ा । वहां के लोगों ने शिकायत की तो कोतवाल ने जा कर पकड़ा । उस पर आबकारी के इंसपेक्टर से कोतवाल का झगड़ा हुआ । उस झगड़े में कोतवाल जीत तो गये और उन्हें कमिश्नर ने ५०० रुपये इनाम को दिये, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि वह इंसपेक्टर साहब अपनी जगह मौजूद हैं और उनके लिये कोई सजा नहीं । अड़चन डाली गयी कि यह आदमी पकड़ा न जाय और उस अड़चन डालने वाले को कोई सजा नहीं । कारण क्या है ? कारण यह है कि माननीय मंत्री जी तो केवल सांईनिंग अथारिटी हैं । पूरी पावर्स एक्साइज कमिश्नर को हैं । जो इंसपेक्टर ज्यादा उनको खुश रखता है उसी को उसकी इच्छा पर नियुक्त किया जाता है जहां ज्यादा पैसा मिले, अच्छी आमदनी हो, उसे ऐसा अच्छा स्टेशन दिया जाता है और अगर कोई ईमान्दार आदमी वहां पहुंच जाता है तो ६ महीने में उसका तबादला कर दिया जाता है । यह विशेष परिस्थिति वहां चल रही है । इस तरह के बहुत उदाहरण हैं कि किस प्रकार से यह एक्साइज विभाग मिलकर स्मगलिंग कर रहा है ?

(इस समय १ बजकर ५८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए ।)

तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं, श्रीमन्, कि यह विभाग इस तरह से भ्रष्टाचार फैलाये हुए है जिससे प्रदेश के लोगों को भ्रष्ट बनाया जा रहा है और इस तरह से यह विभाग देश के साथ गद्दारी कर रहा है । अफीम का भाव अंग्रेजी जमाने में ५ रुपये सेर था जो किसानों को सरकार देती थी और ९ रुपये सेर उस समय अफीम मिला करती थी खाने वालों को । दुगने से ज्यादा फर्क नहीं था लेकिन आज ३५ रुपये सेर के हिसाब से तो खरीदी जाती है और खाने वाले को बेची जाती है ९२० रुपये सेर । तो यह एक विचित्र स्थिति है । आखिर दामों में कुछ तो सामंजस्य होना चाहिये । ज्यादा से ज्यादा सरकार उसे खरीदने के भाव से ड्योढ़े दाम पर बेचे और तब इंस्पेक्टर को रखने की जरूरत नहीं होगी । साधारण पुलिस जैसे चोरी पकड़ती है इसे भी पकड़ेगी और एक्साइज का जो पूरा स्टाफ है जिस पर हमारा २७ लाख रुपया खर्च हो रहा है वह नहीं होगा । हमें ऐसी

स्थिति पैदा करनी चाहिये कि लोगों को चोरबाजारी करने का प्रोत्साहन ही न मिले लेकिन इतना बड़ा यानी २०,२५ गुना फर्क होने से ही परिणाम यह हुआ कि चोरबाजारी रुक नहीं रही है और प्रदेश के जनजीवन का एक बड़ा अहित हो रहा है।

१९५८ में फैजाबाद जिले में स्पिरिट से नाजायज शराब बनने की खबर मंत्री जी के पास माननीय तेजबहादुर वर्मा द्वारा दी गयी। एक्साइज कमिश्नर इलाहाबाद से इतनी देर से गये जिससे सूचना उन लोगों को पहले ही मिल गयी, वह रेड हो नहीं पाया। स्पिरिट में अल्कोहलपावर बहुत होती है और उसमें कुछ मसाला डाल देने से गंध खत्म हो जाती है और रंग वही रहता है और बाद में उसको शराब बना लेते हैं। इसके मसाले स्वयं माननीय जंगबहादुर वर्मा ने एक पत्र के साथ माननीय आबकारी मंत्री को कुछ वर्ष पूर्व दिये थे लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी वजह से अगर देखा जाय तो जो स्पिरिट का उपयोग है यानी जलाने के लिये, चोट में लगाने के लिये या और दूसरे कामों में जो उसका उपयोग होता है उसमें जो एक्सपेक्टेड खपत है उससे २० गुनी से ज्यादा स्पिरिट बिकती है और इसलिये बिकती है कि वह शराब की जगह इस्तेमाल होती है जिसके कारण लोगों के फेफड़े खराब होते हैं, शारीरिक पतन होता है और तमाम तरह की बुराइयां पैदा होती हैं। लेकिन इसका कोई भी हिसाब इस विभाग के पास नहीं है कि स्पिरिट से जो शराब बनती है उसे रोकने का क्या तरीका है। बराबर दुकानों में शराब की जगह स्पिरिट बिक रही है। अगर इस चीज को देखा जाय कि शराब से कितनी आमदनी इस प्रदेश को है और कितनी शराब की निकासी होती है तो यह पता चलेगा कि ठेके तो ज्यादा पैसे के लेते हैं और शराब कम पैसे की मिलती है। तो सवाल यह होता है कि फिर आखिर ये ठेके चलते कैसे हैं? इसमें होता यह है कि शराब में ३५ परसेंट अल्कोहल होता है लेकिन जो दुकानों पर शराब मिलती है उसमें २० परसेंट से ज्यादा अल्कोहल नहीं होता। १५ परसेंट वे लोग निकाल लेते हैं और उसे एक्स्ट्रा में बेचते हैं। यानी अगर किसी ठेके पर १०० बोतलें बिकनी हैं तो १५ परसेंट निकाल लेने से ११५ हो गयीं और इस तरह से जो १५ ज्यादा हुईं उनको अलग से बेंच कर मुनाफा कमाते हैं और इस तरह से ये ठेके चलते हैं।

इस सिलसिले में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि एक विचित्र हालत और है जिसके कारण स्पिरिट से शराब बनायी जाती है और जिसका बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। जैसा कि माननीय विशारद जी ने कहा, लोगों को पीने की कमी है ही नहीं। उनके पास तो साधन है लेकिन अगर सभी सदस्य कोशिश करें तो साधन सब के पास हो सकते हैं। कानपुर और उन्नाव दोनों जिलों में प्रोहिबिशन है लेकिन उसका नतीजा यह है कि जो पड़ोस के जिले हैं जैसे लखनऊ, बाराबंकी वगैरह, जहां मद्यनिषेध नहीं है वहां से मादक वस्तुएं लेकर मोहल्ले-मोहल्ले में ठेके खुले हुये हैं। तो एक तरफ तो मद्यनिषेद चल रहा है और दूसरी तरफ मद्य प्रसार हो रहा है। इसी व्यापार में लोग बराबर धनी होते जा रहे हैं और बड़ी-बड़ी इमारतें बनती चली जा रही हैं, इतनी ब्लैक मार्केटिंग इसमें होती है। श्रीमन्, स्पिरिट की जो शराब बनती है उसको भरते हैं असली शराब के रूप में और फिर उसको कैसे सीलबन्द करते हैं इसके सम्बन्ध में एक ही उदाहरण दे देना काफी होगा। फैजाबाद में एक लायसेन्सदार थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा वरना आपत्ति होगी उनको पकड़ा गया। वह करते यह थे कि जिस बोतल में शराब आती है वह सीलबन्द होती है लेकिन एक यंत्र ऐसा आता है जो उस सील को एन्टैक्ट निकाल लेता है, तो उससे वह सील निकाल कर शराब निकाल लेते थे और स्पिरिट वाली शराब उसमें भर कर फिर सील लगा देते थे। वह पकड़े गये, उनका चालान भी हुआ लेकिन उसके बाद फिर कोई रोकथाम इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से नहीं की गयी।

अब चूंकि समय कम है इसलिये मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि मंत्री जी का विभाग एक प्रकार के फोड़े के स्वरूप में शासन शरीर पर काम कर रहा है। यह विभाग इतनी मुसीबत समाज में पैदा कर रहा है, लोगों को इतना गिराता है और नैतिक पतन इतना बढ़ाता है कि आज इस विभाग को रखने का औचित्य नहीं रह गया है बल्कि यह एक राक्षसी विभाग बन गया

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

है। कहा यह जा सकता है कि अगर हम सारे प्रदेश में मद्यनिषेध कर दें तो आमदनी घट जायगी। तो जरा आमदनी बढ़ाने का जरिया मंत्री जी सोचें कि क्या हो सकता है जिसकी ओर वह तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। मोटरों में जो इंजिन लगते हैं, जिसके बारे में मैंने बार-बार मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया अगर वह पावर अल्कोहल से चलने वाले बनाये जायं और जो सरकार का परिवहन विभाग चल रहा है उसके बसों के इंजिन पावर अल्कोहल से चलने वाले हों तो हमारे प्रदेश के गन्ना उत्पादक को भी लाभ हो और सरकार को आमदनी भी बढ़े तथा चीनी मिलों को इससे लाभ होने के कारण चीनी सस्ती बिकने लगे। यानी एक तरफ तो हमारा प्रदेश पावर अल्कोहल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो और दूसरी तरफ हमें लाखों की आमदनी हो और दूसरे उद्योगों को बल मिले। जो काम करने चाहिये थे वह नहीं किये गये। इसलिये नुकसान हुआ और वह काम किया गया जो जनहित विरोधी है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का विरोध करता हुआ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मद्यनिषेध के मसले पर अपने विचार पेश करने का मौका दिया। हम सब यह जानते हैं कि मद्यनिषेध हमारे इस प्रदेश में २०—२२ साल से लागू हो चुका है और अब तक ११ जिलों में और ३ तीर्थ स्थानों में यह स्कीम रायज हो चुकी है। आज तीसरी पंचवर्षीय योजना का पहला साल चल रहा है और यह मौका है कि इस मौके पर हम गौर कर सकें कि हमारी मद्य निषेध की पालिसी कहां तक कामयाब रही और क्या त्रुटियां रहीं और उसके लिये हमें आइन्दा क्या करना है।

मैं इस बात को जानता हूं कि हमारी स्टेट के जो एक्साइज मंत्री हैं वह एक बहुत ही काबिल इंसान हैं जिन्होंने इससे पहले ट्रांसपोर्ट के महकमे में काबलियत का इजहार किया है वह हम सब देख चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि अब जब कि यह महकमा उनके पास आ गया है, वह इसमें भी तरक्की की गुंजाइस निकालेंगे और इस महकमे को कामयाबी से चलाने की कोशिश करेंगे। आज जिस सूरत से यह मसला हमारे सामने है उसमें बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि मैं इस सिलसिले में मंत्री जी को या सदन को मुबारकबाद दे सकूं, उस काम के लिये जो गुजिश्ता २०-२२ सालों से इस सूबे में हुआ। मैं अहसास रखता हूं कि हमारी स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसपिल्स में यह शामिल है। हमें मोहीबिशन के लिये कोशिश करनी चाहिये और पूरे तरीके से इसे लागू करना चाहिये और २२—२३ साल के बाद हम सिर्फ ११ जिलों में ही इसको जारी कर सके हैं और पिछले कई वर्षों से जब कि यह आशा की जाती रही कि बजट में कुछ और स्थान शामिल किये जायगें, लेकिन निराशा हुई।

इस बात से यह पता चलता है कि सरकार को कुछ दिक्कतें और दुश्वारियां हैं जिससे वह इस पालिसी को ज्यादा बढ़ा नहीं सकती है। मुझे इस बात का भी इल्म है कि इस तमाम मसले पर साल बसाल गौर होता रहा है और सरकार ने एक कदम उठाया था कि रामस्वरूप जी यादव की सदारत में एक कमेटी बिठाई थी। उसने तमाम सूबे का दौरा किया था और उसने अपनी रिपोर्ट भी दी है। मैंने उसे देखा नहीं है इसलिये कि वह अभी तक इस सदन में नहीं रखी गई। लेकिन जहां तक मैंने सुना है, उन्होंने इस बात का एतराज किया है कि जहां तक मौजूदा पालिसी है वह नाकामयाब होगई है। मैंने ऐसा भी सुना है कि उसमें यह लिखा हुआ है कि इस सूबे में बाज बाज ऐसे जिले हैं जहां पर नाजायाज तौर पर शराब खींचने का काम काटेज इंडस्ट्रीज के तौर पर बढ़ गया है। अगर यह बात सही है तो बड़ी चिन्ता की बात है और ऐसी है कि जिसके ऊपर बहुत गौर से जांच करना है कि हमें क्या करना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बात के मुताल्लिक दो रायें नहीं हो सकती हैं कि उसूली हैसियत से प्रोहीबिशन बहुत अच्छी चीज है। यह हमारे कांस्टीट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स में शामिल है और अगर यह चीज कामयाबी से चलाई जा सके तो काफी नफा हासिल हो सकता है अगर हमें अपने मुल्क की इकोनोमिक कंडिशन दुरूस्त करना है, सोशल हेबिट दुरूस्त करना है तो इससे बड़ा नफा हो सकता है लेकिन अमली तौर पर इस बात को देखना है कि क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारी यह पालिसी कामयाब हुई।

मुझे याद है कि १९३७ में जब कि पहली मर्तबा पापुलर गवर्नमेन्ट इस सूबे में कायम हुई तो उस वक्त उस बजट में जो सबसे बड़ी आमदनी थी वह लैंड रेवेन्यू की थी। लेकिन दूसरे नम्बर पर उससे कुछ ही कम जो सबसे बड़ी आमदनी थी वह स्टेट इक्साइज की थी। लेकिन इस तमाम अरसे में जब कि सिर्फ ११ जिलों में नशाबन्दी जारी की गयी वह आमदनी रफता-रफता घटी और घटते-घटते करीब ५ करोड़ के वह आमदनी पहुंच गयी। लेकिन अब वह फिर बढ़ना शुरू हो गयी है और इस बात का इमकान है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपनी तकरीर में कहा कि अगले साल तक शायद ८ करोड़ हो जाय। मैं इस गोरखधंधे को नहीं समझा। एक तरफ हमारे यहां प्राहिबिशन की पालिसी भी जारी होती रही, हमारी इनकम भी कम हो गयी, दूसरी तरफ यह भी होगा कि जो हमारी आमदनी घट गयी थी अब वह रफता रफता बढ़ती जा रही है। इससे मालूम यही होता है कि हमारी प्राहिबिशन की पालिसी में कुछ कमियां हैं। हम चाहते हैं कि प्राहिबिशन कामयाब हो जाय और यह भी चाहते हैं कि हमारी आमदनी पर कोई बार न होने पाये, बल्कि आमदनी बढ़ती भी जाय। मैं उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अदब के साथ आपके जरिये माननीय मंत्री के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि यह दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं।

एक बात और भी है। नशाबन्दी का जो प्रोग्राम है यह मामूली प्रोग्राम नहीं है। हमें मालूम है कि एक मर्तबा इसका तजुरबा अमेरिका में किया गया था, लेकिन वह नाकामयाब हुआ। हमें इस बात का फक्र है कि यह अमेरिकन मुल्क नहीं है बल्कि एशिया का वह मुल्क है जो मारल पहलू पर काफी जोर देता है। इस ऐतबार से हम इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि हम उस काम को वहां से कुछ बेहतर चला सकें। लेकिन हमें मानना पड़ता है कि हम जितनी आमदनी को तर्ज कर रहे हैं उसको देखते हुए पूरे नतायज बरामद नहीं होते। अगर हम अन्दाजा लगाएं कि पिछले २२ सालों के अदर प्राहिबिशन के मातहत हमारी कितनी आमदनी का नुकसान हुआ है तो मैं ऐसा अन्दाज करता हूं कि इस अरसे में तकरीबन ४०–५० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अगर यह ५० करोड़ रुपया हम को मिल सकता, अगर आज डेवलपमेन्ट के युग में हम इस पये को अपने मुल्क की बेहतरी के लिये किसी और काम में लगा सकते तो मैं समझता हूं कि हम उससे ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते थे।

उपाध्यक्ष महोदय मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज पोजीशन क्या है, रामस्वरूप कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि कई जिलों में, देहातों में इसकी काटेज इंडस्ट्रीज बन गयी हैं। यह बाकायदा है कि काटेज इंडस्ट्रीज की तरह पर लोग काम करते हैं। जब कोई शख्स गिरफ्तार होता है तो फौरन उसकी जमानत हो जाती है और वह अपने कारोबार में फिर लग जाता है और उसके जरिये अपनी आमदनी पैदा करता है। छः महीने या साल भर मुकदमें की समाप्त होती है। इस अरसे में वह कोशिश करता है कि जायज या नाजायज तौर से किसी तरकीब से वह मुकदमें से छुटकारा हासिल कर ले। अगर वह नहीं छूटता तो साल भर या छः महीने के बाद मुकदमे की पेशी आती है। वह सफाई पेश करता है, वकील करता है और इस अरसे में उसके आमदनी का जरिया बराबर जारी है। उसके बाद या तो छूट जाता है या अगर सजा होती है तो १००–५० रुपये जुर्माना हो जाते हैं या महीने दो महीने की कैद हो जाती है। आम तौर पर जुर्माना ही होता है। अगर प्रीवियस कनविक्ट है तो सजा हो जाती है। वह १००–५० रुपये बड़ी आसानी से अदा कर सकता है क्योंकि वह बराबर कारोबार करता रहा है। वह इस अरसे में दो हजार कमा लेगा तो उसे ५० या १०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज पोजीशन क्या है, रामस्वरूप कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि कई जिलों में, देहातों में इसकी काटेज इंडस्ट्रीज बन गयी हैं। यह बाकायदा है कि काटेज इंडस्ट्रीज की तरह पर लोग काम करते हैं। जब कोई शख्स गिरफ्तार होता है तो फौरन उसकी जमानत हो जाती है और वह अपने कारोबार में फिर लग जाता है और उसके जरिये अपनी आमदनी पैदा करता है। छः महीने या साल भर मुकदमें की समाप्त होती है। इस अरसे में वह कोशिश करता है कि जायज या नाजायज तौर से किसी तरकीब से वह मुकदमें से छुटकारा हासिल कर ले। अगर वह नहीं छूटता तो साल भर या छः महीने के बाद मुकदमे की पेशी आती है। वह सफाई पेश करता है, वकील करता है और इस अरसे में उसके आमदनी का जरिया बराबर जारी है। उसके बाद या तो छूट जाता है या अगर सजा होती है तो १००–५० रुपये जुर्माना हो जाते हैं या महीने दो महीने की कैद हो जाती है। आम तौर पर जुर्माना ही होता है। अगर प्रीवियस कनविक्ट है तो सजा हो जाती है। वह १००–५० रुपये बड़ी आसानी से अदा कर सकता है क्योंकि वह बराबर कारोबार करता रहा है। वह इस अरसे में दो हजार कमा लेगा तो उसे ५० या १०० रुपये

[श्री सुल्तान आलम खां]

देने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके पर यह काम बराबर जारी रहता है और लोगों का कोई इससे सुधार नहीं होने पाता। मैंने पिछले सालों में कई मर्त्तबा पिछले माननीय मंत्री जी के सामने यह सुझाव रखा था कि हम इस बात पर गौर करें कि हम क्या कर सकते हैं और मेरे उन सुझावों में से एक सुझाव यह भी था कि हम इसकी पेनाल्टी को बढ़ायें। दुनिया का यह उसूल रहा है कि जिन जरायम में सजा ज्यादा मिलती है वह जरायम कम होते हैं और जिन जरायम में सजा कम मिलती है वह जरायम अधिक तादाद में होते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम जिलों में मर्डर और डकैती के जो जरायम होते हैं जिनमें कि सजा बहुत ज्यादा होती है उनकी तादाद देखें, जो केसेज उनके सजा के होते हैं तो वह मुश्किल से तीस चालीस या २५ होते हैं जबकि ३२३ के मुकदमें जिनमें सजा कम होती है कई हजार की तादाद में होते हैं। तो हमारे एक्साइज केस में भी दस बीस ५० रुपये का जुर्माना या महीने दो महीने की कैद हो जाती है। लोग बड़ी खुशी से जुर्माना अदा करते हैं और फिर अपने कारोबार को जारी रखते हैं। लेकिन अगर आज इस जुर्म की सजा बढ़ाकर पांच साल या सात साल कर दी जाय और हर जिले में दो-चार डेटरेंट किस्म की सजायें दे दी जायं तो काफी हद तक इस जुर्म में कमी आ जायगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जो इस बात के बड़े ही खवाहिशमन्द रहते हैं कि उनके पास जो भी कोई सुझाव हो उसमें वह पूरी-पूरी तरक्की करें, उनके सामने यह सजेशन रखना चाहता हूं कि वह इस बात पर गौर करें और अगर वह यह मुनासिब समझें कि और लोगों की भी राय लें तो वह सदन के माननीय सदस्यों को बुलाकर या कोई कमेटी उनकी बनाकर किसी भी सूरत से उनकी राय ले सकते हैं कि इस जुर्म को रोकने के लिये अगर हम सजा में कुछ इजाफा करना चाहें तो कानून में किस तरह से तरमीम करनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि आम तौर पर जो शराब बनायी जाती है वह महुवे से बनायी जाती है या ज्यादातर शीरे से बनायी जाती है। शीरे से लोग बहुत ज्यादा शराब खींचते हैं और इसकी वजह यह है कि हमारे सूबे के अन्दर बहुत सी गन्ने की फैक्टरियां हैं जिनमें जो मुजेसेज बचता है उसका कोई अच्छा इन्तजाम नहीं होता है। उसकी कोई कारामद चीजें नहीं बनाई जातीं और मैं समझता हूं कि एक इंडस्ट्री के प्वाइंट आफ व्यू से इस बात पर हम गौर करें तो इस बात की आज बड़ी जरूरत है कि हमारे सूबे के अन्दर जो मुजेसेज पैदा होता है उसका कोई अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर इन्तजाम किया जाय। माननीय मंत्री जी जब इस संबंध में बोल रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। उनके सामने इस सम्बन्ध में जो स्कीम्स हैं, प्रोजेक्टस हैं वह उन्होंने बतायीं कि बरेली में एक रबर की फैक्ट्री कायम करने का इरादा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह तीन चीजें अपनी जगह पर ठीक हैं। बड़े बड़े-बड़े काम हैं। वह जिस वक्त कामयाबी के साथ चलेंगे उस वक्त अपने यहां इस मुजेसेज की खपत ज्यादा होगी, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे केमिकल्स के जरिये से हो या पावर अलकोहल के जरिये से ज्यादा से ज्यादा पेट्रौल में मिलाने का सवाल हो, इसको हम एक काटेज इंडस्ट्री के पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें ताकि अगर इसको खपत ज्यादा अच्छी तरह होगी तो जो शीरा लोगों को काफी सस्ता मिलता है जिसके जरिये से वह शराब बनाते हैं और इस कानून की अवहेलना करते हैं। उसमें काफी रुकावट रहेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ने लाल बत्ती जला दी। इस लिये मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा। लेकिन यह एक मर्तबा बैठने के पहिले फिर मैं माननीय मंत्री जी से दोहरा देना चाहता हूं कि अगर वह यह चाहते हैं कि उनके यहां प्राहिबिशन का काम कामयाबी से चले, तो उन्हें जल्दी-जल्दी इस बात पर गौर करना चाहिये कि इसके कानून में पैनाल्टी को किस सूरत से एन्फोर्स करें ताकि इस काम के करने वालों को डेटरेंट सजायें मिल सकें और उसके जरिये से जुर्म कम हो सके तथा प्राहिबिशन हमारा कामयाब हो सके।

एक चीज का फैसला उनको और करना है और वह आज ही करना है, अभी करना है। वह यह कि प्राहिबिशन जारी रहेगा या नहीं रहेगा। अब तक जो प्राहिबिशन चलता रहा है, वह इस बात को जाहिर करता है—माननीय मंत्री जी मुझे माफ करेंगे कि प्राहिबिशन के चलाने वालों के विभाग में खुद एक कन्फ्यूजन है। वह जानते नहीं हैं कि इसको चलाना चाहिये कि खत्म करना चाहिये। अगर इस चीज को करना है तो पूरे स्टेट में हमें काफी मजबूती से प्राहिबिशन को लागू कर देना चाहिये और अगर नहीं करना है तो हमें प्राहिबिशन को बिलकुल स्क्रेच कर देना चाहिये, चाहे उसके लिये सेन्टर को मूव करना पड़े, चाहे प्लानिंग कमीशन को मूव करना पड़े। इन अल्फाज के साथ जो ग्रान्ट आज पेश है, मैं उसकी ताईद करता हूं।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से जो उपस्थित अनुदान में कटौती का प्रस्ताव श्री भगवतीसिंह विशारद ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ इस अनुदान के सिलसिले में और कटौती के सिलसिले में अभी तक जो विवाद हुआ उससे यह स्पष्ट है कि गवर्नमेन्ट की कोई साफ नीति नहीं है कि आखिर हम वास्तव में मद्यनिषेध करना चाहते हैं या नहीं। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि एक तरफ तो विभाग की आमदनी को देखना और दूसरी तरफ यह सोचना कि इस तरह से मद्यनिषेध हो जाय और लोग अपने आप पीना छोड़ दें तो उपदेश देने से यह काम चलने वाला नहीं है। अंग्रेजों जमाने में एक यह धारणा रही कि शराब पीना जरूरी है क्योंकि वह हरारत को दूर करता है और जहां का पानी और हवा खराब है वहां के लोग यदि पियें तो उनके लिये फायदेमन्द है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि वह अंग्रेजी सरकार चली गई और वह जमाना चला गया। अब सब जगह शुद्ध पानी लोगों को पीने को मिलता है और सब जगह बिजली की व्यवस्था हो चुकी है। इसलये यह निराधार है कि उस पुरानी धारणा पर चला जाय। उसको छोड़ देना जरूरी है। अब प्रदेश के हर कोने में अच्छा पानी पीने को मिलता है और बिजली मिलन से आबहवा भी ठीक हो गयी है। इसलिये वह पुरानी धारणा अब नहीं चल सकती।

इसके साथ-साथ यह कहा जाता है कि वह हरारत दूर करती है और थकावट दूर होती है, यह भी निराधार है। शराब पीने से थकावट दूर नहीं होती है। वास्तव में मैं ऐसा समझता हूं कि उसका प्रभाव आहार पर भी पड़ता है। उसका दुष्परिणाम बुद्धि, आधार और विचार पर भी पड़ता है। सामाजिक व्यवहारों के ऊपर भी उसका विशेष प्रभाव पड़ता है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है और हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है जब हमारे देश के सर्वमान्य नेता जवाहर-लाल नेहरू किसी आगन्तुक के आने पर, विदेशी अतिथि के आने पर, जब शराब की बोतल दावत में पेश की जाती है। उस समय हमारे देश का गौरव भी गिरता है। ऐसी परम्परा रही है कि किसी विदेशी के स्वागत में शराब पेश नहीं की गई।

मैं आपके समक्ष उदाहरण बतलाऊं कि जिस समय हमारे यहां उत्तर वियतनाम के होची-मिन्ह आये थे तो उनके बैठने के लिये सोने की कुर्सी रखी गई थी और शराब की बोतल उनके स्वागत में पेश की गई थी। उन्होंने उस समय कहा था कि मुझे सोने की कुर्सी नहीं चाहिये। मैं तो ऐसी ही साधरण कुर्सी पर बैठता हूं और साथ ही यह भी कहा था कि हमारे यहां यह रिवाज भी नहीं है कि शराब पियें। उस वक्त सरकार की तरफ से यह जबाब दिया गया था कि यह इसलिये कर रहे हैं कि अतिथि के लिये स्वागत करना जरुरी है।

मैं निवेदन करूंगा कि इस परम्परा को तोड़ना चाहिये कि अगर कोई विदेशी बाहर के मुल्क से आये तो उसके लिये ऐसा किया जाय और जिस चीज को हम नहीं खाते हैं वह बाहर के अतिथि को दी जाय। अगर कोई मुर्गी खाता हो उसको मुर्गी दी जाय या कोई सूअर खाता हो तो उसको सूअर खाने के लिये दिया जाय यह प्रथा बन्द होनी चाहिये। मैं तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

यह समझता हूं कि जो परम्परा इस देश की रही है और जो हमारे यहां खाने-पीने का रिवाज है वही उसके स्वागत में रहना चाहिये। हमारे यहां की राष्ट्रीय सरकार की ओर से इस प्रकार की दावत नहीं दी जानी चाहिये जिसमें शराब या मांस आदि का प्रयोग हो। इस तरीके की घटना जब बुलगानिन यहां पर आये थे तो घटी थी। मैं समझता हूं कि प्रदेशीय सरकार के पास भी इस तरह के अतिथि आते होंगे और सरकार की तरफ से इस प्रकार की दावत दी जाती होगी जिसमें शराब का प्रयोग होता हो। मैं तो यह समझता हूं कि जिस प्रकार से गीता में यह कहा गया है कि —

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्तरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

जब इस प्रदेश की सरकार ही अतिथि के सत्कार के लिये शराब रख सकती है तो फिर दूसरे लोगों से यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह शराब छोड़ दे। यह असंगत बात है और इसको बड़ी मजबूती के साथ बन्द करना चाहिये।

दूसरे, भोजन के समय जो लोग पीते हैं उसके लिये अगर कहा जाय कि यह खराब आदत है तो सही होगा। उसकी आदत पड़ जाने पर यह ठीक है कि उसे छोड़ना कठिन हो जाता है। मैं समझता हूं कि स्वाभाविक तौर पर जो शराब पीते हैं उनमें प्रमाद बढ़ जाता है। घमंड हो जाता है, आदत खराब हो जाती है और उनकी काम करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। यह एक नशा है और खराब आदत है। जैसा किशोरी जी ने कहा, उससे अपराध भी बढ़े हैं। लेकिन सरकार को स्पष्ट तौर से एक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये कि आया इससे सरकार मुनाफा कमाना चाहती है या इसको बन्द करना चाहती है। मैं तो निश्चित रूप से इस राय का हूं कि इसकी आमदनी से अपनी उन्नति के स्वप्न देखना ठीक नहीं है। जो शराब पी कर थकावट दूर करने की बात करते हैं उनको अगर शराब की जगह एक दो छटांक दूध मिल जाय तो उससे उनका और प्रदेश का, दोनों का भला हो सकता है। आज सारे देश की ९३ प्रतिशत शराब हमारे उत्तर प्रदेश में बनायी जाती है और इसलिये अगर इस प्रदेश की सरकार को शराबियों की सरकार कहा जाय तो कोई हर्ज की बात नहीं है।

दूसरी बात मोलेसेज के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे मंत्री जी ने कहा कि इस पर हमने कंट्रोल किया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस पर आंशिक कंट्रोल है। जितनी जरूरत होती है सरकार ले लेती है और बाकी मिल-मालिकों को दे देती है। जो चीज चार आना प्रति मन पर बिकनी चाहिये वह डिकंट्रोल होने पर चार रुपये मन पर बिकती है। मेरा यह सुझाव है कि मोलेसेज पर सरकार को पूरा कंट्रोल करना चाहिये और इस पर अनुसंधान कराये। उसे अल्कोहल में या स्पिरिट में परिवर्तित किया जा सकता है, मोटर चलाने आदि के काम में लाया जा सकता है और दूसरे उपयोग भी उसके हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसकी शराब ही बनायी जाय और राष्ट्र का नुकसान किया जाय। उसे किसी प्रकार का पेय पदार्थ बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि मोलेसेज सब से अधिक उस जिले में होता है जहां से हमारे मंत्री महोदय आते हैं। वहां १४ फैक्टरियां हैं। मेरा सुझाव है कि वहां देवरिया, पडरौना या तमकुही में किसी एक फैक्टरी की स्थापना कर उसका उपयोग किया जा सकता है ताकि देश का भला हो।

अन्त में एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां कसिया में एक पुलिस के थानेदार ने तमाम गांजा बरामद किया और शायद ८२ आदमियों का चालान किया, लेकिन सरकार की तरफ से उसे इसके लिये कोई तरक्की नहीं दी गयी। अगर इस विभाग के अधिकारियों ने उस ग्रुप को पकड़ा होता तो उन्हें तरक्की मिल जाती, लेकिन उस थानेदार को कोई तरक्की नहीं दी गयी। उसने बड़े साहस से काम लिया। एक कांग्रेस पार्टी के एम० पी०

हैं काशी नाथ पान्डेय, हमारे क्षेत्र के हैं, उनके फार्म पर १०० आदमी अवैध रूप से गांजा लेकर जा रहे थे, लेकिन लोगों के सहयोग से उनको पकड़ा गया है। मुकदमा चलाया गया लेकिन पता नहीं उसमें क्या हुआ। लेकिन उसे कोई तरक्की नहीं मिली। इस प्रकार के केसेज़ में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को और माननीय मंत्रीजी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दो वर्षों में अपने प्रदेश में गांजा, अफीम और चरस को बन्द करके एक आवश्यक कदम उठाया और उसका जो प्रदेश की आमदनी में करीब ढाई करोड़ रुपये की हानि पर जो असर पड़ा उसको सहन किया। यह तो हुआ जनता के हित में किन्तु इसका असर क्या हुआ? आज नैपाली गांजा लाखों रुपये का हमारे प्रदेश में ही नहीं वरन् अन्य प्रदेशों में भी जा रहा है और आज गांजा, चरस आदि किसी भी स्थान पर मिल सकता है। आज वह ब्लैक मार्केट से बिक रहा है और सरकारी दुकानों में भी चोरी-चोरी बेचा जाता है। आपने मेरठ, फैजाबाद, बाराबंकी, मिर्जापुर आदि ४–५ स्थानों पर पोसता की खेती करने के लिये आज्ञा दे दी है और केवल ३०–३२ रुपये सेर रेट है, इसका प्रभाव यह हो गया है कि आज १००–१५० रुपये सेर तक महाजन लोग अफीम का खरीद रहे हैं और उसको खरीद कर विदेशों में भेजते हैं। इससे काफी नुकसान सरकार को पहुंच रहा है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये कि इससे सरकार को आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

श्रीमन्, यहां कहा गया कि प्राचीन काल में भी सोमरस, सुरा, बारुणी आदि बनती थी और लोग उसको पीते थे। श्रीमन् ये स्वास्थ्य-वर्धक मादक रस थे जैसा कि विष्णु धर्मसूत्र में लिखा है––

मधूका मैक्षवंटाकं कीलं खार्जूर पानसे।
मद्धीका रस माध्वीं के मैरेयं नारि केलिजम्।

इसका मतलब यह है कि वह अन्नों के रस, ताड़ के रस, गन्ने के रस, महुआ तथा फलों के रस आदि से बनती है। उस आसव को लोग पीते थे। यही नहीं बल्कि सुश्रुत संहिता में ६४ किस्म के आसव, अरिष्ट और शोरा बनते थे, किन्तु उसमें यह भी लिखा हुआ है कि उसका क्या प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता था। और धर्म शास्त्रों में मद्य, मांस एकदम वर्जित था। इसके बारे में भी लिखा है––

"यक्ष रक्षः पिशावान्नमद्यं मांसं सुरा सिवं
सुरावै मलमन्नानां सुरा वैमत्यमना,
नां पाप्मां च माल पुच्यते।

यानी यह जो मद्य मांस है इसका खाना पीना पाप है, धार्मिक दृष्टि से ठीक नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों में कभी यह नहीं लिखा गया है कि मद्य मांस आदि का खाना चाहिये। गांधी जी मद्य निषेध के पक्ष में थे। उन्होंने ताड़ के पेड़ों को कटवाना शुरू किया था क्योंकि नीरा में चूने का पानी मिलाया जाता था। उस समय महुए से शराब बनती थी। अब तो यह जो शीरे से शराब डिस्टलरियों में बनाते हैं इसमें मिट्टी का तेल और स्पिरिट आदि मिलाते हैं। एक मन शीरा ४ आने का होता है और उस एक मन शीरे में ढाई गैलन शराब तैयार होती है। यही शराब सरकारी ड्यूटी वगैरह लगाकर जब लाइसेन्सदार अपने ठेके पर लेते हैं तो सब मिलाकर करीब ४ रुपये बोतल जनता में बेचते हैं और आंख मूंद कर लूटते हैं, जब कि उसकी असल कीमत चार आना है। जब हमारी गवर्नमेन्ट और ठेकेदार इतना रुपया कमाते हैं तो उसमें मिट्टी का तेल और स्पिरिट वगैरह डालने की क्या जरूरत है। मादक द्रव्यों के मंहगे होने के कारण लोग लालचवश ड्राई ऐरिया में और अन्य नाजायज मादक द्रव्य बेचते हैं। आज बहराइच में जहां गांजा और भांग के जंगल लगे हुए हैं वहां कोई उनको खाने-पीने वाला

[श्री नारायणदास पासी]

नहीं है। मैं रायबरेली और उन्नाव में जगह-जगह पर घूमा हूं, वहां पर शराब क्यों बनती है ? उसका कारण यह है कि वहां लोगों के पास खेती करने की भूमि प्राप्त नहीं है। जहां पर ड्राई एरिया है, पुलिस समझती है कि अगर इनको शराब बनाने देंगे तो ये चोरी, बदमाशी कम करेंगे। तो शराब बनाना तभी बन्द हो सकता है जबकि उनके लिये कोई रोजी का सहारा हो जाय।

हरिजनों का नाम लिया गया है, वह सन्तों के सम्पर्क में रहे हैं उनमें बड़े-बड़े सन्त हुए हैं, जैसे भक्त रैदास, कबीर साहब, सुंदर साहब इत्यादि और इनमें अधिकतर भक्त हो चुके हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया और कोई शराब पीने वाला और मांस खाने वाला नहीं रहा। हरिजन आज कोई बिछड़ी जाति नहीं है। ब्राह्मण जो पहले कथा भागवत करने जाते थे और शादी ब्याह में जाते थे आज हरिजन स्वयं इस काबिल हैं कि वह सब काम स्वयं कर लेते हैं। आज हरिजन ऊपर उठ रहे हैं।

इस ग्रांट में कहा करोड़ का फायदा बतलाया गया है जो रेवेन्यू में होगा। वह कहां से फायदा होगा ? जो यहां का नैकमार्केंटियर समाज है, जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो कि उच्चस्तर के नाम पर रंग रेलियां खेल रहे हैं, और शराब और मादक द्रव्यों का पान करके जुर्म करते हैं, ५०-५० गुन्डों को रखे हुए हैं और पुलिस से मिले रहते हैं। वह भयंकर जुर्म किया करते हैं और समाज देखता रहता है और डरता रहता है।

कानपुर में आज मादक द्रव्य बेचने वाले ऐसा ही करते हैं। मैं मिल मजदूर रह चुका हूं, मुझे मालूम है। मिल में ऐसा काम होता है कि मजबूरन नशे में होकर लोग काम करते हैं। हमारे समाज के मुख्य अंग श्रमिकों के लिये टिंचर, जिंजर, स्पिरिट दिया जा रहा है, वह स्पिरिट पी रहे हैं। डा० संपूर्णानन्द ने वहां का दौरा किया था। वहां ६० फीसदी आदमी आंतरिक बीमारियों से इसी कारण पीड़ित हैं। तो हमें इस पूर्ण समस्या पर पुनर्विचार करना पड़ेगा या तो हमें इसको बन्द कर देना है या चलाना है तो सूबे के स्तर पर उसको सही मानों में चलाना होगा, यही मेरा कहना है। मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विवादास्पद, कुछ सरस और मादक अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं भगवती सिंह जी के उस अनुदान में कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जो उन्होंने माननीय मद्य प्रसार मंत्री जी के बजट पर प्रस्तुत किया है।

श्रीमन्, आज इस सदन में जितने भी आदरणीय वक्ता बोले उन सभी के कथन का एक तात्पर्य है कि इस प्रदेश में मद्य निषेध होना चाहिये। उसके साथ ही साथ एक निश्चित तात्पर्य यह भी निकलता—था सभी लोग इस और उस पक्ष के लोग उसमें हैं—कि इस प्रश्न पर सरकार की मद्य निषेध नीति सर्वथा असफल रही है। श्रीमन्, हम विरोधी पक्ष के लोग इस संबंध में सुझाव देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। मुझे याद आता है एक उर्दू का शेर :

महफिल उनकी, साकी उनका,
आंखें मेरी, बाकी उनका।

तो श्रीमन्, हमारे माननीय आबकारी मंत्री महोदय, उनका बड़ा भारी आबकारी विभाग, प्रति वर्ष बढ़ती हुई दुकानें और तरह-तरह के मद्य के प्रकार जो हमारे प्रदेश के नगरों में और बड़े-बड़े ग्रामों में दुकानों में सजे हैं उन सब की विद्यमानता में भी कभी-कभी मद्य निषेध की बात भी कही जाती है, यह मेरे लिये कुछ आश्चर्यजनक बात है। मैं यह मानता हूं कि इस प्रश्न के कई पहलू हैं। मद्य निषेध का काम खाली सरकार का काम नहीं हो सकता, इसका एक दार्शनिक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पक्ष भी है और साथ ही साथ भौतिक प्रश्न भी आ जाता है जिसका उल्लेख अनेक विद्वानों ने किया है। शराब की उपयोगिता और अनुपयोगिता के बारे में अनेक प्रश्न उठाये गये हैं। मैं जानता हूं कि मनुष्य ने संसार में कभी-कभी अपने दुख-दर्द को भुलाने के लिये मादक द्रव्यों का सेवन किया लेकिन यह सत्य है कि जैसे-जैसे हमारी सभ्यता का प्रसार हुआ, जैसे-जैसे हम मनुष्यता की ओर बढ़ते गये और विवेक और सामाजिक बुद्धि जागृत होती गई तो प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में समाज के विचारकों ने मद्यनिषेध की नीति का समर्थन किया और तरह-तरह के उपाय बतलाये हैं जिनसे मद्य निषेध किया जा सकता है।

हमारे पूज्य विश्ववंद्य बापू ने सन् १९३० में जो आन्दोलन चलाया था उसको सभी सदस्य जानते हैं। लेकिन आज सरकार गांधी जी की नीतियों पर चलने में अपने को असमर्थ पाती है। यही कारण है कि आज उन सभी प्रयत्नों में असफलता मिल रही है जो कि गांधी जी ने सुझाये थे। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस कार्य को करना नहीं चाहती है। मैं उदाहरण के रूप में बतलाना चाहता हूं कि सरकार अगर इस कार्य को करना चाहे तो किस प्रकार से कर सकती है। जब केन्द्रीय सरकार ने देश की रियासतों को खत्म करना चाहा तो वह रियासतें जादू की तरह से समाप्त हो गईं और जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमींदारी खात्मे का संकल्प किया तो वह खत्म हो गई लेकिन सरकार ने कभी नहीं सोचा कि डालडे में रंग मिलाया जाय इसलिये हजार बहाने किये गये और झूठी बातें कही गईं। बहुत सी बातें तो ऐसी कही गईं जिन पर आज के इस वैज्ञानिक युग में विश्वास नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से मैं आदरपूर्वक आपके द्वारा सरकार के सामने मंतव्य रखना चाहता हूं कि वह कभी एक क्षण भी मद्यनिषेध की बात नहीं सोचती।

माननीय मद्य मंत्री, माननीय मद्य प्रसार मंत्री या माननीय आबकारी मंत्री---श्रीमन्, मैं उर्दू नहीं जानता इसलिये समझ नहीं पाता कि क्या कहूं---मैं उनको मद्य नियोजन मंत्री कह सकता हूं क्योंकि एक तरफ तो मद्यनिषेध कर रहे हैं और दूसरी ओर मद्य की दुकानें बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपने आबकारी मंत्री कहा है इसलिये आबकारी मंत्री कह रहा हूं। श्रीमन्, जब वह खड़े होते हैं तो कहते हैं कि इससे बड़ी भारी आमदनी है इसलिये ऐसी दशा में इस प्रदेश से पूर्ण रूप से मद्य निषेध नहीं किया जा सकता। तो श्रीमन्, वह प्रदेश के रहने वालों की हड्डियों और उनके प्राणों के मूल्य पर और उनके स्वास्थ्य के मूल्य पर १०-१२ करोड़ की आमदनी करते हैं जोकि केवल आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि चिन्ता का विषय भी है। यदि हम आमदनी बढ़ाना चाहें तो उसके बहुत से रास्ते हैं जिनसे देश, प्रदेश की आमदनी बढ़ाई जा सकती है लेकिन जहां सारे प्रदेश को सात करोड़ जनता में से अधिकांश लोगों के जीवन संकट में पड़ जायं, उनमें अनेक रोग घर कर लें, हम अपने जीवन लक्ष्य को भूल जायं और अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जायं तो जैसा कहा गया है :

गच्छेत् अगम्यां च गुरुन् न पश्येत
खादेद् अभक्ष्याणि च नष्ट संज्ञः

मनुष्य की स्थिति ऐसी होती है कि वह नहीं जानता कि कौन आदरणीय है, कौन नहीं है और क्या खाद्य है और क्या अखाद्य है, अर्थात विवेक और विचार शक्ति से वह रहित हो जाता है। इस तरह का मद्य बाजार में खुला हुआ मिलता है। रेस्ट्रिक्शन केवल यह है कि वह दूकान सरकारी हो।

मेरा विश्वास है कि यदि सरकार चाहे तो मद्य निषेध कर सकती है लेकिन जब भी मंत्री जी हमारे सामने मद्यनिषेध की बातें करते हैं तो हमारे सामने बड़ी विवशता की बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि अमेरिका में उसका प्रयोग किया गया, कनाडा में किया गया और योरोपियन कन्ट्रीज में जहां-जहां मद्यनिषेध का प्रयोग हुआ वहां-वहां असफल हुआ। अगर सरकार इस बात को मानती है तो फिर इसका ढोंग यहां क्यों करती है ? यही कारण है कि आज १० बरस हो गये

[श्री रामकुमार वैद्य]

और सरकार केवल ११ जिलों में ही मद्यनिषेध कर पाई है । हमारे प्रदेश में ५४ जिले हैं । उन सब में मद्यनिषेध करने के लिये ११ पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता होगी । उस समय तक प्रदेश के स्वास्थ्य की क्या दशा होगी, इस पर विद्वान लोग ही गवेषणा कर सकते हैं ।

मैं तो यह समझता हूं कि सरकार के पास इस प्रश्न का कोई स्पष्ट हल नहीं है । वास्तव में सरकार इसको चाहती ही नहीं है लेकिन क्योंकि वह समझती है कि इस देश और प्रदेश के अधिकांश लोग मद्यपान को बुरा समझते हैं, इसलिये जनमत को अपने साथ रखने के लिये और उनसे वोट पाने के लिये, वह तरह-तरह की बातें बनाती हैं और जिन कामों को वह नहीं करना चाहती, उन कामों को करती है । भले ही सरकार यह चाहती हो कि शराब परिष्कृत बेराइटीज में लोगों को मिला करे लेकिन फिर भी उसको मुंह से यही कहना पड़ता है कि हम तो शराब बंद करने जा रहे हैं, शांत रहो, हम शराबबन्दी कर ही तो रहे हैं ।

मैं सरकार से पूछूंगा कि क्या आज के युग के महान तत्ववेत्ता और समाज शास्त्री मानवीय विनोबाजी से भी उसने कभी परामर्श किया है कि किस प्रकार से सूबे में शराब बन्दी की जा सकती है। क्या उसने कभी शराबबन्दी के लिये कोई सामूहिक प्रयत्न किया सिवाय पोस्टर लगा देने के, जो कि तहसीलों के दरवाजे पर लगा दिये जाते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिये नुकसानदेह होता है? तो तहसील वह स्थान होता है जहां सामान्य मनुष्य में जो थोड़ी बहुत श्रद्धा इस सरकार में होती है वह भी समाप्त हो जाती है। इसकी विधि विधान के प्रति जो निष्ठा होती है वह ऐसे स्थानों पर जाने पर समाप्त हो जाती है । वहां पर इस प्रकार के एक दो पोस्टर लगा दिये जाते हैं। इसके विपरीत आपके लाईसेंस देने की हालत यह है कि ५-५ हजार गैलन प्रति माह प्रयोग किये जाने के लाइसेंस दिये जाते हैं। गौर इस बात को देखें कि इन टिन्चरों का किस प्रकार से उपयोग होता है। यह सिर्फ इसलिये किया जाता है कि भोली धर्मप्रवण जनता को किसी प्रकार से समझाया जा सके कि मद्यनिषेध किया जा रहा है।

इस शराब के ठेके में हमारे सरकारी अफसर भी कुछ इन्टरेस्टेड ही रहते हैं क्योंकि ठेके की दूकानों की आमदनी में उनका भी तो साझा होता है। और इस तरह से शराब का प्रचार और प्रसार चल रहा है। न जाने कब हमारा वह स्वप्न पूरा होगा जब इस पूर्ण प्रदेश में यह पूर्ण रूप से बन्द हो जायेगी। मैं पूछता हूं कि क्या आप का न्याय है जो आप ने अभी तक केवल ११ जिलों में ही मद्य निषेध किया है।

जिन ११ जिलों या तीर्थ स्थानों में मद्यनिषेध किया गया है उनका आपने नाम रखा है 'ड्राई एरिया'। इससे एक प्रकार से सरकार के दुःख, विवशता और असहायता का पता चल रहा है । बजाय इसके कि उनका नाम रखा जाता पावन क्षेत्र अथवा गांधी क्षेत्र उसका नाम दिया गया है 'ड्राई एरिया', यह आपकी मजबूरी को दर्शाता है क्योंकि आप सोचते हैं कि बिना इसके उस क्षेत्र में कुछ निर्मलता है, सूखापन है, जो अच्छी चीज है और जो लोगों को मिलनी चाहिये, वह बदकिस्मती से उनको नहीं मिल पा रही है। जिन अधिकारियों के मन में यह बात हो, जिनका मन इस प्रकार से सोचता हो, वे क्या समाज सेवा कर सकते हैं और किस प्रकार से शराब को बंद कर सकते हैं ।

मैं आशा करता हूं कि वह अपनी इस नीति पर दोबारा विचार करेगी और निश्चय करेगी कि किस प्रकार से इसको पूर्ण रूप से बंद किया जाय । फिर कोई कारण नहीं है कि इस प्रदेश में मद्यनिषेध न हो जाय अगर वह धर्मप्राण जनता को उसकी बुराइयों को समझाने का प्रयत्न करें और नशे की उपलब्धि को नितान्त कठिन बना दें ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आबकारी का अनुदान सदन में चल रहा है, और उस पर आप ने जो मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं

आपको तहेदिल से बधाई देता हूं । जो अनुदान माननीय मंत्रीजी ने पेश किया है उसका समर्थन तथा जो कटौती का प्रस्ताव श्री भगवती सिंह विशारद ने पेश किया है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । आज भाई भगवतीसिंह विशारद की बातों को सुन कर मुझे यह अच्छी तरह से पता चला कि उनके सामने न तो मद्यनिषेध को आगे बढ़ाने की बात है और न सारे जिलों में इसको तोड़ने की बात ही उन्होंने कही । आज मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि आज हाउस में जितने भी वक्ता बोले हैं उनके विचारों से यह मालूम हुआ कि यह मद्यनिषेध इस प्रदेश में लागू न हो बल्कि यहां खुले आम शराब बिके । आज सोशलिस्ट पार्टी, प्रजासोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भले ही यहां आलोचना हो कि शराबबन्दी होनी चाहिये जो सरकार नहीं कर रही है लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस प्रोग्राम नहीं आया कि शराबबन्दी का कानून देश के अन्दर लागू हो । इस सम्बन्ध में उनका कोई विचार नहीं है । आज भले ही उनके मेनिफेस्टो में या उनके घोषणा-पत्र में इस सम्बन्ध में कुछ न हो लेकिन जब इस सदन में खड़े होते हैं तो थोड़ा सा विभाग और माननीय मंत्री जी के अनुदान की आलोचना कर दिया करते हैं लेकिन कोई ठोस प्रोग्राम नहीं देते, जिस से प्रदेश की जनता को बुराई से बचाने का उपाय हो ।

यह प्रदेश राम, कृष्ण और महात्मा गौतम का प्रदेश कहलाता है, उस प्रदेश में भी सोमरस और शराब की बात कही जाती है और मद्यनिषेध कानून को लागू करने में देर की जाती है तो दुख होता है । महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक दिन क्या एक घंटे के लिये भी मैं भारत का तानाशाह बन जाऊं तो सबसे पहला काम मैं यह करूंगा कि तमाम शराबखानों को बिना मुआवजा दिये हुये ही बन्द कर दूंगा लेकिन आज हमारी सरकार की मद्यनिषेध नीति प्रदेश के केवल ११ जिलों में ही लागू है और वह नीति भी उन ११ जिलों के अन्दर कामयाब नहीं है बल्कि यों कहना चाहिये कि वह नीति भी असफल रही है । उसका कारण यह है कि जो विभाग के अधिकारी हैं वे इधर ध्यान नहीं देते । एक मिसाल जो अभी हाल ही की कानपुर की है, उससे स्पष्ट हो जायगा कि असलियत क्या है । इसी मार्च, १९६१ की बात है कि कानपुर स्टेशन पर एक पार्सल आया जिसमें गांजा व भांग भरा हुआ था । पार्सल क्लर्क ने कहा कि मुझे शक है कि इस पार्सल में गांजा व भांग भरा हुआ है क्योंकि उस में उसी तरह की बदबू आ रही है, लेकिन वहां के एक्साइज इंस्पेक्टर ने क्लर्क की बात नहीं मानी । लेकिन फिर भी वह क्लर्क इस बात के लिय दृढ़ प्रतिज्ञ रहा और उसने इस मामले को मैजिस्ट्रेट के सामने आगे बढ़ाया । मैजिस्ट्रेट के कहने पर वह खोला गया तो उसमें से गांजा व भांग निकला । तो सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आज कानपुर के अन्दर खुले आम गांजा, भांग, चरस आदि मद्यनिषेध की चीजें बिक रही हैं और दूसरी तरफ गांजा और भांग की बिक्री पर रोक की बात भी कही जाती है ।

आज मंत्री महोदय की तरफ से कोई प्रचार का कार्य भी इस सम्बन्ध में नहीं हो रहा है जिससे समाज को शिक्षा मिले । २९ लाख रुपया तो इस विभाग के अधिकारियों के ऊपर खर्च होता है और प्रचार पर सिर्फ दो लाख रुपया सरकार खर्च कर रही है, यह धन प्रचार कार्य के लिये बहुत ही कम है । और अधिकारीगण चाहते हैं कि यह चीज चालू रह जिससे आबकारी विभाग के रहने से उन की जीविका चलती रहे और समाज के लोगों का जीवन भी बरबाद होता रहे । हम चाहते हैं कि सब जगह शराबबन्दी हो जाय और इस विभाग को जल्द से जल्द समाप्त किया जाय । हमारे यहां पहली पंचवर्षीय योजना बनी, उस के बाद दूसरी योजना बनी और अब यह तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी है लेकिन इन तीनों योजनाओं में कहीं भी शराबबन्दी को सम्पूर्ण प्रदेश में लागू करने की कोई योजना नहीं है । हमें दुख है कि आज भी सरकार की नीति है कि मद्य की चीजें यहां चलती रहें ।

आज ही हमारे माननीय सदस्य श्री दत्ता जी ने कहा कि शराबबन्दी की जरूरत नहीं है । उनके यहां तो विधान में शराब हो सकती है, लेकिन हमारे भारत के विधान में यह चीज नहीं है और यहां का हर नागरिक समझता है कि वह बहुत बुरी चीज है । हर आदमी समझता है कि यह चीजें खराब हैं लेकिन फिर भी लोग इन का प्रयोग करते हैं । इस लिये सरकार के लिये यह बहुत

[श्री गंगाप्रसाद]

जरूरी है कि वह इन चीजों पर अभी अपनी तरफ से रोक लगावे और शराब व नशे की चीजों को हमेशा के लिये खत्म कर दे । महात्मा गांधी और कांग्रेस का भी यही कहना है कि यह चीज बन्द होना चाहिये लेकिन दूसरे दलों वाले कैसे इस विषय का प्रचार कर सकते हैं, उनको तमाम सम्बन्धी जब पीते हैं और इस का कारण उन की हिम्मत नहीं है कि वह उसके खिलाफ प्रचार करें और उन का विरोध करें । वह समाज में आकर कुछ इस सम्बन्ध में कह ही नहीं सकते, वह तो विरोध करने के अधिकारी ही नहीं हैं । अगर वह महात्मा गांधी के अनुयायी होते तो सब से आगे बढ़ कर नशेबन्दी को सम्पूर्ण प्रदेश में लागू करने का संकल्प लेकर आन्दोलन करते ।

मुझे एक बात और कहना है, गांधी जी ने कहा है कि शराबबन्दी में लोगों को कानून द्वारा जबरन सदाचारी बनाने की बात नहीं है । आप ऊपर से सत्य दिखाई देने वाले इस तर्क के धोखे में न आइये कि भारत को जबरन संयमी न बनाया जाय और जो शराब पीना चाहें, उन्हें पीने की सुविधायें दी जायं । राज्य का काम लोगों की बुराइयों के लिये सहूलियत पैदा करना नहीं है । हम व्यभिचार के अड्डों का संचालन नहीं करते और न उन के परवाने देते हैं । हम चोरों को उन की चोरी की वासना पूरी करने के लिये सुविधा नहीं देते । मैं शराबखोरी को चोरी और शायद व्यभिचार से भी अधिक निन्दनीय समझता हूं । क्या यह अक्सर दोनों की जननी नहीं होती ? यह गांधी जी ने कहा है लेकिन उन के कहने के अनुसार सरकार की तरफ से जो प्रयत्न होना चाहिये था वह नहीं हुआ है या बहुत कम हुआ है । शराबबन्दी को दूर करने के लिये कोशिश होनी चाहिये । इसी तरह से नशाबन्दी के विषय में महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि "मनुष्य, तुम सिंह के सामने जाते समय भयभीत न होना, वह पराक्रम की परीक्षा है । तुम तलवार के नीचे सिर झुकाने से भयभीत न होना, वह बलिदान की कसौटी है । तुम पर्वत, शिखर से पाताल में कूद पड़ना, वह तप की साधना है । तुम बढ़ती हुई ज्वालाओं से विचलित न होना, वह स्वर्ण परीक्षा है । पर शराब से सदा भयभीत रहना क्योंकि वह पाप और अनाचारों की जननी है ।" इस तरह से हमारे बड़े नेताओं और महात्माओं ने हमारे सामने इन चीजों की बुराइयों को रखा है ।

आज हमारा यह राज्य गांधी जी की विचारधारा के अनुसार चल रहा है इस लिये मुझे और भी अधिक आशा है कि उन के इन विचारों की कद्र की जायगी और नशाखोरी को यहां से हमेशा के लिये फौरन मिटाया जायगा । अगर आप वाकई बन्द करना चाहते हैं तो समाज से इस बुराई को दूर करने के लिये आप दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा कीजिये कि आगे से हम कहीं भी कोई नशे की चीज न बिकने देंगे और न उस का प्रयोग होने देंगे । हम जानते हैं कि आज कानपुर में और तमाम जगहों पर जितने झगड़े फिसाद होते हैं वह अधिकतर शराब और नशे में होने पर लोग करते हैं । अगर मजबूती के साथ इन चीजों के खिलाफ समाज में प्रचार किया जाय तो यह सारे झगड़े और वारदात खत्म हो सकते हैं ।

माननीय नारायण दास जी ने कहा कि ९९ फीसदी लोग किसी न किसी तरह के नशे का प्रयोग करते हैं । लेकिन हम देखते हैं कि आज कल बड़े-बड़े लोग जनेऊ की जगह पर ट्यूब में शराब भर कर गले में डालते हैं और ऊपर से कोट पहन लेते हैं, इस तरह से शराब बेचते हैं और चोरी करते हैं । लखनऊ से कानपुर में रोजाना शराब इस तरह से ट्यूब में ले जाकर बिकती है । कानपुर में एक तरफ तो कहा जाता है कि वहां शराबबन्दी है और दूसरी तरफ मोटर की मोटर शराब वहां आती और बिकती है । मैं चाहता हूं कि प्रदेश में विदेशी शराब का आना बिलकुल बन्द किया जाय और तमाम दुकानें फौरन खत्म की जायं । इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय . . . (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष---आबकारी के अनुदान के दिन सब माफी रहती है । (हंसी)

श्री मोतीलाल अवस्थी—आज तो असर सारे सदन में है, मेरी ही क्या खास बात है । तो श्रीमन्, यह जो आबकारी का अनुदान पेश है और जिस पर कटमोशन हमारे विरोधी पक्ष की ओर से पेश किया गया है मैं उस कटमोशन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

आज जो कुछ मैंने सुना उससे मुझे ऐसा लगा कि वर्ष में एक दिन ऐसा आ जाता है कि जब पक्ष-विपक्ष के लोग अपनी बातें कह देते हैं और कुछ सरकारी अधिकारी उनको केवल नोट कर लेते हैं और हर साल वही नाटक हुआ करता है । आज हमारे आबकारी मंत्री जी ने यह कहा है कि हम शराब की बिक्री बढ़ा रहे हैं । अपनी सरकार के ८ करोड़ के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिये १ करोड़ की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं । जब हमारा आज का मंत्रिमंडल २ करोड़ रुपया सिंचाई के करों से पूरा करता है तो १ करोड़ रुपया आबकारी से भी पूरा करना चाहता है । डिस्टोलरीज बढ़ रही हैं, मद्यशालायें बढ़ रही हैं और रोकथाम के लिये अधिकारी बढ़ रहे हैं । अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो श्रीमन्, आबकारी बढ़ रही है और मंत्री जी के दूसरे विभाग जेल में कैदियों की तादाद बढ़ रही है । आबकारी से जेल की आबादी का बढ़ना भी संबंधित है । मुझे भी जेल में कई दफा इस सरकार के विरुद्ध लड़ने के संबंध में जाने का मौका मिला । वहां की ज्यादातर आबादी इस आबकारी विभाग के द्वारा पकड़े हुये लोगों की होती है । उनका कोई फैसला भी जल्दी नहीं होता है । दफा ६० में पकड़े हुये लोगों को एक माह की सजा होती है तो एक-दो महीने तो विचाराधीन हालत में ही उन्हें जेल में रहना पड़ता है और जो रिमांड हुआ करता है, अधिकारी रिमांड ले लेते हैं और मुकदमे को टाला करते हैं ।

आज हमारे सामने बहुत कहानी कही गई । कानपुर का हवाला सभी लोगों ने दिया । मैं भी कानपुर से आया हुआ हूं । जो बातें कानपुर के पक्ष या विपक्ष में कही गईं उनके संबंध में कुछ नहीं कहता लेकिन यह जरूर है कि आज इस शराब के पीने वालों में, ठर्रा या देशी शराब पीने वालों में बनारस वालों की संख्या सब से ज्यादा है और विदेशी शराब पीने वालों में लखनऊ की संख्या सबसे ज्यादा है । फिर भी कानपुर का हवाला बार-बार है । मैं कानपुर को कम नहीं समझता । मादक द्रव्यों का वहां अधिकाधिक प्रयोग है और खुले आम है और खुदा न करे, यह सरकार बनी रही तो वह प्रयोग बढ़ता ही जायगा । सरकार को तो आमदनी करनी है, घाटा पूरा करना है । कानपुर के संबंध में यही कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर तपेदिक बढ़ी है, बड़े-बड़े पूंजीपति बढ़े हैं, घनी आबादी होने के कारण दुराचार बढ़ा है तो इस बात की भी बढ़ोत्तरी हुई है कि वहां बड़े-बड़े अफीयम किंग्ज हैं, बड़े-बड़े आबकारी की चोरी करने वाले लोग हैं । इसी एक्साइज डिपार्टमेन्ट का निकला हुआ इंस्पेक्टर अफीम का रोजगार करने में आज सबसे बड़ा किंग माना जाता है, कोई भी आदमी अगर पहले ५०० रुपया दे दे तो दूसरी किश्त में बिना रुपया लिये हुये उसको ५०० रुपये का माल दे दिया करते हैं इसलिये कि अगर ५०० रुपये में उसकी चीज पकड़ ली गई तो दोबारा ५०० रुपया लिये वगैर माल दे देते हैं ताकि लोग उस रोजगार को जारी रखें ।

माल पकड़ने की बात कही गई । कानपुर के आबकारी विभाग की यह ताकत नहीं है कि उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो सकें क्योंकि एक तो वह निःसहाय हैं और दूसरे विभाग के लोगों का उसमें इंटरेस्ट लगा हुआ है । मुझे एक्साइज विभाग के कर्मचारियों से बात करने का मौका मिला । वह केवल गरीब किसानों को ही सताते हैं । अगर जरा सी किसी ने टी टां की तो उसके हाथ में पुड़िया पकड़ा दी और चालान की कार्यवाही पक्की हो गई । एक व्यापारी की जेब में १५०० रु० थे उससे कहा गया कि हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, मैं समझ गया कि यह बेचारा आज पूरे रुपये घर ले कर नहीं जा सकेगा । वह व्यापारी इतना घबड़ा गया कि उसको पसीने-पसीने आने लगे । गंगा घाट का पुल मशहूर जगह है जहां कोई भी मामूली से मामूली चपरासी, चाहे उसके पास आइडेन्टीफिकेशन का कार्ड हो या नहीं, सारी बस को रोक कर जिस तरह से 'हैंड्स अप" कराये जाते हैं उसी हालत में तलाशी ली जाती है कि कहते नहीं बनता यानी लोगों की

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

अपमानित ढंग से तलाशी होती है । मैंने किसी भी सभ्य देश में इस प्रकार से तलाशी लेते नहीं सुना किसी भले आदमी की । तलाशी लें, मुझे उसमें एतराज नहीं लेकिन उसके लिये सभ्य तरीका अपनाया जाय, कहा जाय कि हम आपकी तलाशी लेना चाहते हैं । अभी तो यह होता है कि हैंड्स अप हो गये और सारे अन्दरूनी हिस्से में हाथ डाल कर देख रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं । इस तरह से लोगों को अपमानित किया जाता है । कोई वस्तु जैसे केस, पर्स, जो किसी मुसाफिर के पास होती है बिना तलाशी के नहीं छोड़ी जाती ।

एक दफा बी० एन० एस० डी० कालेज के प्रिन्सिपल श्री सतगुरु शरण अवस्थी कहते कहते थक गये कि भाई मैं एक स्कूल का प्रिन्सिपल हूं लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपकी तलाशी लेंगे । मैंने आबकारी विभाग के उन कर्मचारियों से पूछा कि क्या तुमने किसी मिनिस्टर की तलाशी ली जब तुम कहते हो कि हर शख्स की तलाशी ले सकते हैं । तुमने जानबूझ कर किसी मिनिस्टर की तलशी क्यों नहीं ली जब कि कानून में तुमको मनाही नहीं है, तुमने उनको अपमानित क्यों नहीं किया ? आज तुम हमको अपमानित करने को तैयार हो । अगर तुम्हारे पास ताकत है तो उन पर भी आजमाओ । तो इतने अनवील्डी अधिकार चपरासी को दे करके क्या हो रहा है ? इस तरह से नशा रुकेगा ? इतने सारे इंस्पेक्टर और सुपरिन्टेन्डेन्ट जो और नये १४ मुकर्रर किये हैं और जो उनको जीपें दी गई हैं इससे मद्य-प्रसार नहीं रुकेगा ।

देहात में देखा जाय, गांजे की खपत बढ़ रही है, पहले से दस गुनी आमदनी गांजे से देहात में है । थोक का थोक माल बराबर नैपाल से आता है, थोक के स्थान मौजूद हैं जहां से माल बांटा जाता है । अफीम का भी यही तरीका है । थोक के स्थान मुकर्रर हैं जहां अफीम बिकती है । आपका हर एक अधिकारी जानता है । पर करें क्या ? साल में २, ४ केसेज पकड़ लेंगे, अपनी डायरी में दिखा देंगे और नौकरी बरकरार रखने की कोशिश करते हैं । यही उनका काम है । तो आबकारी विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उतना कहीं नहीं है । इसमें तो ऐसा ही मंत्री काम कर सकता है जो सचमुच जान की बाजी खेल जाय और अफसरान के कान खींचे । यह जो आजकल का अफसरों का ब्रान्ड है ऊपर से ले कर नीचे तक जो खा पी रहा है इससे कभी पार नहीं पावेंगे ।

प्रचार पर २ लाख रुपया खर्च कर दीजिये, ढोल, तमाशे और बाजे बजाइये और दिखाइये, यह सब खानापूरी होती है । कहा गया ११ हजार हस्ताक्षर लिये गये, १०,००० मीटिंगें हुईं जिनमें प्रचार किया गया पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है । ११ जिलों में आपने क्या किया है ? क्या वजह है जो आपको कामयाबी नहीं मिल रही है ? वजह यह है कि आज उल्टी बातें सिखाई जाती हैं, ज्यों आप संख्या में बढ़ेंगे त्यों मादक द्रव्य बढ़ेगा । यह कौन करता है ? आपकी कमजोरी । अगर इसके मंत्री मजबूत हों और इस काम को करना चाहते हों कि मद्य का प्रचार नहीं होने देंगे तो काम हो सकता है, इसके लिये दृढ़ कदम चाहिये । लेकिन ऐसी हालत में नहीं हो सकता जैसा आजकल आपका ब्रान्ड है अधिकारियों का और जैसा आपका दफ्तर है । ऐसे में मुझे कतई उम्मीद नहीं है ।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आबकारी मंत्री जी को इस अनुदान पर बधाई देता हूं । उन्होंने एक ऐसा अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसके बारे में एक रुपये की कुल कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं ।

जहां तक नशाबन्दी की बात है सर्वप्रथम बात तो यह है कि हमारे ऋषि मुनि, वेद शास्त्र और पुराण तथा धर्म सब इसे निषेध करते आये हैं और आज तक जितने माने हुये तथा विद्वान लोग हैं उन्होंने इसको निषेध किया है और यह चाहा है कि यह हमारे देश से जड़ मूल से चली जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बराबर खेद यह है कि हम सब एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं जिनका यह उद्देश्य था कि हमारे यहां शराबबन्दी हो परन्तु शराबबन्दी हुई नहीं। उसका कारण यह है कि "पर उपदेश कुशल बहुतेरे।"

जब विदेशी शासन था तो हम जेल जाते थे, डंडे खाते थे, बेइज्जत होते थे लेकिन आज क्या हो रहा है? अगर हम सरकार के साथ मिल कर इसके खिलाफ आन्दोलन बुलंद करें कि हम अपने प्रदेश में शराब की एक बूंद नहीं रहने देंगे तो शीघ्र से शीघ्र शराबबन्दी हो सकती है, परंतु खेद की बात यह है कि जबसे हमारा देश स्वतंत्र है हमने जमींदारी और बड़ी-बड़ी रियासतों को खत्म किया। हमने प्रतिज्ञा की कि हम इस देश में कोई ऐसी चीज नहीं रहने देंगे जो जनहित में न हो। यह भी जनहित की चीज नहीं थी लेकिन इस पर इतना जोर नहीं दिया गया और न समय दिया गया कि नशाबन्दी हो। प्रान्तीय सरकार ने ५,७ जिलों में नशाबन्दी की भी तो उसका उल्टा ही असर हुआ और जगह-जगह भट्टियां खुल गयीं और जो लोग शराब पीना नहीं जानते थे उन्होंने घरों में, खेतों में और खंडहरों में गंगा और जमुना के किनारे भट्टियां खोल दीं और दो-दो व तीन-तीन रुपये बोतल शराब बेचना शुरू कर दी और एक इंडस्ट्री कायम कर दी, रोजगार कायम कर दिया और पढ़े लिखे लोग जा कर उसे खरीदने लगे और पीने लगे।

कानपुर जैसे शहर में जहां से कि मास्टर साहब आते हैं, जहां उन्होंने बतलाया कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े-बड़े धनाढ्य लोग हैं वहां उन्होंने यह नहीं बतलाया कि बड़े बड़े भट्टी वाले भी हैं जो शराब बना कर पीते हैं। जहां इस विभाग के कर्मचारियों पर दोषारोपण बहुत किये गये वहां यह नहीं बतलाया गया कि जब वे पकड़ने जाते हैं तो जनता उनकी मरम्मत भी करती है। तीन साल हमारा यहां केस चला। सिपाही, इंस्पेक्टर सबकी मरम्मत हुई तो इन्होंने यह बात नहीं कही। देश के जो सच्चे सेवक हैं और जान की बाजी लगा कर इसे बन्द करने जाते हैं उनकी प्रशंसा नहीं की जाती। हमसे ज्यादा वे लोग काम करते हैं जो इसे बन्द करने के लिये दिन रात २४ घंटे काम करते हैं, जीप कार, पैदल हर तरह से सिपाहियों को लेकर जान पर खेल कर उन्हें पकड़ने जाते हैं। यहीं तक नहीं अगर हरिजनों की बस्तियों में दूकानें खुलती हैं तो मास्टर जी बड़े खुश होते हैं और यहां यह कह दिया कि मंत्री जी अयोग्य हैं। लेकिन आप में भी इस तरह की योग्यता नहीं कि आप इस तरह का आन्दोलन करें कि इस देश में प्रदेश में एक भी शराब की दूकान नहीं होगी। मंत्री जी को अयोग्य बतलाने की फिर आप हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको या आपकी पार्टी को तो कभी मंत्री बनने का अवसर मिल ही नहीं सकता इसलिये दूसरी पार्टी जो बहुमत में होती है उसके मंत्रियों को अयोग्य कह देना और उनके विभाग के कर्मचारियों पर दुनियां भर के लांछन लगाना यही आपका कर्त्तव्य हो गया है। लेकिन असलियत यह है कि हम से अच्छे तो वे कर्मचारी हैं जो नशाबन्दी करने की कोशिश करते हैं। हां, यह आप कह सकते हैं कि प्रचार कार्य के लिये जो रुपया रखा गया है वह बहुत कम है। भजन मंडलियों के द्वारा अगर प्रचार करना है तो जैसे आर्य समाज की मंडलियां थीं वैसी बनाइये जो घर घर में जायं और लोगों के दिल में यह बिठा दें कि शराब बनाना और पीना, दोनों चीजें बुरी हैं और जिस तरीके से भी इसमें सफलता मिल सके वैसा प्रचार हमारे प्रदेश में होना चाहिये और ये जो ५०-५० रुपये के सोशल वर्कर्स रखे गये हैं ये सब बेकार हैं।

दूसरी बात यह कि जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है आजतक १८ फी सदी हरिजनों का रिप्रेजेन्टेशन इसमें नहीं हो पाया है। न तो इसमें उतने हरिजन सिपाही हैं और न उतने हरिजन इंस्पेक्टर हैं। मुझे आज मालूम हुआ, एक माननीय सदस्य ने कहा, कि १४-१५ सुपरिंटेंडेंट इसमें और रख लिये गये। मंत्री जी का परम कर्त्तव्य है कि छोटे-छोटे कर्मचारियों की तादाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ावें न कि बड़े बड़े अधिकारी बढ़ावें और हरिजनों का १८ फीसदी रिजर्वेशन पूरा करें। इसके अलावा अगर आप प्रचार के जरिये नशाबन्दी करना चाहते हैं तो ऐसे प्रचारक रखिये जो घर घर में जा कर उसके हानि और लाभ को लोगों को समझावें।

[श्री हरीसिंह]

दूसरे, जब हमने अंग्रेजों के जमाने में यह प्रतिज्ञा की थी कि हम अपने देश में शराब और दूसरी मादक वस्तुओं को नहीं रहने देंगे तो हमारा यह परम कर्त्तव्य है कि चाहे जितनी हानि हो हम शराब की दुकानों को और इस विभाग को ही खत्म कर दें नहीं तो बार-बार अधिकारियों पर लांछन लगाना और मंत्रीजी को भला बुरा कहना उचित नहीं है। लेकिन जब हम और आप, सब इसमें लिप्त हैं तो सिवाय बुराई करने के और करेंगे ही क्या?

इसके अलावा मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि प्रचार के लिये इसमें अधिक रुपया रखें और हरिजनों के मुहल्लों में एक भी शराब की दुकान नहीं रहनी चाहिये, सारी दुकानें हटा देनी चाहिये। आज गरीब बेचारे स्पिरिट पीते हैं और जो अपने को ऊंची जाति वाले कहते हैं, वे दबादब शराब पीते हैं। हरिजन उतनी शराब नहीं पीते हैं जितने दूसरे वर्ग के लोग पीते हैं लेकिन वे बदनाम इसलिये हैं कि उन गरीबों के मुहल्लों में आपने जबरदस्ती दुकानें खोल रखी हैं। इसलिये आप उन दुकानों को वहां से हटा लीजिये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमान्, सब से पहली बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि यह है कि हमारे माननीय मंत्रीजी ने अपने इस अनुदान के विषय में सब से बड़ी खूबी यह बतलायी कि इससे आमदनी बढ़ गयी है। उन्होंने आंकड़े बताये कि फलां सन् में इतनी हुई और फलां सन् में इतनी हुई और अन्त में दिखाया कि हमारी आमदनी बढ़ रही है। मैं भी मानता हूं कि बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है। इसके संबंध में महात्मा गांधी जी ने अपनी राय प्रकट की है, मैं उसको सदन के सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि "क्या हमारे लिये शर्म की बात नहीं है कि हमारे बच्चे उस आमदनी के द्वारा शिक्षा ग्रहण करें जो शराब की बिक्री से होती है?" यह गांधी जी के शब्द हैं, यह उस पुण्यात्मा के शब्द हैं जिसके अथक परिश्रम से स्वराज्य मिला और हमें इस बात का अवसर मिला कि हम स्वतंत्रतापूर्वक विचार-विमर्श कर सकें। लेकिन आजकल उनके शब्दों का कोई खयाल नहीं रखा जाता है और शराब की बिक्री के द्वारा आमदनी बढ़ाई जाती है और खूबी दिखाई जाती है कि हमने इतना ज्यादा रुपया पैदा किया।

श्रीमन्, जैसा कि मंत्रीजी ने बतलाया कि पावर अलकोहल से बहुत सी दवाइयां बनती हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि, तो उसके लिये हमें कोई एतराज नहीं है, बेशक बनें। मगर शराब के बारे में यह नहीं बताया कि पहिले जितनी शराब बनती थी उससे कम बनती है या ज्यादा इसलिये नहीं बताया कि उसमें बढ़ोत्तरी हुई है।

श्रीमन्, इसके दो पहलू हैं। एक तो यह कि इसका सीधा आत्मा से सम्बन्ध है। वह मद्य निषेध है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि "शराब शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर देती है" इसका आत्मा पर असर पड़ता है और इसकी रोक-थाम कानून से की जाती है। श्रीमन्, सब चीजें कानून से नहीं की जा सकतीं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिये प्रचार की जरूरत होती है। मगर हमारे लिये यह बड़े दुर्भाग्य की बात और अफसोस की बात है कि हम भौतिकवाद को मान बैठे हैं और इसी को सब कुछ मान लिया है। शराब से इंद्रिय जनित सुख अधिक मिलता है और इसको एक्साइट करती है। इसलिये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब इसको हम रोकना चाहेंगे तो हमारे शरीर के अन्दर वही बात होगी यानी इंद्रिय जनित सुख की बात होगी। लिहाजा हम रोक नहीं सकते हैं। यही झंझट पड़ रहा है।

आज से २०/२५/५० साल पहिले जब हमारे यहां अध्यात्मवाद का जोर था तो एक गांव में मुश्किल से दो चार आदमी से ज्यादा शराब पीने वाले नहीं मिलते थे। और वह इतने मशहूर होते थे कि सब जानते थे कि फलां आदमी पीते हैं और दस पांच गांव में एक ही दूकान होती थी और जो शराब लेने जाता था उसका हाल लोगों को मालूम हो जाता था। लेकिन आज कल गांव के ८० प्रतिशत लोग शराब पी रहे हैं चाहे किसी जाति के हों। बड़े बड़े तिलकधारी

पंडित जो शाम को भागवत का पाठ करते हैं, बोतल लेकर शराब लाते हैं और पूछने पर मिट्टी का तेल कह देते हैं। बात यह है कि एक दूकान तो है नहीं जो पता चले। वैसे ही किसी ठाकुर साहब के यहां टिन के टिन शराब रखे होते हैं और वह शराब बेचते हैं। पंडित जी वहीं से भरवा लाये और पूछने पर कह दिया मिट्टी का तेल है। इस प्रकार से श्रीमन्, कानून से यह चीज नहीं रुक सकती है।

श्रीमन्, आज के प्रचार में एक चीज यह दिखाई जाती है कि शराब पीने से परिवार के लोगों के ऊपर उसका असर आता है। स्त्री बच्चों का जीवन दूभर हो जाता है। जो कुछ आदमी कमाता है उसको शराब पी जाता है। भोजन के लिये उसके पास कुछ नहीं रह जाता है इसलिये स्त्री बच्चे भूखों मरते हैं। यह प्रचार किया जाता है। इसी के पोस्टर दिखलाये जाते हैं इसके पैम्फलेट होते हैं और इसी की स्लाइड्स होती हैं। लेकिन मनुष्य को वही सबसे प्यारी चीज होती है जो आत्मा के सबसे नजदीक हो।

संसार में आदमी को सबसे प्रिय होता है अपना देश, अपने देश में सबसे प्रिय होता है अपना प्रदेश, अपने प्रदेश में सबसे प्रिय होता है अपना जिला, अपने जिले में सबसे प्रिय होता है अपना गांव, अपने गांव में सबसे प्रिय होता है अपना घर, अपने घर में सबसे प्रिय होती है अपनी स्त्री और बच्चे, अपनी स्त्री बच्चों में सबसे प्रिय होता है मनुष्य का अपना शरीर। उस शरीर को जिस चीज से सुख मिलता है उसके खिलाफ वह कभी भी बगावत करने को तैयार नहीं होता। यही कारण है कि शराबबन्दी के प्रचार में जो स्त्री बच्चों की दुर्दशा दिखायी जाती है उसका असर उस पर नहीं पड़ता। जब उसने बोतल देखी दो घूंट शराब के लिये उसके शरीर में आनन्द आया बस वह सब भूल गया। यह था हमारे धार्मिक प्रचार और आत्मवाद में कि शरीर के आगे की चीज भी हम कहते थे। हमारे महर्षि और विचारक जानते थे कि चूंकि इससे यहां संसार में सुख मिलता है इस लिये यहां अगर रोकेंगे तो नहीं रुकेगा। इसलिये उन्होंने परलोक की कल्पना करायी थी। उन्होंने यह कहा था कि शराब पीने से परलोक बिगड़ता है। यहां तो आनंद मिलेगा लेकिन वहां जा कर भुगतना पड़ेगा। डर एक ऐसी चीज है, खास कर परलोक और ईश्वर का डर, वह हर वक्त आदमी के साथ रहता है, चाहे वह अकेला रहे या दस आदमियों के साथ मनुष्य उस डर से शराब नहीं पीता था। लेकिन आज उस आध्यात्मवाद और धर्म को इस भौतिकवाद और समाजवाद ने अफीम की गोली बना दिया है।

इसके लिये एक ऐतिहासिक सत्य है। वह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। उस धार्मिक प्रचार के द्वारा चाहे वह गरीब रहा हो या अमीर रहा हो, राजा हो या रंक, किसी भी जाति या बिरादरी का हो, हरएक पर उसकी धार्मिक छाप थी कि वह शराब पीने से बचने की कोशिश करता था, क्षत्रियों में एक सिसोदिया जाति है। आरम्भ में वह वल्लभी क्षत्रिय कहे जाते थे। सिसोदिया नाम बाद में पड़ा है। इसी शराब के ऊपर एक आख्यान है। ऐसा हुआ कि राजा बीमार पड़े। उनके वैद्य जी ने जो उनके लिये दवा सजेस्ट की वह शराब थी। वैद्य जी ने उनको शराब पिला कर अच्छा कर दिया। जब वह अच्छे हुये? उन्होंने अपने वैद्य जी से पूछा कि आपने कौन सी दवा दी थी? वैद्य जी ने कहा कि आपको शराब दी गयी थी। तो उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया और पूछा कि महाराज बतलाइये कि शराब पीने से जो पाप होता है उसका क्या प्रायश्चित है। पुरोहित जी ने बतलाया कि सीसा गर्म करके पी जाओं। उन्होंने सीसा पिघला कर पी लिया और जान दे दी। यह शराब के लिये हमारी धार्मिक भावना थी। शराब को इतने नीचे गिरा दिया था कि किसी की पीने को हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज भौतिकवाद और समाजवाद के प्रचार के अन्दर उस चीज को ले आना बहुत असम्भव हो चुका है।

श्रीमन्, एक चीज और मैं निवेदन करना चाहता हूं। अगर आज देहातों में देखा जाय तोएक एक गांव में कम से कम ८—८,१०—१० घरों के अन्दर, कहीं शराब बिक रही है कहीं

[कुंवर श्रीपालसिंह]

अफीम बिक रही है, कहीं गांजा बिक रहा है, कहीं लोग पोस्ते की ऊपर की खोल उबाल पर पी रहे हैं । उन्होंने उसको पानी में उबाल लिया और पी गये । जिनको शराब नहीं मिलती स्पिरिट पीते हैं । लखनऊ में एक आदमी है जो मेथिलेटेड स्पिरिट पीता है, जिस पर हड्डी और सर का निशान बना रहता है कि पाइजन है, जहर है, मर जाने का खतरा है, वह शीशे, इतनी बड़ी कटोरिया झोले में रखे हुए अवध कोकोजम के सामने खड़ा रहता है, जो कोई आदमी स्पिरिट वहां से लेकर निकला उससे वह कहता है कि तुम्हारी स्पिरिट में तो पानी मिला हुआ है । वह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है । तो कहता है कि अच्छा लाओ जरा देखें, धीरे से कटोरिया निकालकर उसमें थोड़ी सी स्पिरिट लेकर पी जाता है और उससे कहता है कि बिलकुल ठीक है, ले जाओ । यह हालत है । जहां कहीं भी मद्य-निषेध की योजना चलाई गई है हर एक जगह वह फेल हुई है और उसके फेल होने का कारण महज यही है कि उसको कानून के जरिये से वह रोकना चाहते हैं । जैसे एक भागता हुआ सांड हो, उसको पीछे से दुम पकड़ कर हमारे मंत्री जी रोकना चाहें तो वह सांड़ कभी नहीं रुक सकता है । अगर बढ़कर के डांट दें तो वह वहीं पर रुक जायगा । इस तरह से श्रीमन् राम मार्ग के बारे में बड़ा प्रचार किया जाता है, उसका प्रमाण दिया जाता है—

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले ।
उत्थातव्यं पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥

कहा जाता है कि तुम्हारे धर्म में तो और भी पीने के लिये कहा गया है । लेकिन वह और पीने के लिये नहीं कहते, आगे बढ़ कर उसको रोकते हैं । वह कहते हैं कि पियो, खूब पियो, इतना पियो कि जमीन पर गिर जाओ, फिर उठो और उठ कर फिर पियो, इतना पियोगे तो पीने की इच्छा नहीं रहेगी । यहां मंत्री जी कहते हैं कि खुले आम न पियो, छिप के पियो, और बढ़िया शराब न पियो, ताजी चुवाई हुई शराब पियो जिससे वाईसिस हो जाय । यह चीजें हैं जिनकी वजह से यह रोक नहीं पा रहे हैं । जब तक धार्मिक प्रचार के द्वारा लोगों के मन और मस्तिष्क पर कब्जा नहीं किया जायगा, जब तक धार्मिक प्रचार की व्यवस्था नहीं की जायगी तब तक इसका रुकना नितान्त असम्भव है । इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्रीजी से यह प्रार्थना करूंगा कि शराब के द्वारा वह जिस प्रकार आमदनी बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार धार्मिक विचार भी बढ़ाने का प्रचार करें ।

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह मद्य-निषेध नाम की जो पुस्तिका १९५९-६० की बंटी है उसके प्रारम्भ में यह लिखा हुआ है कि मद्यपान की समस्या उतनी ही पुरानी है जितनी कि आदमी का इतिहास । इसके आखीरी पृष्ठ पर लिखा हुआ है जो आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व खुद भगवान बुद्ध ने कहा था कि "मनुष्यों तुम सिंह के सामने जाते समय भयभीत न होना वह पराक्रम की परीक्षा है । तुम तलवार के नीचे सिर झुकाने में भयभीत न होना, वह बलिदान की कसौटी है ....मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि वह गंगा प्रसाद जी ने पढ़ लिया था । अन्त में लिखा हुआ है पर शराब से सदा भयभीत रहना क्योंकि वह पाप और अनाचारों की जननी है" । तो इससे स्पष्ट है कि यह शराब पीने की बात बहुत पुरानी है । मनुष्य के इतिहास के प्रारम्भ से यह आदत पड़ी हुई है और मनुष्य के संस्कार में भी यह चीज है । इसको दूर करने का प्रयास जैसा कि राजा साहब ने उधर से कहा धार्मिक दृष्टिकोण से ही शुरू में किया जाता रहा ।

केवल दस वर्षों से ही जब से इस प्रदेश में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई महात्मा गान्धी के सिद्धान्तों के आधार पर कानून के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया जाने लगा। तो यह इतनी पुरानी जो परम्परा है वह केवल दस वर्षों के समय में समाप्त करदी जाय, यह सम्भव नहीं

प्रतीत होता। इस प्रदेश का सम्पूर्ण आबकारी विभाग, उसके सभी अधिकारी और कर्मचारी, इस प्रदेश में जो बने हुए अधिनियम और नियम हैं उनके तहत में रोकथाम करने और कायदे कानूनों की पाबन्दी करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह शराब पीने की जो प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण रखा जाय और उसमें कमी आये। अधिक से अधिक लाइसेंस फीस लगायी जा रही है और ड्यूटी भी बढ़ायी जा रही है। इसके बावजूद भी लोगों की पीने की आदत कम नहीं हो पा रही है। तो इतने सारे नियंत्रण के बाद भी यह कह देना कि सरकार जो है वह इस प्रवृत्ति को बढ़ा रही है यह मेरे खयाल से सही बात नहीं है। सरकार तो हर तरह से प्रयत्न कर रही है कि यह प्रवृत्ति जो है वह कम हो। लेकिन कानून के द्वारा ही यह प्रवृत्ति कम नहीं होगी। इसमें वास्तव में सुधार करना है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामने आकर के और खुद प्रचार करके तथा समाज के सामने अन्य जो तरीके हैं उनको अपनाकर के इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। जनता का नैतिक स्तर जब ऊंचा उठेगा, उसका मानसिक विकास होगा, तभी इन चीजों में कमी आयेगी। इस प्रकार की भावना जब उनके अन्दर पैदा होगी तब इसमें कमी आ सकती है।

अब मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे प्रदेश में इस वक्त कुल ६९ शुगर फैक्टरीज हैं। उनमें प्रति वर्ष अधिक से अधिक शीरा पैदा होता है और उस शीरे से काफी मात्रा में भिन्न-भिन्न प्रकार की चीजों का बनाया जाना सम्भव है लेकिन उस पर ठीक ढंग से नियंत्रण नहीं रखा जाता जिसकी वजह से वह सारा शीरा, जो हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति है, व्यर्थ जाता है। १९५८-५९ और १९५९-६० के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि शीरे का प्रोडक्शन पहले १। करोड़ मन था और इस वर्ष वह १।। करोड़ मन तक पहुंच जायगा लेकिन उसका जो इस्तेमाल होता है वह केवल कुछ डिस्टीलरी में पावर अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल होता है और कुछ अवनियां हैं जिनमें शराब बनाने के लिये लोग इस्तेमाल करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर नियंत्रण रखने के लिये ठोस कदम उठाये जायं। इस बजट में उन्होंने इन चीजों पर नियंत्रण रखने के लिये कुछ व्यवस्था की है। हर फैक्टरी में एक आबकारी निरीक्षक रखने के लिये उन्होंने सोचा है। उसके अनुसार केवल २० सहायक आबकारी निरीक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था इस बजट में उन्होंने की है। मैं यह समझता हूं कि हर फैक्टरी में एक आबकारी निरीक्षक रखने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि जितना भी शीरे का उत्पादन फैक्टरियों में होता है उसके रख रखाव की व्यवस्था हो सके और उस शीरे से शराब बनाई न जा सके। इतना ही नहीं बल्कि आवश्यकता आज इस बात की है कि जो पहला मुलासेस कंट्रोल ऐक्ट है, जो सन् १९४६ में बनाया गया था और उसके बाद १९५६ में उसमें कुछ संशोधन हुआ, उसमें जो प्रतिबन्ध है वह आज की परिस्थिति के लिये पर्याप्त नहीं है। उसमें संशोधन करना आवश्यक है जिसके तहत में हम फैक्टरी वालों को विवश कर सकें कि वह शीरे पर सही-सही नियंत्रण रख सकें और उसको एकत्रित कर सकें। उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे और इस पर नियंत्रण रखने के लिये जिस बात की आवश्यकता है उसके लिये सहयोग प्रदान करेंगे।

इसके बाद शराब पीने को रोकने के लिये हमारे प्रचार विभाग को क्या करना है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां इतना अधिक रुपया सरकार के पास आता है और इतना अधिक रुपया सरकार का इरादा उस पर खर्च करने का है तो वह रुपया सरकार के अन्य रचनात्मक कार्यों में भी खर्च किया जाना चाहिये। यहां पर यह देखना चाहिये कि जिन लोगों से यह रुपया एकत्रित होकर सरकार के पास आता है उन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये, उनके अन्दर परिवर्तन लाने के लिये, उनके आर्थिक ढांचे को सुधारने के लिये अधिक पैसा खर्च करने की जरूरत है। जो रुपया सरकार इस व्यवस्था पर खर्च करती है वह बहुत

[श्री रामसूरतप्रसाद]

कम है । इसमें केवल प्रचार के लिये ५ मद्य निषेध अधिकारी हैं जो थोड़े से स्टाफ के साथ यह काम करते हैं । यह ज्यादा जरूरी है इसपर अधिक पैसा लगना चाहिये । इसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाय जिससे प्रचार का कार्य सुचारुरूप से चल सके । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर अपना ध्यान देने की कृपा करें ताकि जो विभाग का प्रचार कार्य है वह सही रूप से चल सके । समाज के विभिन्न अंगों में जाकर वह प्रचार कर सकें और साथ ही जो वहां पर कठिनाइयां हैं उनका अध्ययन करके उनको दूर कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी जो विरोधियों की ओर से प्रस्ताव असेम्बली में आया है उसका मैं समर्थन करता हूं और इस संबंध में श्रीमती सरकारे आलिया से कहना चाहता हूं कि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि सुरा का पान करनेवाले सुर हैं और सुरा न पान करने वाले असुर हैं । तो आपने सरकारी नौकरों को तो अधिकार दे रखा है कि वे जैसे चाहें सुरा पान करें, वह सुर हो गये और जो लोग पान नहीं करते, वह कौन होंगे इसे आप ही समझ लीजिये ।

हमारी भारतीय पुरानी परंपरा है और उसके अनुसार ऋषियों ने चार बातों का निषेध माना था, लेकिन सरकार ने उन के लिये खुली छूट दे रखी है । वे हैं व्यभिचार, जुआ, शराब और मांस भक्षण । आपने मांस भक्षण के तो मुहकमे बना दिये, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर-पालन आदि । आप कहते हैं कि अंडा खाना धर्म है । वह वेजिटेबिल है । जुआ खेलने के लिये आपने नौकरों को खुली छूट दे दी है । आपने क्लब-घर खोल दिये हैं, जहां लोग तफरीह के नाम पर जुआ खेलते हैं और सट्टे का व्यापार तथा कार्नीवल भी आपने जायज कर दिया है । बोलो भारत माता की जय । व्यभिचार को लीजिये । सहकारिता, सहशिक्षा सह आफिस में सहयोग, कहां नहीं है ? आज ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० में इसी बात पर रोज लड़ाई होती है । यह सब चीजें भी व्यभिचार का वर्धन करती हैं । समाज कल्याण, ग्राम विनोदिनी, ग्राम सेविका यह सब क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य 'आप' शब्द का प्रयोग सदन में मेरे लिये ही कर सकते हैं, इसलिये आप ..... (हंसी)

श्री बंशीधर शुक्ल---आप को ही आप कहता हूं (हंसी) और तो सब मेरे जैसे हैं । आप तो आप ही हैं । तो मैं श्रीमन्, यह कहता हूं कि सरकारों की आदत होती है कि नीचे से तो खाद और पानी दे कर दरख्त बढ़ाती है और जब वह ऊपर बढ़ने लगता है तो उसे ऊपर से काट दिया जाता है । नीचे से तो शराब का ठेका होता है, उसमें इतना मुनाफा होता है, और उस से यह काम किये जा सकते हैं, आदि आदि, लेकिन ऊपर से उसे मना किया जाता है । यह कोरा ढकोसला है । जो भी आपको करना हो उसे ठीक खुले दिल से करना चाहिये, केवल कल्पना से काम चलने वाला नहीं है । आज जब राकेट उड़ रहे हैं, लोग आकाश पर पहुंच रहे हैं तो कम से कम आपको जमीन पर तो अच्छी तरह से चलना चाहिये । अभी तो आपको जमीन पर भी चलना नहीं आया ।

आज मुझे दुख के साथ दो एक बातों का जिक्र करना पड़ता है । आज असेम्बली में हूं, कल भगवान जाने क्या हो । हम तो इस से ऐसे अघा गये हैं कि इस तरफ आने की तबियत नहीं होती । स्पीकर साहब जब हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं तो जी होता है कि चले आयें । हमारे जिले के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता पं० रूपनारायण कल आये थे और जो दशा उन्होंने वहां की बतलाई उसे मैंने खेर साहब को लिख कर दिया । पता नहीं उन्होंने उसे पढ़ा भी या नहीं, कैंसिल कर दिया, रोना पड़ रहा है ....

श्री उपाध्यक्ष---आबकारी के सिलसिले में स्पीकर साहब कहां से आ गये ?

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं उन बातों को यहां नहीं कहना चाहता, लेकिन लखीमपुर जिले में शारदा के उस तरफ शराब बनाने पीने की खुली छूट है । दो आने बोतल ले लीजिये । घड़ों पीजिये और बरसों पीजिये, लेकिन शारदा के रेत के इस तरफ आइये और वही शराब निकले तो आप जेल जायेंगे शराब पीने पर । यह क्या है ? निघासन तहसील में सैकड़ों भट्टी हैं, ठेके होते हैं और शराब बनती है और खुले रूप में बिकती है और आप उन आदमियों को मैलानी स्टेशन पर तलाशी लेकर पकड़ते हैं, उनको सजा होती है । तो मैं आपसे कहूंगा कि आप शराब पीना जायज कर दीजिये । उसको बंद न कीजिये । आपने जहां जहां शराब बंद की है वहां वहां शराब और ज्यादा जोर से चल रही है । आज शराब कौन पीता है ? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, दूसरा कोई पीता नहीं । आपने अपने नौकरों को पीने की खुली छूट दे दी है । आज तो पेय पदार्थों में उत्तम पेय शराब है और उत्तम भोजन में मांस है उच्च सोसाइटी में । महुए की शराब नीचे दर्जे के आदमी पीते हैं । हमारे यहां पुराने जमाने में जो जयमाला बनती थी वह महुए के फूलों की बनती थी । वह मादक फूल माना गया है और इसीलिये उसे सर्वश्रेष्ठ फूल माना गया है । अगर आप उसके लिये छूट दे दें तो कोई बात नहीं क्योंकि खुले रूप में भले ही बहुत से लोग न पियें लेकिन छिपे छिपे तो बहुत से मंत्री जी भी पीते हैं, बोलो भारत माता की जय । जब हम शराब का बहिष्कार करते थे उस समय भी बहुत से नेता ऐसे थे कि जिनके घर में शराब जाती थी और हम खुद ले जाते थे । बोलो भारत माता की जय ।

तो मेरा तो यही कहना है कि दिल मचल जाता है, जब सामने पैमाना आता है । इसलिये इस लजीज चीज का आप बहिष्कार मत कीजिये क्योंकि इसमें आप सफल नहीं होंगे । आज लखीमपुर जिले की जेल में आप देखें तो वहां आपको एक तिहाई कैदी तो जंगल विभाग द्वारा पकड़े गये होंगे और एक तिहाई शराब के जुर्म में पकड़े हुये होंगे । हमारे जिले में भांग बहुत होती है । उसी भांग की टट्टियां बनाकर लोग रहते हैं । अगर उनके घरों में जरा सी भी भांग निकल आती है तो आप उनको जेलखाने में भर देते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्या ढकोसला है इस सरकार का । भांग से, पता नहीं, कौन सा कानून टूटता है । आप शराब को जायज कर दीजिये, यह सब आपका ढकोसला मात्र ही है । जिस तरह से और जगह आपने खुली छूट दे दी है उसी तरह से हमारे यहां भी आप छूट दे दीजिये । यदि आप बन्द करना चाहते हैं, कोई रोक लगाना चाहते हैं तो पूरे जिले में लगाइये, अगर छूट देना चाहते हैं तो पूरे जिले में दीजिये । यह नहीं कि आपने तहसील निघासन में तो छूट दे दी है, और जो शारदा के इस पार का इलाका है वहां रोक लगा दी है । एक जिले में यह दो कानून कैसे ?

एक सदस्य—कोई कविता भी कहेंगे ।

श्री बंशीधर शुक्ल—इस शराब के बारे में तो बहुत सी कवितायें कही जा सकती हैं, मगर यह अवसर यहां ऐसा नहीं है जो कोई कविता इस पर सुनाई जाय —

कौन अहसां उठायेगा साकी का,
उंगलियां क्यों उठें जमाने की ।
आप अपने में मस्त रहते हैं,
क्या जरूरत शराबखाने की ।

यहां सदन में इस पर कोई कविता सुनाना उचित नहीं होगा । यहां पर तो उच्च विचार की बातें होनी चाहिये । अंत में मैं यही कहूंगा कि हमारे यहां शराब आदि पर जो पाबन्दियां हैं उनको आप हटाइये । मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि आज मेरे हृदय में बहुत दुख है । मैंने दो दिनसे अपने यहां की ४ हजार गायों के बारे में, जंगल विभाग वालों ने जिनको मार दिया है, नियम ५२ का प्रस्ताव दिया था, कामरोको प्रस्ताव दिया था, जिसकी ओर खेर साहब ने ध्यान नहीं दिया, इसका मुझे बहुत दुःख है । यह ऐसी बात है कि इसका दुख हर हिन्दू को होगा और

[श्री बंशीधर शुक्ल]

यह लज्जा की बात भी है । इसलिये मैं आज इतना ही कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री मुरलीधर (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया । आज हमारे ज्यादातर साथी प्राहिबिशन के बारे में ही बोले हैं, लेकिन इसका एक दूसरा अंग रेवेन्यू का भी है । इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो इस विभाग के कर्मचारी हैं उनकी आमदनी के बारे में सरकार को पूरी जानकारी रखना चाहिये । सरकार को उनकी हर साल की आमदनी का ब्योरा रखना चाहिये क्योंकि आज हम सभी के सामने एक्साइज विभाग के कर्मचारियों का बदलता हुआ नक्शा दिखाई देता है । जो कर्मचारी कल कौड़ीपति था वह इस विभाग में आने के बाद, कुछ ही दिनों बाद, करोड़पति बन जाता है । उनके रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि उनका तबादला तक १०-१० सालों तक नहीं हो पाता है । जो इस विभाग के ऐसे लोग हैं जो अनडिवाइडेड हिन्दू फेमिली के मेम्बर हैं, उनके पिता तथा उनके भाई आदि की जो प्रापर्टी हो उसका भी ज्ञान सरकार को होना चाहिये ।

साथ ही क्राइम की बातों पर बड़ा जोर दिया जाता है । आज उनकी तादाद बढ़ रही है । एक्साइज के क्राइम में दो-दो चार-चार आने की चीजों के पीछे आज लोगों को बन्द कर देते हैं और जो पेशेवार लोग हैं, बड़े बड़े स्मगलर्स हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता है । और उनके कुली, नौकर और गरीब किसान मजदूरों को जो भूले भटके में, अपने काम से लौटते हैं उनकी तलाशी लेकर पकड़ा जाता है । मैं सरकार से चाहूंगा कि आज जो एम्फेसिस है क्राइम को कम करने पर, वह नम्बर आफ क्राइम पर नहीं बल्कि नेचर आफ क्राइम पर होनी चाहिये और विशेष रूप से इस प्रकार के अधिकारी रखे जायं । आज मैं देखता हूं कि लखनऊ में भी कुछ ऐसे अफसर हैं जो विधायकों का ही नहीं, मंत्री महोदयों का भी उपहास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं । ऐसे अफसरान की जांच हो तो बलरामपुर के डी० एन० शर्मा की जरूर जांच की जाय, मालूम नहीं कितनी पिये रहते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---यह बड़ी अनुचित बात है, इसको वापस लीजिये ।

श्री मुरलीधर---मैं नाम वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---अस्पताल की बात यहां पर क्यों की गई ?

श्री मुरलीधर---जहां तक प्राहिबिशन की बात है, हमारे भगवती सिंह जी ने भौतिक दृष्टिकोण पर जोर दिया और साथ ही जो हमारे दूसरे साथी बोले उन्होंने इसी पर जोर दिया कि सरकार क्यों नहीं गांधी जी के विचारों के अनुसार इस प्राहिबिशन को बढ़ाती है, क्यों नहीं जो ६ करोड़ आमदनी हो रही है उसको रोकती । ज्यादातर सरकार पर यह चार्ज लगाया गया है कि सरकार आमदनी करना चाहती है, इसीलिये एक्साइज को कायम रखा हुआ है । सरकार आमदनी करना चाहती है इसीलिये प्राहिबिशन को बढ़ाना नहीं चाहती । लेकिन मेरा दृष्टिकोण यह है कि सरकार आमदनी पर नहीं, भावना पर नहीं बल्कि सरकार एक विवेक से काम ले रही है, सोच विचार कर काम कर रही है । १० साल में मैंने देखा कि ११ जिलों में किस तरह से प्राहिबिशन स्कीम चल रही है और उसके सम्बन्ध में जो कुछ मेरा अपना विश्वास है कि शायद उसी एक्सपीरियेंस के आधार पर आज प्राहीबीशन आगे नहीं बढ़ा । क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अपना मत है कि प्राहीबीशन एक ऐसा मूवमेंट है जिसके बारे में कोई जोर से बोलता है तो वह बूटलेगर बोलता है । अगर किसी को प्राहीबीशन से फायदा होता है तो वह बूटलेगर्स को होता है । चाहे कैनाडा हो, आस्ट्रेलिया हो, स्वीडेन हो इंगलैण्ड हो, हर जगह बूटलेगर्स के कहने पर प्राहीबीशन चला, रेवेन्यू का लास हुआ, हमारी ब्यूरोक्रैटिक मैशीनरी करप्ट हुई और हमारी सोसाइटी में जो लोग शराब पीते थे और उसको पीना धार्मिक गुनाह समझते थे, वह काम क्राइम कर

के पीने लगे । जहां आपने प्राहीबीशन कर लिया है वहां लोगों का नैतिक स्तर ही नहीं गिराया बल्कि उनको क्रिमिनल माइंडेड भी बना दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान खासतौर से उस परिस्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्राहिबिटेड एरिया में चाहे बिलकुल बन्द कर दी जाय या दूसरा एक तरीका लोग बताते हैं कि शराब का दाम बढ़ा दिया जाय, लेकिन कभी भी शराब पीने की बात रुक नहीं सकती । क्योंकि लोगों को शराब पीने से बाईलेजिस्लेशन नहीं रोका जा सकता है, परसुएशन से रोका जा सकता है । गांधी जी ने भी परसुएशन की बात कही थी और यही चीज थी कि गांधी जी ने सत्याग्रह की बात छेड़ी थी और पहला तरीका अपनाया था कि जगह जगह दूकानों पर सत्याग्रह करें ।

मैंने विरोधी साथियों के भाषण सुने, लेकिन किसी महानुभाव ने यह हिम्मत की बात नहीं दिखाई कि उनकी पार्टी या व्यक्तिगत रूप से वह सरकार की इस नीति का विरोध करें जिसे वह खराब बता रहे हैं । उन्होंने एक्साइज की दूकानों को तोड़ने के लिये कोई कदम नहीं उठाया और न उठाने को सोच रहे हैं । यह तो खाली भावना है, जो क्रिटिसाइज करने तक ही सीमित है । वह इसलिये कदम नहीं उठाते क्योंकि उनका काम नहीं होना है । जिस एरिया में प्राहीबीशन है वहां जो ठर्रा और पक्की पीते थे आज उससे ज्यादा खतरनाक चीज पीते हैं । वहां पर जो लोग डिनेचर्ड स्पिरिट और टिंचर जिंजर पीते हैं । इन चीजों की एक तरह से काटेज इंडस्ट्रीज बन जाती हैं । इस प्रकार से सर्विसेज डिमारलाइज होती हैं । इस प्रकार की खराब चीजों को पीने से लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं और छिपे तौर पर क्राइम बढ़ रहे हैं । आज इस सरकार को हिम्मत के साथ काम करना चाहिये और सारी दुनिया के तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिये और प्राहीबीशन को खत्म कर देना चाहिये । जब ११ जिलों में शराब बन्दी करने के बाद जो ६–७ करोड़ रुपया मिल रहा है तो वह आमदनी और बढ़ सकती है जिससे अभी हमने जो ३ आने की सिंचाई दर में छूट को खत्म किया है वह हम फिर दे सकते हैं । आज हम जो दूसरे तरीके से टैक्सेज वसूल करते हैं उनको वसूल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मिडिल क्लास के जो लोग शराब पीते हैं, जिनके पास पैसा होता है उनसे हम पैसा वसूल कर सकते हैं ।

श्री भगवती सिंह विशारद जी ने कहा कि १९४५–४६ में ११ लाख गैलन पक्की शराब बिकती थी जो अब २२ लाख गैलन बिक रही है । अतः यह फीगर्स हमें बताती हैं कि समाज का ट्रेन्ड किस तरफ है, सोशल ट्रेन्ड क्या है । इसको रोकने से दूसरे नाजायज तरीके पैदा होते हैं जिनसे सर्विसेज डिमारलाइज होती हैं और देश का पतन होता है । इसलिये मेरा मत है सरकार अपने अनुभवों और दुनिया के अनुभवों के आधार पर प्राहीबीशन खत्म करे ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमान् जी, सदन में जो चीज पेश की गई है उसको विधेयक कहते हैं । इस विधेयक पर लोग सीना निकाल कर भाषण देते हैं ।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, जेठ में सिरकटा पैदा हुआ जबकि चारों तरफ सूखा ही सूखा था और जब अषाढ़ का महीना आया तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई तो वह सिरकटा सोचता है कि यह महाप्रलय कहां से पैदा हो गयी । श्रीमान्जी, मैंने शराब की दूकान पर डकैती की थी, पिकेटिंग की थी उसी में मेरा बायां हाथ खराब हो गया जो आज तक भी सीधा नहीं होता है । श्रीमान्जी, ११ साल का राजपाल लड़का शराब की दुकान से कत्ल करके फेंक दिया गया था जो मर गया ।

श्रीमान्जी, बड़े आदमी शराब ज्यादा पीते हैं । छोटे आदमी, अछूत यहां पर कौन हैं ? मैनी जी बैठे हैं वह तो ब्राह्मण हैं । हम लोग ही जो पीछे बैठते हैं अछूत समझे जाते हैं ।

[श्री टीकाराम पुजारी]

श्रीमानजी, कल मैं एक महानुभाव से मिलने गया जिनकी तरक्की की खबर है । अभी तो मेम्बर ही हैं लेकिन मंत्री होने की खबर है । पहले जब मैं उनसे मिलने जाता था तो मुझे सिरहाने बैठा लेते थे, वह मेरे साथी हैं । लेकिन अब मैं जो मिलने गया तो कहा कि सामने चारपाई पर बैठ जाओ । अब मैं अछूत बन गया । श्रीमान जी, आपके द्वारा, अगर शराबबन्दी और नशाबन्दी सदन के सामने लाई जाय तो यह बड़ी लज्जा की बात है । यह सरकार है उल्टी । इसने नमक पर टैक्स लगा दिया, किस नमक पर टैक्स ? जिसके लिये सन् १९३० में हमारे हाथ-पैर टूटे वा नमक पर या मलूक सरकार ने टैक्स लगा दिया । भले हमेशा बुरे तो होते ही आये हैं । कैसे ? हिरनाकुस के प्रहलाद हुआ था और उग्रसेन के कंस । अब यहां गांधी जी के बच्चे कुछ बैठे हुये हैं । वे क्या जानें शराबबंदी और नशाबन्दी क्या होती है ।

कहते हैं हरिजन । कौन ऐसा है जो हरिजन नहीं है या दुनियां में । हम सब खुदाजन, रामजन, कृष्णजन हैं, सब एक हैं, हमारी सब की जाति एक है । गरीब एक, अमीर एक, कार में चलने वाले एक, पैदल चलने वाले एक, मिल में काम करने वाले एक, आगे बैठने वाले एक और पीछे बैठने वाले एक, इन सब की जाति, श्रीमन्, एक है। लेकिन इन लोगों को क्या मालूम कि स्वराज्य किस तरह से लिया जाता है, अंग्रेजों से कैसे लड़ा जाता है । इन नौजवानों को क्या मालूम है कि किस प्रकार से शराब की दूकानों पर धरना दिया जाता है, किस प्रकार से लोगों के हाथ पैरों को तोड़ा गया और किस प्रकार से वहां से उठाकर फेंक दिया गया और आज उस शराब पर टैक्स लगाया गया है। इस तरह से बन्द थोड़े ही हो सकती है । आप बन्द करना चाहें तो कह दीजिये कि शराब पीने वाले को २ साल की सजा होगी और ५००रुपये जुरमाना होगा और जो बनायेगा उसको जन्म भर की कैद कर दी जायगी ।

यह किसी की चीज नहीं है, जनता की चीज है इसलिये इस सदन के सामने शराबबंदी का प्रस्ताव आना चाहिये और उसको हमें पास करना और शराब को बिलकुल बन्द कर देना चाहिये ।

श्री भीमसेन (जिला बुलन्दशहर)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे इस समय बोलने का मौका दिया है। आबकारी मंत्री ने जो इस समय अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव आया है, उसका विरोध करता हूं । मैं यह देख रहा हूं कि आज इस नशाबन्दी पर बड़ी बहस हो रही है लेकिन जो चर्चा सुनने में आ रही है वह कानपुर की बड़ी आ रही है जब कि कानपुर में नशाबन्दी है। तो जहां कोई नयी चीज होती है वहां की चर्चा होती ही है । इसलिये सरकार जो नीति चला रही है वह बहुत ठीक नीति है। सरकार ने शराबबन्दी की तो स्पिरिट पीने लगे घी के बजाय डालडा अफीम के बजाय धतूरा पीते हैं । सरकार एक चीज बन्द करती है तो आदी लोग दूसरी चीज पीने लगते हैं। और सरकार की नीति का विरोध करके जिस काम को सरकार करना चाहती है उसमें दूसरे लोग बाधा डालते हैं, और दिक्कतें पैदा करते हैं तथा कभी भी सरकार से सहयोग नहीं करते । हमने देखा है कि इस सदन में जो और चार पांच पार्टियां हैं वे सब एक मत हो जाती हैं और किसी मामले में भी सरकार का साथ नहीं देतीं । हां, सिर्फ एक वक्त ऐसा आता है जब कि वे सरकार का साथ देती हैं और वह यह कि जब किसी लीडर का स्वर्गवास हो जाता है उस वक्त वे जरूर सरकार का साथ देती हैं । इस तरह से मेरा यह खयाल है कि वे ऐसे अशकुन के मौके पर ही सरकार का साथ देती हैं । किसी भले काम में उसका साथ नहीं देतीं । मैंने देखा है कि राजाओं की रियासतें गयीं, जमींदारों की जमींदारियां गयीं और सरकार इस मद को चला रही है तो इन राजाओं और जमींदारों के लिये सरकार को कुछ तो छोड़ना चाहिये । एक तरफ उनकी

जमींदारी गयी तो जमींदारी जाने के बाद उनके मनोरंजन के लिये यह चीज तो रहना जरूरी है ।

जहां तक अछूतों का सवाल है , शराब की वजह से उन गरीबों को बड़ी दिक्कत व हानि है और पैसे की कमी से उनको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है; लेकिन हमने यह देखा है कि आज अछूतों में शराब का पीना उतना नहीं है जितना कि इन मालदार लोगों के अन्दर है जिनके पास पैसे होते हैं और वे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं । हमारे जिले में अभी शराबबन्दी नहीं है, लेकिन हमने यह देखा कि हमारी बिरादरी में और दूसरी बिरादरी में भी पहले शादी के मौके पर, बच्चे के पैदा होने पर और किसी के मरने पर यानी हर कार्य पर शराब पी जाती थी लेकिन आज कहीं भी उन मौकों पर शराब देखने में नहीं आती है। हमने इस बात का प्रयत्न किया कि वे शराब पीना छोड़ दें और इसके लिये हमने प्रतिज्ञा की कि जो शराब पीते हैं उनके यहां खाना, पीना, उठना, बैठना तथा बारात आदि में जाना बन्द रखेंगे । जब उन लोगों ने इस बात को अपनाया तो आज आप जाकर के देखें कि वहां ५ फीसदी भी अछूत शराब पीने वाले नहीं मिलेंगे । तो मैं यह कहूंगा कि वहां के लोगों की कमजोरी है जिनके जिले में शराब बन्दी नहीं होती ।

जो चीज अपने आप प्रचार करके बन्द होती है वह कभी दोबारा नहीं उठा करती । लेकिन आज कोई चीज किसी को दबा कर और कानून के जरिये बन्द की जाती है तो उसमें चोरी की जाती है और छिप कर काम किया जाता है। किसी के मन को जीत कर कोई काम किया जाता है तो उसमें बहुत खुशी होती है और बड़ी शान्ति होती है। इसलिये सरकार का साथ तो अब किसी भी शक्ल में हो, लोगों को देना चाहिये और हर आदमी को इस बात का प्रचार करना चाहिये; और मैं समझता हूं कि इस आदरणीय सदन के जो सदस्य हैं वे यदि अपने-अपने जिले में इस बात का प्रयत्न करें और इस बात की कोशिश करें तो मेरे खयाल से शराब बन्दी बहुत जल्द हो सकती है और सरकार भी इसको प्रचार से ही बन्द करे तो ज्यादा अच्छा होगा । इस समय सरकार की जो नीति है उसमें बहुत से लोग सरकार को सहयोग नहीं देते और सरकार जिस काम को करना चाहती है उसमें वे बाधा डालना चाहते हैं ।

मैं आपको आज से एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किसी गांव में एक पोखर था और उसमें बहुत से मेंढक भी थे । एक बार एक मसखरे ने उसके मालिक जो लाला जी थे उनसे कहा कि लाला जी ५ रुपया ले लो और अपने पोखर से मुझे एक धड़ी (५ सेर) मेंढक दे दो । लोभ में आकर लाला जी ने ५ रुपए ले लिये और उसको एक धड़ी मेंढक देने का वादा कर लिया । लाला जी ने मेंढक इकट्ठा कराये और उन्होंने उनको लाकर तराजू में रखा लेकिन जैसे ही वह धड़ी पूरी करने के लिये उन्हें तराजू में रखें तो दस रखें तो १५ बाहर कूद जायं और किसी तरह से भी धड़ी पूरी न हो सके । इस पर लाला जी से एक अकलमन्द ने पूछा कि लाला जी यह क्या कर रहे हैं ? लाला जी ने कहा कि भाई क्या बताऊं मैं लोभ में पड़ गया और इससे मैंने १ धड़ी मेंढक देने का वादा कर लिया है और उसके लिये ५ रुपया भी ले लिये हैं । उस अक्लमन्द आदमी ने कहा कि इसमें परेशानी की क्या बात है आप एक काम करें कि तराजू के पलड़े में एक कपड़ा बांध लें और उस कपड़े में मेंढक रख कर धड़ी पूरी कर दें । इस पर लाला ने ऐसा ही किया और उन्होंने तराजू में कपड़ा बांध लिया और उसमें मेंढक भर दिये । मेंढक बोले कि अब की बार कैसे काम चले, अब के सब मारे गये । उनमें से एक जो सब से मोटा था वह बोला कि कोई बात नहीं है तुम इसमें कूदते रहो । मेंढकों ने सोचा कि ठीक है इस तराजू के भीतर ही भीतर कूदते रहो, धड़ी पूरी तुल ही नहीं पावेगी । मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस काम को सरकार करना चाहती है उसमें मेंढकों की तरह भीतर भीतर ही बाधा डालने की बात की जाती है ।

इसलिये अगर सभी लोग सरकार का साथ दें तो जो काम सरकार करना चाहती है वह बहुत जल्द आसानी से हो सकता है । कोई चीज किसी के लिये बुरी और किसी

[श्री सोमसेन]

के लिये अच्छी होती है। जैसे घी के खाने से आदमी तो क्या पशु तक मोटा हो जाता है और मामूली मक्खी उसमें जाते ही मर जाती है। किसी के कोई चीज माफिक पड़ती है और किसी के खिलाफ पड़ती है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि प्रचार का बहुत कार्य होना चाहिये, जितना प्रचार होगा उतनी ही नशाबन्दी में सफलता मिलेगी।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय विशारद जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैंने दोनों ओर से जो मद्य निषेध पर चर्चा यहां हुई उस को गौर से सुना, लेकिन इस संबंध में मैं आप के द्वारा यह कहना चाहती हूं कि मुझे जब यह मद्यनिषेध विभाग खुला था तो बड़ी खुशी हुई थी और आशा हुई थी कि अब यह नशे की चीजें हमारे यहां बिलकुल बन्द हो जायंगी क्योंकि पूज्य बापू जिनका सब नाम लेते हैं उनका कहना था कि यहां फौरन शराबबन्दी हो। लेकिन मुझे दुख है कि आज तक उनका वह स्वप्न पूरा नहीं हुआ।

पूज्य बापू जिन्होंने भाई, बहिनों, बच्चे, बुड्ढों और देवियों से शराब की हर एक दूकान और गोदाम पर धरना दिलवाया था, और आप को मालूम है कि अनेक स्थानों पर उस समय गोली चली थी, लाठी और डंडे गांधी जी के नेतृत्व में चलकर सब ने खाये, लेकिन आज शराब का बोलबाला है। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है, महान कष्ट होता है। मैं सोचती हूं कि हमारा देश बहुत ही ऊंचा था, यह देश महान था और इसकी नकल दूसरे देश वाले भी करते थे, लेकिन आज हमारा देश पतन की राह पर जा रहा है। बड़ा दुख होता है। मैं देख रही हूं कि आज शराब बन्द नहीं हुई है बल्कि और जोर से शुरू हो रही है। कारण क्या है? जब सरकार में इतनी ताकत है कि हर काम को कर सकती है तो फिर शराब-बन्दी क्यों नहीं हो रही है? मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, कि नुकसान तो वह है कि हमारे देश का पतन हो रहा है, उससे हमें बचना चाहिए।

मैं देखती हूं कि गांव शहर, कस्बे, सभी में शराब का बोलबाला है। क्यों है? बड़े लोग पीते तो अफसोस नहीं होता, लेकिन वह गरीब भाई जो खाना, कपड़ा और दवा के लिये मोहताज हैं, आज शराब पीते हैं। पीने का कारण क्या है? यह नहीं कि उन्हें शौक है बल्कि दुख और तकलीफ जब उनके सामने होती है तो वह उस दुख को भुलाने के लिये पीते हैं। जब तक हमारे देश की गरीबी दूर नहीं होगी तब तक इसे दूर नहीं किया जा सकता। मेरी प्रार्थना है मंत्री जी से कि शराब बन्दी जरूर होनी चाहिये। क्योंकि हर घर में जहां खाना, कपड़ा, दवा और बच्चों की पढ़ाई का प्रबन्ध भी नहीं है वहां भी शराब पी जाती है। यह घरों में कलह और लड़ाई का कारण है। जब यह हालत है तो सुधार कैसे हो सकता है? शराब के नशे में लोग दुःख और तकलीफ को भूल जाते हैं इसलिये मैं समझती हूं कि लोग शराब पीते हैं वैसे हालत यह है कि खाने के लिये असली घी और दूध किसी को नहीं मिल पाता है।

शराब की आमदनी से सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल करना चाहती हो तो वह नहीं हो सकता। आज चीन बगल से हमला कर रहा है लेकिन हम लोग इतने निकम्मे हो गये हैं कि उससे मुकाबला करने में घबराते हैं। जब तक हम शक्तिशाली नहीं बनेंगे, हमारी संतान शक्तिशाली नहीं बनेगी, हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते। अन्त में मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि शराब बिलकुल बन्द होनी चाहिये और जो भी नशीली चीजें हैं, सरकार का कर्त्तव्य है कि उन सबको बन्द करे।

*श्री भगवतीसिंह विशारद---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव के वाद-विवाद में हिस्सा लेते हुए अपने विचार व्यक्त किये हैं।

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए, जिस नीति को सम्मादित करने के लिये मैंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने विचार व्यक्त किये थे, प्रायः उसका अनुमोदन किया है, इसलिये मेरा कार्य बहुत कुछ उन्होंने हल्का कर दिया है। मान्यवर, चाहे जिस दृष्टिकोण से भी देखा जाय, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो, भौतिक हो, इकानामिक हो या सामाजिक हो, सभी दृष्टिकोणों से यह बात स्वीकार की जा रही है कि मद्य निषेध होना चाहिये और उस मद्य निषेध की योजना को कार्यान्वित करने के लिये सरकार को पूरे इरादे के साथ अपने कदम को बढ़ाना चाहिये। लेकिन मान्यवर, दुख है कि सरकार, जिस तरह किसी आदमी को नशा होता है उसके पैर लड़खड़ाते हैं, उसी तरह से इस योजना को कार्यान्वित करने में लड़खड़ाते हुए पैरों से आगे बढ़ रही है। १९३६-३७ से यह स्वीकार कर लिया गया था कि मद्य निषेध योजना कार्यान्वित की जायेगी और तब से अब तक बराबर इसके लिये प्रयत्न हो रहे हैं। लेकिन केवल ११ जिले और ३ तीर्थ स्थानों में ही इस योजना को कार्यान्वित कर सके हैं। यह इस बात का द्योतक है कि उद्देश्य तो सामने है लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिये जिस प्रकार की सक्रियता चाहिये थी वह नहीं अपनायी गयी है।

माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये यदि उन सब को संक्षेप में समराइज किया जाय और उन्हें संक्षेप में स्वीकार किया जाय तो माना जायगा कि आज की जो योजना कार्यान्वित हो रही है उससे कानून के प्रति अनादर या उसे भंग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि समाज के समस्त क्षेत्रों में नैतिक पतन हुआ है और खासतौर से सर्विसेज में जिसमें पुलिस और ऐक्साइज विभाग हैं, इनमें काफी व्यापक इसका प्रभाव पड़ा है।

मान्यवर, तस्कर व्यापार करने वाले एक ऐसी एजेन्सी कायम कर रखे हैं कि वह कर्मचारियों को नौकर रखते हैं। जिस समय कोई माल पकड़ा जाता है तो उनसे वह कबूल करवाते हैं कि यह माल हमारा है और उनका मुकदमा लड़ते हैं। अगर जुर्माना हो गया तो उसको वह अदा करते हैं और अगर सजा हुई तो जितने दिन वह लोग जेल में रहते हैं उनके घरों की देख भाल करते हैं, कानूनी सहायता प्रदान करते हैं और जेल से छूटने के बाद फिर से नौकरी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार अपने प्रदेश में नशीली वस्तुओं का तस्कर व्यापार चल रहा है इस व्यापार को समाप्त करने के लिये बड़े ठोस कदम उठाने चाहिये। लेकिन मुझे दुख है कि इस प्रकार का कोई ठोस कदम उठाने के बजाय इन तस्कर व्यापार करने वालों के साथ, शराब बनाने वालों के, साथ ऐक्साइज विभाग के कर्मचारियों में एक तरह से समझौता है, उनकी माहवारी बंधी हुई है। पुलिस के हर थानेदार को मालूम है कि उसके यहां कौन तस्कर व्यापार करते हैं पर उनसे उनकी माहवारी बंधी हुई है। किसी जगह पर ऐसी कोशिश नहीं होती कि इस तरह का व्यापार रोका जाय। तो जब यह स्थिति हो तब कैसे संभव हो सकता है कि आधे दिल से चलने वाली मद्य निषेध योजना सफल हो सकती है।

मंत्री जी ने बताया और रिपोर्ट में भी कहा गया कि एक समिति की स्थापना हुई थी, माननीय रामस्वरूप यादव की अध्यक्षता में। मुझे दुख है कि उस कमेटी ने एक साल पहले रिपोर्ट दे दी थी लेकिन सरकार अब तक उसको यह कह कर कब्जे में रखे है कि मामला सरकार के विचाराधीन है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कमेटी बैठायी गई उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कमेटी की सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित करने की बात तो दूर रही,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

सदन के सामने भी उसको प्रस्तुत नहीं किया गया। मेरा विश्वास है कि वह कमेटी उसी नतीजे पर पहुंची होगी कि संपूर्ण प्रदेश में मद्य-निषेध योजना लागू होनी चाहिये। और अगर सरकार इस तरह से करने में असमर्थ है तो जो योजना आजकल चल रही है उससे प्रदेश का कोई हित होने वाला नहीं है और न मद्य-निषेध सही रूप से कार्यान्वित हो रहा है। यह उस कमेटी की रिपोर्ट निश्चित रूप से होगी ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन सरकार अब तक उस रिपोर्ट को हमारे सामने नहीं रख पायी है। मैं कहूंगा कि जब योजना कार्यान्वित की जा रही है तो नियमों के अनुसार जहां पर दूकानें हैं उन दूकानों को वहां से हटा दिया जाना चाहिये।

इसी संबंध में लखनऊ की २,३ दूकानों का हवाला माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। कानपुर रोड पर लखनऊ में आलमबाग से जरा आगे नहर के किनारे एक शराब की दूकान खुली हुई है, वहीं पर दो मन्दिर हैं और कालोनीज हैं। लेकिन सुबह से शाम तक पीने वालों का इस कदर तांता लगा रहता है कि वहां के नागरिकों की जिन्दगी दूभर हो रही है। वहां की महिलायें न घूम सकती हैं और न सरेआम बाजार में चल सकती हैं। यह अश्लीलता ऐसे वीभत्स तरीके से दिखाई देती है जिससे वहां के नागरिकों का जीवन बहुत खराब हो रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस दूकान को वहां से हटायें।

इसी तरह से अमीनाबाद में गन्ने वाली गली में घनी आबादी में शराब की दूकान है जिससे वहां के नागरिकों को बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। सिटी स्टेशन पर भी शराब की दूकान है। वहां पर दोनों, बालक तथा बालिकाओं, की पाठशालायें हैं और शाम को जब वे शिक्षा प्राप्त कर के लौटते हैं तो पीने वालों की भीड़ लगी रहती है और जिस तरह से वे बकते हैं उनका बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। तो सरकार को इन तीनों दूकानों को देखना चाहिये और इन्हीं तीनों दूकानों पर नहीं, जितनी शिक्षा की तथा धार्मिक संस्थायें हैं वहां की दूकानों को बन्द करना चाहिये।

इंग्लैन्ड में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके ड्रंकर्डनेस को कम किया गया है। हमारे देश में संविधान में इस बात को स्वीकार किया गया कि नशीली वस्तुओं को रोकना चाहिये। इस प्रदेश में भी यह चालू है लेकिन व्यक्तिगत सम्पर्क से इस बुराई को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। मैंने प्रारम्भ में यह भी कहा था कि टेम्परेंस एसोसिएशन होने चाहिये। ऐसे लोगों की सूची होनी चाहिये जो मादक द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास व्यक्तिगत सम्पर्क होना चाहिये। उन्हें मिल कर समझाना चाहिये और आवश्यकता पड़े तो ऐसे लोगों की मीटिंग बुलाना चाहिये और हमें उन पर प्रभाव डालना चाहिये। मेरा खयाल है कि जिस दिन इस प्रकार की मीटिंग होगी उस दिन उनकी धर्म-पत्नी कहेंगी हजरत जाइये पियक्कड़ों की मीटिंग है। इसका एक साइकोलोजिकल असर अवश्य पड़ेगा कि हम गलत काम करते हैं, इसलिये ऐसा काम नहीं करना चाहिये। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह टेम्परेंस एसोसियेशन की मार्फत इस तरह का काम खत्म करें।

इसका एक कारण यह भी है कि मनोरंजन का कोई साधन उनको नहीं मिलता है और वे थके मान्दे होते हैं। तो कुछ लोग उस थकान को दूर करने के लिये मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। इसलिये इस विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिये और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें शराब की बोतल दिखा दी, किसी को गिरे हुए दिखा दिया या किसी को पीते हुए दिखा दिया, उसी के साथ कुछ अच्छाइयां भी दिखाई जानी चाहिये तो इसका ज्यादा असर पड़ सकता है।

अगर सरकार इसे सही ढंग से कार्यान्वित करना चाहती है तो अपने इरादे को मजबूत करे और अगर नहीं करना चाहती है तो उसे वास्तविकता की ओर ध्यान देना चाहिये और अपनी विफलता को तहेदिल से स्वीकार करना चाहिये और उसके नतीजे को देखते हुए पुनः इस योजना का पुनरीक्षण करना चाहिये कि इस योजना के चलने से प्रदेश की जनता का हित

हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्रदेश की जनता इसके पक्ष में नहीं है। अगर यह पुनरीक्षण करेंगे तो मेरा विश्वास है कि इस मद्यनिषेध की योजना से कोई लाभ नहीं होने वाला है और न भविष्य में होने वाला है और इस लचर योजना को बन्द कर देना चाहिये और इसके प्रतिकूल ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसा कानून लागू किया जाय कि कोई उसे पी न सके। तो एक तरफ तो यह योजना लागू हो कि कोई पीना चाहे तो पिये और दूसरी ओर उसे रोकने के लिये दूसरा प्रयत्न हो। आज कल यह भी एक साइकोलोजिकल असर हो रहा है कि नहीं मिलती है तो पी लें। तो इस तरह से ड्रंकर्डनेस की बीमारी जो दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है वह कम होगी, तस्कर व्यापार खत्म होगा और सर्विसेज में जो डिमारेलाइजेशन आ रहा है वह भी खत्म होगा। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आदरणीय सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

डाक्टर सीताराम—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन क बहुत आभारी हूं कि माननीय सदस्यगण ने अपने अमूल्य सुझावों से हमें यह रास्ता दिखलाया कि किस तरह से यह कार्य करना चाहिये।

माननीय विशारद जी ने अपने कटमोशन पर बोलते हुए कहा था कि इस प्रदेश में सन् १९४६ में २,०७२ दूकानें थीं लेकिन अब दूकानों की संख्या बढ़ गयी है जिससे कि आमदनी बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि दूकानों की संख्या बढ़ी नहीं है बल्कि वह २,०७२ से घटकर १,४८३ हो गयी है। इसके अतिरिक्त बहुत से माननीय सदस्यों ने यह साबित करने की कोशिश की कि प्रोहिबिशन के बाद जिन जिलों में प्रोहिबिशन नहीं है वहां का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि उनकी यह धारणा भ्रामक है और इसलिये भ्रामक है कि जो स्टाफ बढ़ाया गया उसके ऐक्टिव सुपरविजन के कारण और टैक्सेशन के कारण रेवेन्यू बढ़ा है उन जिलों में जहां कि प्रोहिबिशन नहीं है। सन् १९४६-४७ में जहां इस प्रदेश में १२ हजार गैलन फॉरेन लीकर का कन्जम्पशन था वह घट कर अब करीब २ हजार गैलन रह गया है। इसी तरह से जहां सन् १९४६-४७ में कंट्री लीकर का कन्जम्पशन १२, १३ हजार गैलन था वह १९५९-६० में १० हजार गैलन के करीब है। तो सन् १९४६-४७ के मुकाबले में कन्जम्पशन बढ़ा नहीं है। लेकिन ड्यूटी और टैक्सेशन की वजह से रेवेन्यू बढ़ा है। साथ ही साथ जब हम यह देखते हैं कि किस तरह से क्राइम्स को डिटेक्ट किया गया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सन् १९४६-४७ में साल भर में करीब साढ़े ५, ६ हजार केसेज पकड़े जाते थे लेकिन १९५९-६० में करीब १८-१९ हजार केसेज पकड़े गये। यह अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य पटुता और दक्षता का परिचायक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अवस्थी जी अध्यापक हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आखिर वह विद्यार्थियों को क्या पढ़ाते होंगे....

श्री अध्यक्ष—मैं व्यक्तिगत हमले के लिये इजाजत नहीं दूंगा।

डाक्टर सीताराम—उन्होंने मेरे ऊपर छींटाकशी की थी इसलिये मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—उसका जवाब यह नहीं है। मैं समझता हूं कि बुराई का जवाब बुराई नहीं है।

डाक्टर सीताराम—आज जिन भावनाओं को उन्होंने यहां प्रदर्शित किया वह इस बात की द्योतक हैं कि हमारे समाज में इस तरह की भावनायें आज भी व्याप्त हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि कोई भी शोषित और पीड़ित आदमी गवर्नमेंट में रह कर निकम्मा नहीं हो जाता। वह उनसे दस गुना आगे है और आगे रहेगा।

[डाक्टर सीताराम]

कहा जाता है कि दस साल से इस विभाग में कोई भी प्रगति नहीं हुई और प्रोहिबिशन फेल हुआ है । प्रोहिबिशन के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना उचित समझता हूं कि प्रोहिबिशन में जब तक जनता अपना सहयोग नहीं देगी तब तक दुनिया के किसी देश में, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो । कामयाबी नहीं हो सकती है। आपके हिन्दुस्तान में दो सूबों में पूर्ण रूप से प्रोहिबिशन है लेकिन जिन सूबों में पार्शल है या थोड़ा-सा है उनके बारे में किसी ने वह रिपोर्ट पढ़ी हो जो ब्लार्लिंग कमीशन की ओर से और प्रोहिबिशन इन्क्वायरी कमेटी की ओर से दी गई है तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि उन जगहों में क्राइम बढ़े हैं जहां पर प्रोहिबिशन रहा ।

गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार चलते हुए हमने देश को आजाद किया । जहां तक सिद्धांत की बात है हम सब उनकी पूजा करते हैं । वास्तविक कठिनाई क्या है इस पर भी विचार करना होगा । लेकिन सेंटीमेंट्स से काम करने से अधिक फायदा नहीं हो सकता है। जैसे माननीय सदस्यों ने कहा है कि गांव-गांव में क्राइम बढ़े हैं । मदिरा पीने की भावना कब से शुरू हुई इसको, अध्यक्ष महोदय, आप अधिक जानते हैं । किसी भी समाज में, किसी भी काल में इसको बरदाश्त नहीं किया गया है और न आज ही करते हैं । लेकिन हिन्दू काल में, मुस्लिम काल में, अंग्रेजों के जमाने में गांव-गांव में, घर-घर में, शराब की दूकानें रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि आप इतिहास को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि मुस्लिम पीरियड में कोई टैक्सेशन की पालिसी नहीं थी बल्कि जो जितनी चाहे शराब बना सकता था, बनाता था और पीता था और गांव-गांव में यही हाल था और कोई प्रतिबन्ध नहीं था । १७९० में अंग्रेजों ने इक्साइज लाज ऐन्ड रूल्स बनाये और उसके मुताबिक उनकी यह नीति थी कि मिनिमम कंजम्पशन से कम शराब पी जाय और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू सरकार को मिले । इसका क्या परिणाम हुआ ? उन्होंने बड़े-बड़े जमींदारों और ताल्लुकेदारों को ठेका दे दिया कि वह शराब बनवायें और बिकवायें और गवर्नमेंट को रेवेन्यू दें । एक सब-डिवीजन होता था जो फार्म कहलाता था । इस तरह से फार्मिंग का सिस्टम पूरे देश में कायम हुआ । इस सिस्टम में यह था कि एक आदमी जितनी चाहे शराब बनाता था, दूकानें खोलता था और जिस तरह से चाहे बेचता था ।

इस तरह से व्यवस्था हमारे गांवों में प्राचीन काल से बनी हुई है । आज यह सरकार क्या, कोई भी सरकार नहीं कर सकती है । जिस तरह से माननीय सदस्यों ने हरिजन विभाग के बजट के दिन भाषण दिये थे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४६ में यह है कि सरकार इसका प्रबन्ध करेगी और छुआछूत की बात उसी तरह से है । इसी तरह से ४७ में प्राविजन है कि राज्य सरकार कोशिश करेगी और प्रोहिबिशन की नीति अग्रसर की जायगी । इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है । ११ जिलों में और तीन धार्मिक स्थानों में जो नीति चलाई गई तो वहां क्राइम्स अवश्य बढ़े हैं । इसलिये बढ़े हैं कि लोगों का शराब पीना छुड़ाया गया तो उन्होंने टिंचर-जिंजर वगैरा मिलाकर पीना शुरू कर दिया । अध्यक्ष महोदय, हमारे पास इतनी रिपोर्ट है कि गांवों में बड़े-बड़े आदमी गरीबों की मदद से शराब बनवाते हैं, और बिकवाते हैं । यह आज की परम्परा नहीं है, बल्कि यह प्राचीन परम्परा है जो चली आ रही है । यही परम्परा आज भी लोगों के मस्तिष्क में प्लावित हो रही है । यह कहना कि यह आज की परम्परा है, मैं इसको नहीं मान सकता । माननीय सदस्यगण ने कहा कि प्रोहिबिशन फेल हो रहा है । जिलों में प्रोहिबिशन बोर्ड और टेम्परेंस बोर्ड हैं । मैं जिला मैजिस्ट्रेट से पूछूंगा कि कितने माननीय सदस्य उनकी मीटिंगों में गये । एक साल में तीन मीटिंगें होनी चाहिये । जब तक सदस्यगण अपनी भावनाओं से जनता को प्रभावित नहीं करेंगे कि शराब पीना पाप है, क्योंकि हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र में जा कर जनता में प्रचार करें, तो ज्यादा असर हो सकता है, तब तक उन पर उतना प्रभाव नहीं होगा ।

कुछ लोगों ने यहां कहा कि इसके लिये धार्मिक शिक्षा दी जाय तो लोग शराब पीना छोड़ सकते हैं। अमेरिका जैसे देश में २० साल प्रोहिबिशन लागू रहा। जो लोग शराब पीते थे, चर्चेज में नहीं जा पाते थे, उनकी शादी अच्छे घरों में नहीं हो सकती थी, इसके अलावा फेडरल लॉ आपरेट करता था। तो तीन तरह के प्रतिबन्ध थे। लेकिन फिर भी वहां प्रोहिबिशन की स्कीम २० साल के बाद फेल हो गई। यही नहीं रशा में--माफ करेंगे--जनवरी से लेकर मार्च तक के पायनियर अखबार देखें .....

श्री अध्यक्ष--आप झारखंडे राय जी से क्यों माफी मांग रहे हैं 'रशा' का नाम लेकर ?

डाक्टर सीताराम--प्राइम मिनिस्टर आफ रशा, मिस्टर ख्रुश्चेव सदर्न रशा में ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर बोल रहे थे। कुछ लोगों ने उनका ध्यान आकृष्ट किया कि इल्लीसिट डिस्टिलेशन बहुत हो रहा है। उन्होंने पता लगाया तो सही पाया। जो फार्मर्स फार्म्स पर काम करते थे वह चुकन्दर चुरा कर उससे शराब बनाया करते थे। इसी तरह से फार्म्स से बहुत ज्यादा चुकन्दर गायब हो गये जिससे वहां पर फार्म को नुकसान हुआ। उन्होंने आर्डर दिया कि जो आदमी इल्लीसिट डिस्टिलेशन करेगा उसको मिनिमम तीन साल की सजा होगी। तो इतने बड़े देश में जहां पर डिक्टेटरशिप है वहां पर इल्लिसिट डिस्टिलेशन है। इस प्रकार संसार के दो बड़ देशों में एक में से प्रोहिबिशन फेल हो गया और दूसरे में इल्लिसिट डिस्टिलेशन बढ़ गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो मेम्बरों ने यह शिकायत की है कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन बढ़ गया है, तो जो लोग ज्यादा खाते-पीते थे, एकदम से उस को बन्द कर देने से इल्लिसिट डिस्टिलेशन बढ़ गया लेकिन उसको रोकने का काम पुलिस अधिकारियों के हाथ में है। एक्साइज डिपार्टमेंट साथ देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक्साइज डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है।

माननीय अवस्थी जी ने कुछ शिकायतें कीं। माननीय अवस्थी जी को चाहिये था कि जो कुछ भी शिकायतें थीं, इल्लिसिट डिस्टिलेशन के बारे में या और किसी चीज के सम्बन्ध में, उन शिकायतों को रखते और मुझे पूरी आशा है कि वह उनको कार्यरूप में परिणत करते।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आपकी पुलिस कैसी है ?....

डाक्टर सीताराम--आप चुप रहिये। जब आप बोल रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपको भी बोलना नहीं चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि माननीय विशारद जी ने यह बतलाया कि दस रुपये जुर्माना लेकर के अदालतें उनको छोड़ देती हैं। एक्साइज ऐक्ट में यह दिया हुआ है कि कितनी सजा दी जाय, यह मैजिस्ट्रेट के हाथ में पावर है कि किस तरह से वह उसे डिसाइड करे। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय विशारद जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो यादव जी की कमेटी की रिपोर्ट हम लोगों के सामने है उसमें हम यह विचार कर रहे हैं कि पनिशमेंट को और भी एनहेंस किया जाय। अभी यह सब बातें विचार के रूप में हैं और फाइनल रूप में मैं कुछ कह नहीं सकता; लेकिन ऐसी बात विचाराधीन है।

विशारद जी ने यह भी कहा कि मद्यपान करने वालों की सूची बना ली जाय। यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड पर सुविधाजनक चीज न होगी बल्कि जनता की विशेष परेशानी इससे बढ़ जायगी। माननीय सदस्य इंग्लैंड की मिसाल शायद देंगे, वहां का आर्ग्युमेंट शायद वह देंगे कि वहां पर एक लिस्ट बनाई गई थी। लेकिन इतना मैं उनको बता देना उचित समझता हूं कि जब लिस्ट बनाई जाने वाली थी तो जनता ने उस पर कितना एजीटेशन किया था यह बात

[डाक्टर सीताराम

वहां की गवर्नमेंट जानती है। कोई बड़ा आदमी पीता हो तो उसका नौकर जाकर लावे, कितने दिन तक नौकर से कोई आदमी इस तरह अपना काम चलाता रहेगा? तो यह प्रेक्टिकल नहीं है।

माननीय विशारद जी ने यह भी कहा कि कुछ अफसर ऐसे हैं एक, दो, चार या दस जो दस, दस साल से अधिक से एक जगह हैं। उनके रिपोर्ट में इस सदन में एक या दो माननीय सदस्यों ने और कहा कि दस साल से ऊपर के लोग इस विभाग में एक जगह पर हैं। यह भावना, यह धारणा बिलकुल भ्रामक है। कोई भी एक सिविल अफसर की मिसाल वह मुझे दे दें जो चार या पांच साल से एक जगह पर हो। यह बिलकुल गलत धारणा है, बिलकुल भ्रामक चीज है, निराधार है। कोई भी आज तक इस डिपार्टमेंट में दस साल से एक जगह पर नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो आप मुझे उसकी जानकारी करवा दें। लेकिन जो हमारे पास अभी रिपोर्ट आयी है, सचिव से जो मिली है या कमिश्नर से जो मिली है, उसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी अधिकारी या अफसर पांच साल से ज्यादा एक जगह नहीं है, दस साल तो बहुत बड़ी चीज है।

अभी यह कहा गया कि सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट क्यों क्रियेट की गई बारह, चौदह या दस? अध्यक्ष महोदय, १९२२ में इस लेजिस्लेचर ने मिस्टर विम, आई० सी० एस० की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी। उन्होंने यह रेकमेंड किया, १९२२ की बात मैं कर रहा हूं, कि एक्साइज डिपार्टमेंट में २० असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर होने चाहिये और २५० से ३०० तक इंस्पेक्टर होने चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जून १९२२ के बाद डिपार्टमेंट कितना फैला है लेकिन आज इस डिपार्टमेंट में २० कौन कहे, १५ असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर हैं और २५० की कौन कहे, २४४ एक्साइज इंसपेक्टर हैं। पूरा जो रेवेन्यू है, जो बजट है उसका, उसको देखते हुए डिपार्टमेंट का खर्चा ४ प्रतिशत सिर्फ आता है। साथ ही साथ यहां पर इतना रिस्की वर्क है कि वह चाहे एक्साइज विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, जो भी क्राइम को पकड़ने वाले डिपार्टमेंट हैं, उनको कुछ पावर अगर न हो तो मैं कहता हूं कि यह बेचारे रोज पिटें। हमारे पास रिपोर्ट आती है, बहुत इंसपेक्टर्स एन्क्वायरी में जाते हैं, पकड़ने जाते हैं, उनके पास दो, तीन चपरासी होते हैं, बन्दूक या रिवाल्वर कुछ नहीं होती है वह पिट भी जाते हैं और मार भी हर जगह खाते हैं। लेकिन इतना होते हुए भी एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी जिस तरह से कार्य करते हैं वह अति सराहनीय है।

अभी रामस्वरूप वर्मा जी ने बतलाया कि फैजाबाद में एक केस हुआ। मैंने उसके लिये एक अफसर डिप्यूट किया। मैं समझता हूं कि उन अफसर के सामने माननीय सदस्य ने जिस तरह की बातें कहीं वह प्रशंसनीय नहीं हैं। उस अफसर को भी बुलाया गया और माननीय सदस्य को भी बुलाया गया और माननीय सदस्य ने इस बात को माना कि हमको अफसर के साथ इन्क्वायरी करनी चाहिये अगर कोई शिकायत है। इलाहाबाद से एक अफसर को वहां फैजाबाद भेजा गया लेकिन उन एम० एल० ए० साहब ने वहां जाकर कह दिया कि नहीं जाऊंगा, हो सकता है आपने सूचना दे दी हो शीघ्र रेड होने वाली हो। क्या इस तरह की बात हो सकती है अगर किसी एम० एल० ए० से उसके लिये कहा जाय? इस तरह की बातों से कोई फायदा नहीं है।

फिर बतलाया गया कि बरेली में कोतवाल साहब ने किसी चरस, गांजा या अफीम वाले को पकड़ा। उसने एक्साइज इन्स्पेक्टर से बुरा-भला कहा। मैं निवेदन करूं कि माननीय सदस्य को सही कहानी की सूचना नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि दो-दो इन्सपेक्टर या कोई अफसर जिनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, वह कैसे गलत रास्ते पर जा सकते हैं। इस तरह की बातें वान्छनीय नहीं हैं। इसके साथ ही अभी माननीय शुक्ल जी ने बतलाया कि निवासन तहसील में शराब बनाने की छूट है। मैं निवेदन करूंगा कि वह आउट स्टिल एरिया है। आउट स्टिल वह एरिया होता है जहां पर शराब बनाने की छूट होती है और जहां पर शराब चीप रेट पर बिकती है। जिले में और जगह जो डिस्टिलरी का सेन्टर होता है वहां से शराब

जाती है तो वह रेट मंहगा होता है लेकिन जो आउट स्टिल एरिया है वहां पर वास्तव में जो पुलिस के अधिकारी होते हैं या एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं वह कानून के मुताबिक कार्यवाही करते हैं। हो सकता है किसी के समक्ष ऐसी बात आई हो। मैं शुक्ल जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमको शिकायत के रूप में लिख कर दें तो हम उसकी जांच करेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह जी ने बताया कि कन्ट्री लीकर का कन्जम्पशन बढ़ गया है और इससे सरकार को रेवेन्यू बहुत प्राप्त होता है। अभी-अभी मैं वर्मा जी के भाषण का जवाब देते हुये इस बात को बतला चुका हूं कि कन्ट्री लीकर या फारेन लीकर दोनों के कन्जम्पशन में वृद्धि नहीं हुई है बल्कि इन दोनों का कंजम्पशन सन् १९४६–४७ के मुकाबले में सन् १९६० में कम हुआ है लेकिन सुपरविजन, टैक्सेशन और ड्यूटी में एक्साइज रेवेन्यू गवर्नमेन्ट का बढ़ा है।

सदन के माननीय सदस्यों ने जो अपना बहुमूल्य समय देकर बहुमूल्य सुझाव देने का प्रयास किया है उसके लिये मैं आभारी हूं। मैंने उनकी सब बातों को सुना। मैं भगवती-सिंह विशारद जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने अपने अमूल्य सुझाव देने का प्रयास किया। इस सम्बन्ध में नीति की बात कही गई कि सरकार अपनी नीति निर्धारित नहीं करती कि प्रोहिबिशन की पालिसी क्या होगी। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे उप-मन्त्री यादव जी की कमेटी की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। उसकी सिफारिशें बतलाना मैं उचित नहीं समझता लेकिन उस पर कोई निर्णय देने के बाद ही कोई कानूनी कार्यवाही करने की बात होगी और उसे जल्दी निपटाने का हम प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष--अब मैं कटौती का प्रस्ताव ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ८१,७१,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५७ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२६ अप्रैल १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४८ पर)

No. 1948-B/V—3209-1960

FROM

SRI K. C. JOSHI, I.A.S.,
UP SACHIV,
UTTAR PRADESH SHASAN,

TO

SWASTHYA SEWA NEDESHAK,
UTTAR PRADESH, LUCKNOW.

Dated Lucknow, April 8, 1961.

Subject:—**Removal of certain difficulties experienced in connection with reimbursement of medical expenses to Government servants**

SIR,

CHIKITSA (KHA) VIBHAG.

In continuation of G. O. no. 4913-B/V—3209-60, dated December 28, 1960 on the above subject, I am directed to say that the question of removal of certain difficulties experienced in connection with the reimbursement of medical expenses to the Government servants governed by the U. P. Government Servants (M.A.) Rules, 1946, had been under the consideration of Government for some time past. According to the procedure laid down in the rules, they have initially to incur expenditure from their pocket and then claim reimbursement thereof from the Government. Even while under treatment at a Government hospital they have to purchase medicines, not available in the hospital stock, from the market. Such of them as are entitled to private wards have to pay operation fees, room rent and charges for pathological, bacteriological, radiological and other investigations in regard to the treatment of the members of their families as are considered necessary by the authorized medical attendant. This entails unnecessary financial and procedural formalities as well as initial financial burden on the Government servants concerned. With a view to simplifying the procedure and obviating the difficulties as well as ensuring prompt and proper free treatment in the first instance at the Government Allopathic Hospitals and Dispensaries to the U. P. Government servants and the members of their families, the Governor has been pleased to order that in this regard with effect from April 1, 1961, the following procedure should be adopted :

(i) All reimbursible Government hospital dues, viz. charges for laboratory and radiological investigations, operation fees, private ward charges and the like which the Government servants are required to pay initially and which are later reimbursed in terms of the said rules should not be realized from them.

(ii) The Government Allopathic Hospitals or Dispensaries should provide to the sick Government servants and also to the sick *entitled* members of the Government servants family all the medicines, sera, vaccines and other therapeutic substances prescribed by the authorized medical attendant from the hospital stock earmarked for Government servants or by local purchase at reasonable rates from approved dealers, in case any particular medicine, sera or vaccine, etc. is not available in the hospital stock. Where the medicines have to be purchased from the market, care should be taken that delay does

not occur in this supply to Government servants or members of their family for whom they are prescribed.

(iii) To obviate the chances of persons other than Government servants or members of their family who are not entitled to free medical treatment in terms of the U. P. (M. A.) Rules introducing themselves as Government servants or their dependents, the authorized medical attendants may require non-gazetted Government servants desiring to have the facilities of treatment under the Medical Attendance Rules to produce an identification certificate in the form prescribed in Annexure 34 to the U. P. Government Servants (M.A.) Rules, 1946.

2. The Governor has further been pleased to order that :—

(i) no change in the existing system of reference to the Specialists through the authorized medical attendants as provided in the U. P. Government Servants (M. A.) Rules 1946, is necessary ;

(ii) the Ministers, Legislature Officers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries and the members of their families and each member of the State Legislature to whom the U. P. Government Servants (M. A.) Rules, 1946, are *mutatis mutandis* applicable shall also be entitled to the benefits under para 1(i) of this Government Order. They will, however, be supplied medicines, sera and vaccines, etc. from the separate existing allotment for the purpose in the budget. They will also be entitled to other medical facilities as hitherto;

(iii) the All-India Services Officers serving under the administrative control of the U. P. Government and the members of their families, who are governed by the All-India Services (M.A.) Rules, shall also be entitled to the benefits under para 1(i) and (ii) of this Government Order and in other respects they shall continue to enjoy the medical facilities on the same scale and in the same manner as provided in the rules applicable to them ;

(iv) the Central Government servants who are not serving under the administrative control of the U. P. Government shall *not* be allowed the benefits under para 1(i) and (ii) of this Government Order. They will, however, continue to be allowed medical facilities for themselves and for the members of their families by their authorized medical attendants on the same scale and in the same manner as hitherto.

3. The question of making additional provision in the Medical Budget for stocking life saving and costly medicines commensurate with the needs of U. P. Government servants and their families and also for local purchases together with the question of additional staff as raised in your D. O. letter no. XI-F/RMC/38—60-2121, dated February 8, 1961, is at present under consideration of Government and necessary orders will issue in due course. Meanwhile, the medicines required for the treatment of Government servants and the members of their families should be provided out of the existing allotment for the purpose at your disposal.

4. The contents of the above paragraphs may be brought to the notice of all Medical Officers and other staff serving under you.

Yours faithfully,

K. C. JOSHI, I.A.S.,

Up Sachiv.

No. 1948 (i)B/V—3209-60

COPY forwarded for information to—

(i) All Heads of Departments and the Principal Heads of Offices in Uttar Pradesh.

(ii) The Registrar, Lucknow University, Lucknow.

(iii) All Departments of the Secretariat.

No. 1948(ii) B/V—3209-60

COPY forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad, for information.

By order,

K. C. JOSHI, I.A.S.,
Up Sachiv.

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४९ पर।)

No. P-1243/II-A—467-1953

FROM

SRI GOVIND NARAIN, I.C.S.,
MUKHAYA SACHIV,
UTTAR PRADESH SHASAN,

TO

THE REGISTRAR,
HIGH COURT,
ALLAHABAD.

Dated Lucknow, March 30, 1961.

Subject : **Pension of members of the U. P. Higher Judicial Service**

APPOINTMENT (A) DEPARTMENT

SIR,

I AM directed to refer to the correspondence resting with your letter no. 16308, dated November 4, 1960, and to say that, after due consideration, the Governor has decided that in the matter of pensionary benefits, the members of the Uttar Pradesh Higher Judicial Service will be governed by the same rules as are applicable to members of other State Services under his rule-making control. Accordingly, in supersession of the provisional orders contained in G.O. no. O-3868(ii)/II-B—5-1949, dated August 17, 1950, the Governor has decided that the pension rules contained in the Civil Service Regulations, as adopted by the State Government, will apply in their entirety to members of the Uttar Pradesh Higher Judicial Service. According to the above Regulations, in addition to the ordinary pension admissible thereunder, the members of the Service will also be eligible for the grant of special additional pension admissible under Article 475-A of the Regulations, in respect of their service in the posts of District and Sessions Judge included in the cadre of the Service.

2. The above orders will have retrospective effect from August 15, 1947, and shall apply to all members of the Service who have retired since then or who may retire hereafter, except in the case of such members as would have, on or before October 21, 1946, been confirmed in listed posts in the Indian Civil Service but for the ban on such confirmation and whose pension has already been determined finally in accordance with the orders applicable to them.

3. The Accountant General, Uttar Pradesh is being asked to finalize, at an early date, in accordance with the above orders, the pension of such retired members of the Service as have been allowed provisional pension in accordance with the orders contained in the G. O. dated August 17, 1950, referred to above.

Yours faithfully,

GOVIND NARAIN,
Chief Secretary.

Finance Department

No. P-1243(i)/II-A--467-1953 of date

Copy forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad, for necessary action.

By order,

M. L. DAVE,

Joint Secretary.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १-२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५५ पर।)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए जिला नियोजन समिति, बस्ती द्वारा निर्धारित सड़कों की प्राथमिकता की सूची

१—उस्का, बर्डपुर, दुल्हालुम्बिनी गार्डेन,
२—बस्ती, टांडा,
३—बस्ती, मेंहदावल, करमैनीघाट,
४—विसकोहर, इंटवा, बांसी, मेंहदावल,
५—धेबरवा, शोहरतगढ़,
६—कोठिला, धेबरवा,
७—छावनी, बसवारी रोड,
८—मेहसों, महोली,
९—उतरौला, डुमरियागंज, बांसी,
१०—हरैया, सिमरा (सी० सी० ट्रैक),
११—बिकरमजोत, सोहना,
१२—भानपुर, रुदौली, भखेरा, सहजनवां,
१३—आमा, कैप्टनगंज, दुबौलिया,
१४—लालगंज, गायघाट,
१५—मुखलिसपुरघधंटा, छपराघाट,
१६—सोहांस, लौटन, नैपाल फिरन्टियर,
१७—बदलिया, मनवांपुर, सोहना, तिलोकपुर, कोहनडोरा,
१८—डुमरियागंज, चन्द्रदीपघाट,
१९—इंटवा, खंडसारी, कोठिला,
२०—मेंहदावल, उस्का,
२१—बांसी, धर्मसिंगवा,
२२—लोटन, मोहाना,
२३—मारवतिया, पिपरागोतम, बहादुरपुर,
२४—बभनान, सोहना,
२५—उदयपुर, पकरी,
२६—हरिहरपुर, जगदीशपुर,
२७—भगोली, पंचपोखरी,
२८—बिसकोहर, खंखोट, सेमरी,
२९—सलतावा, मंझुनवा,
३०—उतरौला, छापा, भंडारिया,
३१—पन्डूरघाट, पोखरा,
३२—बस्ती, गनेशपुर, आमा,
३३—डुमरियागंज, भारी, सगरा, रुदौली,
३४—चुराब, महोली,
३५—सिकन्दरपुर, हरैया,
३६—खलीलाबाद, पंचपोखरी
३७—बस्ती, टांठा, बहादुरपुर।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा निर्धारित सड़कों की प्राथमिकता की सूची

सड़क का नाम	लम्बाई मील
(१) रामजानकी रोड	५५
(२) हरैया, बभनान सी० सी० ट्रैक के मील ५ से पारस रामपुर तक सड़क	१०
(३) भानपुर से गदौली तथा सहजनवा तक नन्दौर, भाखिरा होकर जिले की सीमा तक	२९
(४) शोहरतगढ़, दिभरवा सड़क	१०
(५) सोनहा से बिकरमजोत सड़क हरैया, बभनान सड़क के मील ५ तक	१६
(६) मुखलिसपुर से छपराघाट तक सड़क	८
(७) मेंहदावल-करमैनीघाट सड़क	६
(८) मेंहदावल-उस्का सड़क	१४
(९) महोली नाथनगर सड़क	३
योग ..	१५१

गत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५८ पर।)

बेगम हजरत महल स्मारक की रूपरेखा

१८५७ के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम की वीरांगना, अवध की बेगम हजरत महल की स्मृति में शासन ने यह निर्णय किया है कि कैसरबाग (लखनऊ) स्थित विक्टोरिया पाक का नाम बदल कर बेगम हजरत महल पार्क रख दिया जाय और वहां पर संगमरमर के दो पट (plates) लगा दिये जायं। इन पटों (plates) में से एक पर पार्क का बदला हुआ नाम अंकित होगा और दूसरे पर यह उल्लेख होगा कि बेगम हजरत महल की स्मृति में पार्क का नाम बदला गया है । इसके अतिरिक्त बेगम हजरत महल की स्मृति में, पार्क की उस संगमरमर की छतरी के नीचे जहां पहले विक्टोरिया की मूर्ति स्थापित थी, संगमरमर की एक पीठिका (pedestal) स्थापित कराई जायगी। उक्त पीठिका के चारों ओर अवध के राजवंश का राज चिन्ह (Coat of Arms of the Oudh Dynasty) तांबे की तख्तियों पर अंकित कराया जायगा ।

परिशिष्ट 'ङ०'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७० पर।)

स्थान	व्यय
	रुपया
(१) मलान पशु विहार, लैन्सडाउन डिवीजन, जिला गढ़वाल	१,५५,८१०
(२) कार्बट राष्ट्रीय वन पशु विहार, कालागढ़ डिवीजन, गढ़वाल,	१,७१,८५७
(३) चन्द्रप्रभा पशु विहार, जिला वाराणसी	१,०८,७२२
(४) राजा जी पशु विहार, सहारनपुर डिवीजन	६,८२७
(५) कंसराज पशु विहार, देहरादून डिवीजन	४,३७२
(६) जौलासान पशु विहार, हल्द्वानी डिवीजन	१,७४४
(७) स्वागत कार्यालय, राम नगर	२,९३७
योग ..	४,५२,२६९

पी० एस० ए० पी०—ए० पी० ७२ एल० ए०—१९६१—८४५।